RNI No. MAHBIL /2009/31746
Reg. No. MCS/176/2016-18

सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

भाग सात

वर्ष २, अंक १२] **गुरुवार ते बुधवार, ऑक्टोबर २७-नोव्हेंबर २, २०१६/कार्तिक ५-११, शके १९३८** **[पृष्ठे ७६**

किंमत : रुपये ३७.००

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

अनुक्रमणिका

	पृष्ठे
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१४.— महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१४ . .	२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१४.— महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१४. .	१९
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१४.— महाराष्ट्र साहुकारी (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	२२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१४.— महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन तथा जारी रहना) अधिनियम, २०१४ . .	२४
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २५, सन् २०१४.— मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा, हैदराबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा (निरसन) अधिनियम, २०१३ . .	३७
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१४.— महाराष्ट्र रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, २०१४. . . .	४२
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७, सन् २०१४.— महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन तथा विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१४. .	६८
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१४.— महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ . .	७६

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2014.

THE MAHARASHTRA (SECOND SUPPLEMENTARY) APPROPRIATION ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXI OF 2014.

AN ACT TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN FURTHER SUMS FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE FOR THE SERVICES OF THE YEAR ENDING ON THE THIRTY-FIRST DAY OF MARCH 2015.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

अधिनियम जिसके द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए कतिपय अधिकतर रकमों की अदायगी तथा विनियोग को अधिकृत करना है।

क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २०४ के अनुसार, जो कि, उसके अनुच्छेद २०५ के साथ पढ़ा जाता है, राज्य की संचित निधि तथा उसमें से मार्च, २०१५ के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में सेवाओं के लिए अधिकतर रकमों के विनियोग के लिए यह आवश्यक है कि विनियोग अधिनियम पारित करने तथा उक्त रकमों की अदायगी को अधिकृत करने के प्रयोजनार्थ उपबंध किया जाये ; इसलिए, भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र (द्वितीय अनुपूरक) विनियोग अधिनियम, २०१४ कहलाये।

राज्य की संचित निधि में से वित्तिय वर्ष २०१४-१५ के लिये २ खरब, ३ अरब, ३८ करोड, २ लाख १५ हजार निकालना।

२. राज्य की संचित निधि तथा उसमें से ऐसी रकमें, जो इसके साथ संलग्न अनुसूची के स्तंभ (४) में बताई हुई रकमों से ऐसी रकमें, अधिक नही होंगी और जो कुल मिलाकर दो खरब, तीन अरब, अडतीस करोड़, दो लाख, पंद्रह हजार रुपयों की रकम के बराबर होंगी, अनुसूची के स्तंभ (२) में बताये हुए कार्यों तथा उद्देश्यों के सम्बन्ध में, सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष में होनेवाले व्ययों को पूरा करने के लिए अदा की तथा लगाई जायेंगी ।

विनियोग।

३. इस अधिनियम द्वारा राज्य की संचित निधि तथा उसमें से अदा करने तथा लगाने के लिये प्राधिकृत की गई रकमों का सन् २०१५ के मार्च के इकतीसवें दिन को समाप्त होनेवाले वर्ष के सम्बन्ध में, अनुसूची में बताए हुए, कार्यों तथा उद्देश्यों के लिये विनियोग किया जायेगा ।

अनुसूची

(धाराएँ २ तथा ३ देखिये)

अनुदान या अन्य विनियोजन का क्रमांक (१)	कार्य तथा उद्देश्य (२)	लेखा शीर्षक (३)		रकमें जो निम्न से अधिक नहीं होंगी (४) विधानसभा द्वारा स्वीकृत	समेकित निधि पर प्रभारित	कुल
				रुपये	रुपये	रुपये
		क—राजस्व लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-१	राज्यपाल और मंत्रि परिषद ।	२०१२, राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल संघराज्य क्षेत्रों के प्रशासक । २०१३, मंत्री परिषद।		....	२४,०६,०००	२४,०६,०००
ए-४	सचिवालय और विविध सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय– सामान्य सेवाएँ। २०५९, लोकनिर्माण कार्य। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	८,२१,००,०००	....	८,२१,००,०००
ए-६	सूचना और प्रचार ।	२२२०, सूचना और प्रचार ।		९३,५७,००,०००	....	९३,५७,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग	. .	१,०१,७८,००,०००	२४,०६,०००	१,०२,०२,०६,०००
		गृह विभाग				
बी-१	पुलिस प्रशासन।	२०१४, न्याय प्रशासन। २०५५, पुलिस। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	८५,६४,२५,०००	....	८५,६४,२५,०००
बी-३	परिवहन प्रशासन।	२०४१, वाहनों पर कर। ३०५५, सडक परिवहन। ३०५६, अन्तरराज्यीय जल परिवहन ।	. .	१३,८८,४०,०००	. . .	१३,८८,४०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
बी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१५,४०,०००	. . .	१५,४०,०००
बी-७	आर्थिक सेवाएँ।	३००१, भारतीय रेल-नीति निर्धारण, निदेशन, अनुसंधान तथा अन्य विविध संघठन। ३०५१, पत्तन और दीपगृह।	. .	१,०२,८१,६०,०००	. . .	१,०२,८१,६०,०००
बी-८	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ।	२७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएँ।	. .	२,३०,००,०००	. . .	२,३०,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	२,०४,७९,६५,०००	. . .	२,०४,७९,६५,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१	राजस्व तथा जिला प्रशासन।	२०२९, भू-राजस्व। २०४५, पण्य मालों तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क। २०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ।	. .	२,१०,००,०००	....	२,१०,००,०००
सी-४	सचिवालय और अन्य सामान्य सेवाएँ।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २२५९, लोक निर्माण। २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ।	. .	१,००,००,०००	....	१,००,००,०००
सी-५	अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२१७, नगर विकास। २२२५,अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्याकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा का कल्याण। २२५०,अन्य सामाजिक सेवाएँ।	. .	....	८३,६०,०००	८३,६०,०००
सी-६	प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	२२४५, प्राकृतिक आपदाओं के संबंध में राहत।	. .	२७,२०,१०,००,०००		२७,२०,१०,००,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	२७,२३,२०,००,०००	८३,६०,०००	२७,२४,०३,६०,०००

कृषि, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग

डी-३	कृषि सेवाएँ।	२४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।	. .	४,४२,५७,५४,०००	. . .	४,४२,५७,५४,०००
डी-४	पशुपालन।	२४०३, पशुपालन।	. .	८,३१,४४,०००	. . .	८,३१,४४,०००
डी-७	सचिवालय और अन्य आर्थिक सेवाएँ।	२७०२, लघु सिंचाई। ३४५१, सचिवालय आर्थिक सेवाएँ।	. .	४५,००,०००	. . .	४५,००,०००
		कुल—कृषी, पशुपालन, दुग्ध उद्योग विकास तथा मत्स्य उद्योग विभाग।	. .	४,५१,३३,९८,०००	. . .	४,५१,३३,९८,०००

विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग

इ-२	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	३,६७,०३,३०,०००	. . .	३,६७,०३,३०,०००
इ-३	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय, सामाजिक सेवाएँ।		४५,६३,४५,०००	. . .	४५,६३,४५,०००
		कुल—विद्यालय शिक्षा तथा क्रीड़ा विभाग।		४,१२,६६,७५,०००	. . .	४,१२,६६,७५,०००

नगर विकास विभाग

एफ-२	नगरविकास तथा अन्य अग्रिम सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाएँ। २२१७, नगरविकास। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	६,६३,५०,२०,०००	. . .	६,६३,५०,२०,०००
एफ-३	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१९,१०,००,०००	. . . .	१९,१०,००,०००
एफ-४	स्थानिय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समुनदेशन।	३६०४, स्थानिय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समुनदेशन।	. .	४,९५,००,००,०००	. . .	४,९५,००,००,०००
		कुल—नगरविकास विभाग।	. .	११,७७,६०,२०,०००	. . .	११,७७,६०,२०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		वित्त विभाग				
जी-१	विक्रय कर प्रशासन।	२०२०, आय तथा व्यय पर कर संग्रहण। २०४०, विक्रय कर। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	८८,२९,०१,०००	४,८२,०००	८८,३३,८३,०००
जी-५	कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. . २०५४, कोषागार तथा लेखा प्रशासन।	. .	१७,७६,००,०००	. . .	१७,७६,००,०००
जी-७	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. . २२३५,सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	६,४६,२०,०००	. . . .	६,४६,२०,०००
			कुल—वित्त विभाग। . .	१,१२,५१,२१,०००	४,८२,०००	१,१२,५६,०३,०००
		लोकनिर्माण कार्य विभाग				
एच-३	आवास।	. . २२१६,आवास।	. .	१५,५४,००,०००	. . . .	१५,५४,००,०००
एच-५	सड़क तथा पुल।	३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१३,१८,४०,०९,०००	. . .	१३,१८,४०,०९,०००
एच-६	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवन।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२१७, नगरविकास। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग।		२४,१९,५४,०००	. . .	२४,१९,५४,०००
			कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग। . .	१३,५८,१३,६३,०००	. . .	१३,५८,१३,६३,०००

जलस्रोत विभाग

आय-३	सिंचाई, विद्युत तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।		२४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई। २७०२, लघु सिंचाई। २७०५, कमान क्षेत्र विकास। २७११, बाढ़ नियंत्रण और निकास। २८०१, विद्युत। ३४०२, अन्तरिक्ष अनुसंधान।	. .	४७,६५,०५,०००	. . . .	४७,६५,०५,०००
आय-४	सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,६५,००,०००	. . . .	१,६५,००,०००
			कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	४९,३०,०५,०००	. . . .	४९,३०,०५,०००

विधि तथा न्याय विभाग

जे-१	न्याय प्रशासन।	. .	२०१४, न्याय प्रशासन।	. .	३,७०,८५,०००		३,७०,८५,०००
			कुल—विधि तथा न्याय विभाग।	. .	३,७०,८५,०००	. . . .	३,७०,८५,०००

उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग

के-४	श्रम तथा नियोजन।	. .	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	१०,८१,८०,०००	. . . .	१०,८१,८०,०००
के-६	ऊर्जा।		२८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत।	. .	१५,००,००,००,०००	. . .	१५,००,००,००,०००
के-७	उद्योग।		२८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। २८५३, अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग।	. .	३,६०,००,०००	. . . .	३,६०,००,०००
			कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	१५,१४,४१,८०,०००	. . . .	१५,१४,४१,८०,०००

ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग

एल-२	जिला प्रशासन।	. .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,०३,७४,४०,०००	. . . .	१,०३,७४,४०,०००
			२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २४०२, मृदा तथा जल संरक्षण। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा।				

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
एल-३	ग्राम विकास कार्यक्रम।	२५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २५५१, पहाड़ी क्षेत्र। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। ३०५४, सड़क तथा पुल।	. .	१५,७४,९२,१९,०००	. . . .	१५,७४,९२,१९,०००
एल-४	सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ।	. .	२,०२,५०,०००	. . . .	२,०२,५०,०००
एल-५	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	१,७०,३३,९८,०००	. . . .	१,७०,३३,९८,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जलसंरक्षण विभाग।	. .	१८,५१,०३,०७,०००	. . . .	१८,५१,०३,०७,०००
	खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग					
एम-२	खाद्य। . .	२४०८, खाद्य, भांडारकरण तथा गोदाम।	. .	४,६४,०००	. . . .	४,६४,०००
एम-३	सचिवालय तथा अन्य आर्थिक सेवाएँ।	३४५१, सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ। ३४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ।	. .	१,००,०००	. . . .	१,००,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	. .	५,६४,०००	. . . .	५,६४,०००
	सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग					
एन-२	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०५३, जिला प्रशासन। २२१६, आवास। २२५१, सचिवालय—सामाजिक सेवाएँ।	. .	२०,००,०००	. . . .	२०,००,०००
एन-३	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,८४,१३,७७,०००	. . . .	२,८४,१३,७७,०००
		कुल—सामाजिक न्याय तथा विशेष सहायता विभाग।	. .	२,८४,३३,७७,०००	. . . .	२,८४,३३,७७,०००
	योजना विभाग					
ओ-१	जिला प्रशासन। . .	२०५३, जिला प्रशासन।	. .	१,००,००,००,०००	. . . .	१,००,००,००,०००
ओ-९	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी। . .	३४५४, जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी।	. .	१४,०३,७९,०००	. . . .	१४,०३,७९,०००

ओ-२१	जिला योजना - सातारा।	२०५९, लोकनिर्माण कार्य। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तथा अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०२, मृदा तथा जल सरक्षण। २४०३, पशुपालन। २४०४, दुग्ध उद्योग विकास। २४०५, मत्स्य उद्योग। २४०६, वन तथा वन्य जीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम। २७०२, लघु सिंचाई। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५१, पत्तन तथा दीपगृह। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५६, अन्तर्राज्यीय जल परिवहन। ३४३५, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण। ३४५१, सचिवालय- आर्थिक सेवाएँ। ३४५२, पर्यटन। ३६०४, स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर तथा समनुदेशन।	. .	८,००,००,०००	. . .	८,००,००,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	१,२२,०३,७९,०००	. . . .	१,२२,०३,७९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		गृहनिर्माण विभाग				
क्यू-३	गृहनिर्माण।	२२१६, गृहनिर्माण। २२१७, नगरविकास। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	२,२५,००,००,०००	. . . .	२,२५,००,००,०००
		कुल—गृह निर्माण विभाग।	. .	२,२५,००,००,०००	. . . .	२,२५,००,००,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	२२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।	. .	७,४६,१६,५७,०००	. . . .	७,४६,१६,५७,०००
आर-२	सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. . २२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	३,४०,००,०००	. . . .	३,४०,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	७,४९,५६,५७,०००	. . . .	७,४९,५६,५७,०००
		चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग				
एस-१	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. . २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य।	. .	४६,०२,७०,०००	. . . .	४६,०२,७०,०००
		कुल—चिकित्सा शिक्षा तथा औषधि विभाग	. .	४६,०२,७०,०००	. . . .	४६,०२,७०,०००
		जनजाति विकास विभाग				
		२२०२, सामान्य शिक्षा। २२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०४, क्रीड़ा तथा युवा सेवाएँ। २२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य। २२११, परिवार कल्याण। २२१५, जलआपूर्ति तथा स्वच्छता। २२१६, आवास। २२१७, नगर विकास। २२२०, सूचना तथा प्रचार।				

टी-५	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर राजस्व व्यय।	२२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछडे वर्गों तथा अल्पसंख्यंकों का कल्याण। २२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण। २४०१, कृषि कर्म। २४०३, पशुपालन। २४०५, मत्स्योद्योग। २४०६, वन तथा वन्यजीवन। २४२५, सहकारिता। २५०१, ग्रामविकास के लिए विशेष कार्यक्रम। २५०५, ग्राम नियोजन। २७०२, लघु सिंचाई। २८०१, विद्युत। २८१०, ऊर्जा के अपारम्परिक स्रोत। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघुउद्योग। ३०५४, सड़क तथा पुल। ३०५५, सड़क परिवहन।	. .	१,३३,०३,९२,०००	. . . .	१,३३,०३,९२,०००
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	१,३३,०३,९२,०००	. . . .	१,३३,०३,९२,०००

सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग

वी-२	सहकारिता।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण २४२५, सहकारिता। २४३५, अन्य कृषि कार्यक्रम। २८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग। २८५२, उद्योग। ३४५१, सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ।	. .	९३,७२,७९,०००	. . . .	९३,७२,७९,०००
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	९३,७२,७९,०००	. . . .	९३,७२,७९,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग				
डब्ल्यू-१	सामान्य शिक्षा।	२२०२, सामान्य शिक्षा।	. .	९०,००,०००	. . . .	९०,००,०००
डब्ल्यू-३	तकनीकी शिक्षा।	२२०३, तकनीकी शिक्षा। २२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	१,१८,३०,६७,०००	. . . .	१,१८,३०,६७,०००
डब्ल्यू-४	कला तथा संस्कृति ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन।	. .	१२,२२,५६,०००	. . . .	१२,२२,५६,०००
डब्ल्यू-७	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए राजस्व परिव्यय।	२२०३, तकनीकी शिक्षा।	. .	३,४६,५०,०००	. . .	३,४६,५०,०००
		कुल—उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा विभाग	. .	१,३४,८९,७३,०००	. . . .	१,३४,८९,७३,०००
		महिला तथा बाल विकास विभाग				
एक्स-१	सामाजिक सुरक्षा तथा पोषण।	२२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण। २२३६, पोषण।	. .	१,७२,०२,६४,०००	. . .	१,७२,०२,६४,०००
		कुल—महिला तथा बाल विकास विभाग।	. .	१,७२,०२,६४,०००	. . .	१,७२,०२,६४,०००
		जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग				
वाय-२	जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	२२१५, जल आपूर्ति तथा स्वच्छता।	. .	३०,६७,००,०००	. . . .	३०,६७,००,०००
		कुल—जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभाग।	. .	३०,६७,००,०००	. . . .	३०,६७,००,०००
		रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग				
जेड-क-१	सचिवालय तथा अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२२३०, श्रम तथा नियोजन। २२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ	. .	६,६७,५३,०००	. . . .	६,६७,५३,०००
		कुल—रोजगार तथा स्व-रोजगार विभाग।	. .	६,६७,५३,०००	. . . .	६,६७,५३,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग				
जेड घ-१	सचिवालय और अन्य सामाजिक सेवाएँ।	२०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाएँ। २२०२, सामान्य शिक्षा। २२२०, सूचना तथा प्रचार। २२५१, सचिवालय–सामाजिक सेवाएँ।	. .	४०,००,०००	. . .	४०,००,०००

जेड घ-२	कला तथा संस्कृति।	२२०५, कला तथा संस्कृति।	. .	१८,६४,३०,०००	. . .	१८,६४,३०,०००
जेड घ-४	पर्यटन।	३४५२, पर्यटन।	. .	७१,२५,००,०००	. . .	७१,२५,००,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक कार्य विभाग।	. .	९०,२९,३०,०००	. . .	९०,२९,३०,०००
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
जेड ङ -१	अल्पसंख्यक विकास।	२०५२, सचिवालय—सामान्य सेवाएँ। २०५३, जिला प्रशासन । २०७५, विविध सामान्य सेवाएँ। २२०५, कला तथा संस्कृति। २२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण।		१,२१,७१,००,०००	. . .	१,२१,७१,००,०००
		कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग।	. .	१,२१,७१,००,०००	. . .	१,२१,७१,००,०००
		कुल—क-राजस्व लेखे पर व्यय।		१,२१,७०,५५,५७,०००	१,१२,४८,०००	१,२१,७१,६८,०५,०००
		ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय				
		सामान्य प्रशासन विभाग				
ए-९	अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर पूंजीगत व्यय।	४०५९, लोकनिर्माण पर पूंजीगत व्यय। ४०७०, अन्य प्रशासकीय सेवाओं पर पूंजीगत व्यय।	. .	१,०३,००,००,०००	. . .	१,०३,००,००,०००
		कुल—सामान्य प्रशासन विभाग।	. .	१,०३,००,००,०००	. . .	१,०३,००,००,०००
		गृह विभाग				
बी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५५, सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय।		१,२५,८०,०००	. . .	१,२५,८०,०००
बी-१२	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	६७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए कर्ज।	. .	४,००,००,०००	. . .	४,००,००,०००
		कुल—गृह विभाग।	. .	५,२५,८०,०००	. . .	५,२५,८०,०००
		राजस्व तथा वन विभाग				
सी-१०	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय। ४४१५, कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ६४०१, कृषि कर्म के लिए कर्ज।	. .	६०,०१,०००	. . .	६०,०१,०००
		कुल—राजस्व तथा वन विभाग।	. .	६०,०१,०००	. . .	६०,०१,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		नगरविकास विभाग				
एफ-५	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,३८,४५,००,०००	. . .	२,३८,४५,००,०००
एफ-७	नगर विकास के लिए कर्ज।	६२१७, नगर विकास के लिए कर्ज।	. .	५,००,००,०००	. . .	५,००,००,०००
		कुल—नगर विकास विभाग	. .	२,४३,४५,००,०००	. . .	२,४३,४५,००,०००
		वित्त विभाग				
जी-८	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०७०, अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२५,००,००,०००	. . .	२५,००,००,०००
		कुल—वित्त विभाग।	. .	२५,००,००,०००	. . .	२५,००,००,०००
		लोक निर्माण कार्य विभाग				
एच-७	सामाजिक सेवाओं तथा आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५५, पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१६, आवास पर पूंजीगत परिव्यय। ५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१०,२६,५१,०८,०००	. . .	१०,२६,५१,०८,०००
एच-८	लोकनिर्माण कार्य तथा प्रशासनिक तथा कार्यविषयक भवनों पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१७, नगर विकास पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२३५, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	४,७२,५०,४२,०००	१७,५८,०००	४,७२,६८,००,०००

एच-९	प्रादेशिक असंतुलन दूर करने के लिए पूंजीगत परिव्यय। . .	४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१,९७,६१,०००	. . .	१,९७,६१,०००
		कुल—लोकनिर्माण कार्य विभाग।	. .	१५,००,९९,११,०००	१७,५८,०००	१५,०१,१६,६९,०००
		जलस्रोत विभाग				
आय-५	सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। . .	४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ४७११, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४८०१, विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२८,२३,९४,२०,०००	६,००,०००	२८,२४,००,२०,०००
		कुल—जलस्रोत विभाग।	. .	२८,२३,९४,२०,०००	६,००,०००	२८,२४,००,२०,०००
		उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग				
के-१०	उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय। ४८७५, अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय। ६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।	. .	८७,४१,००,०००	. . .	८७,४१,००,०००
		कुल—उद्योग, ऊर्जा तथा श्रम विभाग।	. .	८७,४१,००,०००	. . .	८७,४१,००,०००
		ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग				
एल-७	ग्रामविकास पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०२, मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय। ४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय। ६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	१,१२,६०,००,०००	. . .	१,१२,६०,००,०००
		कुल—ग्रामविकास तथा जल संरक्षण विभाग।	. .	१,१२,६०,००,०००	. . .	१,१२,६०,००,०००
		खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग				
एम-४	खाद्य पर पूंजीगत परिव्यय।	४४०८, खाद्य, भंडारकरण तथा गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय।		२५,०७,७४,७०,०००	. . .	२५,०७,७४,७०,०००
एम-५	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	५४७५, अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।		३०,००,०००	. . .	३०,००,०००
		कुल—खाद्य, सिविल आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग।	..	२५,०८,०४,७०,०००	. . .	२५,०८,०४,७०,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		योजना विभाग				
ओ-१०	अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।	४५१५, अन्य ग्रामविकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय। ५४५२, पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय।		६१,९३,८१,०००	. . .	६१,९३,८१,०००
ओ-१२	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	५४६५, सामान्य वित्तीय तथा व्यापारी संस्थाओं में विनिधान।	. .	२१,९६,६७,०००	. . .	२१,९६,६७,०००
		कुल—योजना विभाग।	. .	८३,९०,४८,०००	. . .	८३,९०,४८,०००
		लोकस्वास्थ्य विभाग				
आर-३	चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत व्यय।	४२१०, चिकित्सा तथा लोकस्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	१८,८०,००,०००	. . .	१८,८०,००,०००
		कुल—लोकस्वास्थ्य विभाग।	. .	१८,८०,००,०००	. . .	१८,८०,००,०००
		जनजाति विकास विभाग				
टी-६	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना पर पूंजीगत परिव्यय।	४०५९, लोकनिर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय। ४२०२, शिक्षा, क्रीड़ा, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय। ४२१०, चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय। ४२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। ४२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०२, मृदा तथा जलसंरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय। ४४०३, पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	२,३१,८०,०३,०००	. . .	२,३१,८०,०३,०००

		४४०५, मत्स्योद्योग पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४०६, वन तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०१, बड़ी तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४७०२, लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय।				
		५०५४, सड़क तथा पुल पर पूंजीगत परिव्यय।				
टी-७	जनजाति क्षेत्र विकास उप-योजना के लिए कर्ज।	६२२५, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गों के कल्याण के लिए कर्ज।	. .	२७,००,०००	. . .	२७,००,०००
		६२५०, अन्य सामाजिक सेवाओं के लिए कर्ज।				
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
		कुल—जनजाति विकास विभाग।	. .	२,३२,०७,०३,०००	. . .	२,३२,०७,०३,०००
		सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग				
वी-३	सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	४४२५, सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,७७,८४,९८,०००	. . .	३,७७,८४,९८,०००
		४४३५, अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय।				
		४८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय।				
वी-५	आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय।	६२१६, आवास के लिए कर्ज।	. .	२५,०८,२१,०००	. . .	२५,०८,२१,०००
		६४२५, सहकारिता के लिए कर्ज।				
		६८५१, ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज।				
		कुल—सहकारिता, विपणन तथा वस्त्रोद्योग विभाग।	. .	४,०२,९३,१९,०००	. . . .	४,०२,९३,१९,०००
		पर्यटन तथा सांस्कृतिक विभाग				
झेड घ-५	कला तथा सांस्कृति	४२०२, कला तथा सांस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय।	. .	३,००,००,०००	. . .	३,००,००,०००
		कुल—पर्यटन तथा सांस्कृतिक विभाग।	. .	३,००,००,०००	. . .	३,००,००,०००

अनुसूची—जारी

(१)	(२)	(३)		(४)		
				रुपये	रुपये	रुपये
		अल्पसंख्यक विकास विभाग				
झेड़ डः-२	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय।	४२३५,	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। . .	१५,१०,००,०००	. . .	१५,१०,००,०००
			कुल—अल्पसंख्यक विकास विभाग। . .	१५,१०,००,०००	. . .	१५,१०,००,०००
			कुल—ख-पूंजीगत लेखे पर व्यय . .	८१,६६,१०,५२,०००	२३,५८,०००	८१,६६,३४,१०,०००
			कुलयोग। . .	२,०३,३६,६६,०९,०००	१,३६,०६,०००	२,०३,३८,०२,१५,०००

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2014.

THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY (AMENDMENT AND CONTINUANCE) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXII OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA ENTERTAINMENTS DUTY, ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २२, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, महाराष्ट्र के राज्यपालने, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने के लिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया है) १० फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया था ;

सन् १९२३ का महा. १।

और क्योंकि, २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्र. २ के रुप में २४ फरवरी २०१४ को प्रस्तुत किया गया था ;

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ४।

और क्योंकि, उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसान हो जाने के कारण राज्य विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, राज्य विधानमंडल के पुनःसमवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह की अवधि समाप्त होने के पश्चात्, अर्थात दिनांक ६ अप्रेल २०१४ के बाद, प्रवर्तित होने से परिविरत हो जाएगा ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था ;

और क्योंकि, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ; और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधो का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था; और, इसलिए, महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, २५ जून २०१४ को प्रख्यापित हुआ था ;

और क्योंकि, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ कहलाये।

(२) यह २५ जून २०१४ से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९२३ का १ की धारा २ के १ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा २ में,- सन् १९२३ का १।

(एक) खण्ड (क-क१) के बाद, निम्न खण्डों की निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :–

" (क-क २) "केबल ऑपरेटर" का तात्पर्य, केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, १९९५ की धारा २ के उपबंधों के अनुसार, केबल ऑपरेटर के क्षेत्र में अधिसूचित क्षेत्र में रजिस्ट्रीकृत किये गये किसी व्यक्ति या कंपनी या बहुप्रणाली ऑपरेटर से भी है और जो निवासी या अनिवासी स्थानों पर टेलिविजन सेटों के अंशदाताओं को फिल्में या चल चित्रपट या चल चित्रपटों की शृंखलाओं को प्रदर्शन के लिए पुनःप्रसारण डिजिटल टेलिविजन सिग्नल को संस्थापित करता है उससे है ; सन् १९९५ का ७।

(क-क ३) "स्थानिय केबल ऑपरेटर का तात्पर्य, किसी व्यक्ति या कंपनी से है, जो बहुप्रणाली ऑपरेटर से डिजिटल टेलिविजन सिग्नल स्वीकृत करता है और अंशदाताओं द्वारा अदायगी पर निवासी या अनिवासी स्थानों पर पुनःप्रसारण करता है ;";

(दो) खंड (क-क) के बाद, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा :–

" (क-कख) "बहु-प्रणाली ऑपरेटर" का तात्पर्य, उस केबल ऑपरेटर से है जो प्रक्षेपक या उसकी अधिकृत एजेंसीओं से कार्यक्रम सेवाएँ प्राप्त करता है और उसकी स्वयंकी कार्यक्रम सेवा में से पुनःप्रसारित या प्रसारित करता है, या तो साथ-साथ प्राप्ति द्वारा बहुउद्देशीय अंशदाताओं को सीधे या एक या एक से अधिक स्थानीय केबल ऑपरेटर से करता है और उसमें उसकी अधिकृत वितरण एजेंसियाँ सम्मिलित होंगी, चाहे जो भी नाम दो।";

(तीन) खंड (ग) का उप-खंड (पाँच) अपमार्जित किया जायेगा।

सन १९२३ का १ की धारा ३ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ३ में, विद्यमान उप-धारा ४, उसके खंड (क) के रूप में पुनःक्रमांकित की जायेगी और इसप्रकार पुनःक्रमांकित किये गये खंड (क) के बाद, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

"(ख) इस अधिनियम की उप-धारा २ में या किसी अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वहाँ निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दर पर मनोरंजन शुल्क राज्य सरकार को बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर द्वारा अदा किया जायेगा प्रति टेलिविजन सेट जो रेडिओ फ्रीक्वन्सी सिग्नल प्राप्त करके फिल्मों के प्रदर्शन या चलचित्र चित्रपट या चित्रपटों की श्रृंखलाओ के साथ किसी भी प्रकार के अँटीना की सहायता से प्रदर्शन करता है या किसी अन्य उपस्कर से सुरक्षित प्रसारण के जरिये केबल नेटवर्क या केबल टेलिविजन संलग्न करता है या उसके जरिये इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिविजन चलाता है।

(ग) स्थानिक केबल ऑपरेटर, कनेक्शन धारक से मनोरंजन शुल्क वसूल करेगा और समय के भीतर बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर को उसे सौंप देगा जहाँ बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर रजिस्ट्रीकृत है या सीधे राज्य सरकार को भुगतान करेगा। जहाँ बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर रजिस्ट्रीकृत नहीं है तथापि मनोरंजन शुल्क, टेलिविजन सेटों पर उद्ग्रहित किया जायेगा जो निम्न तालिका में विनिर्दिष्ट दरों पर पूर्व क्रियान्वित रेडिओ फ्रिक्वन्सी सिग्नलों और क्रियान्वित सेट टॉप बॉक्स के जरिए प्राप्त करता है।

(घ) खंड (ख) और (ग) के उपबंधों के अधीन, देय मनोरंजन शुल्क के सुरक्षित उद्ग्रहण, वसूली और भुगतान के लिए बहुउद्देशीय प्रणाली ऑपरेटर या केबल ऑपरेटर, ऐसी सुरक्षित जमा और ऐसी सूचना जिला कलक्टर को जुटायेगा जैसा कि विहित किया जाये।"।

सन् १९२३ का १ की धारा ५ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ५ में, "जुर्माना पाँच सौ रुपयों से कम नहीं और एक हजार रूपये से अधिक नहीं" शब्दों के स्थान में, "जुर्माना प्रत्येक अधिकारी के लिए पच्चास हजार रूपये से कम नहीं या राजस्व हानि के दस गुना, जो भी अधिक हो शब्द रखे जायेंगे।"

सन् १९२३ का १ की धारा ७ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ७ में, खंड (ग) के बाद, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :–

" (गक) धारा ३ की उप-धारा (४) के खंड (घ) के अधीन कलक्टर को प्रस्तुत की जानेवाली सुरक्षित जमा की रकम और जिसमें जानकारी प्रस्तुत की जायेगी उसका प्ररुप भी विहित करने के लिए "।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १०।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. १० का निरसन तथा व्यावृत्ति।

६. (१) महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कोई बात या की गई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या जारी आदेश समेत,), इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, ली गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

सन् १९२३ का १।

कठिनाईयों का निराकरण करने की शक्ति।

७. इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित महाराष्ट्र मनोरंजन शुल्क अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, जैसा अवसर उद्‌भूत है **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधों से अब असंगत कोई ऐसे आदेश दे सकेगी जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो :

परंतु, इस अधिनियम में, प्रारंभण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIII OF 2014.

AN ACT TO AMEND THE MAHARASHTRA MONEY-LENDING (REGULATION) ACT, 2014

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २३, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, २०१४ में संशोधन करने संबंधी अधिनियम।

सन् २०१४ का महा. ८।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, २०१४ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम।

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

सन् २०१४ का महा. ८ की धारा २ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र साहूकारी (विनियमन) अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(क) खंड १३ के, उप-खंड (य) में, " तीन हजार " शब्दों के स्थान में, " तीन लाख " शब्द रखे जायेंगे,— सन् २०१४ का महा. ८।

(ख) खंड १९ के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा :—

" (१९) "मान्यता प्राप्त भाषा" का तात्पर्य मराठी, गुजराती, हिंदी या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य भाषा से है। "।

सन् २०१४ का महा. ८ की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ के प्रथम परंतुक में, " परामर्श के बाद, " शब्दों के स्थान में " के द्वारा सिफारिशों के बाद " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१४ का महा. ८ की धारा ७ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा ७ में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

" परंतु, अनुसूचित क्षेत्रो में, रजिस्टर, ग्राम पंचायत स्तर पर बनाए रखा जायेगा।"।

सन् २०१४ का महा. ८ की धारा १२ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा १२ की, उप-धारा (१) में " सौ रुपये जो भी अधिक हो " शब्दों के स्थान में " पचास हजार रुपये जो भी कम हो " शब्द रखे जायेंगे।

६. मूल अधिनियम की धारा १४ की, उप-धारा (१) में, " १०० रुपये " अक्षरों और अंकों के स्थान में " पाँच सौ रुपये " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१४ का महा. ८ की धारा १४ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा १५ में, " धारा १४ " शब्द तथा अंकों के स्थान में " धाराएँ १४ और १८ " शब्द तथा अंक रखे जायेंगे। सन् २०१४ का महा. ८ की धारा १५ में संशोधन।

८. मूल अधिनियम की धारा १८ की, उप-धारा (१) में " पाँच वर्ष " शब्दों के स्थान में " पंद्रह वर्ष " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१४ का महा. ८ की धारा १८ में संशोधन।

९. मूल अधिनियम की धारा २३ में, " कर्ज की वास्तविक रकम " शब्दों के स्थान में " कर्ज की वास्तविक रकम और व्याज की दर " शब्द निविष्ट किए जायेंगे। सन् २०१४ का महा. ८ की धारा २३ में संशोधन।

१०. धारा ३१ की, उप-धारा (१) में, निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. ८ की धारा ३१ में संशोधन।

" परंतु, अनुसूचित क्षेत्र में, साहूकार द्वारा प्रभारित की जानेवाली ब्याज की दरें, **ग्रामसभा** द्वारा नियत की जायेगी, जो इस उप-धारा के अधीन सरकार द्वारा नियत की गई व्याज की अधिकतम दरों से अधिक नहीं होगी। "।

११. मूल अधिनियम की धारा ४५ में, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :— सन् २०१४ का महा. ८ की धारा ४५ में संशोधन।

" परंतु, व्यक्ति जो ऐसे गृह या स्थान में केवल या सूचना संसूचित करने जाता है प्राप्त कर या है तो वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए उत्पीड़ित किया गया नहीं समझा जायेगा।"।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2014.

THE MAHARASHTRA POLICE (AMENDMENT AND CONTINUANCE) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, मा. राज्यपाल की अनुमति दिनांक २४ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXIV OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA POLICE ACT.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २५ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम मे अधिकतर संशोधन करने के दृष्टि से, महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ (जिसे इसमें आगे " उक्त अध्यादेश " कहा गया है) १ फरवरी २०१४ को प्रख्यापित किया था ; सन् १९५१ का २२। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३।

और क्योंकि २४ फरवरी २०१४ को राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने पर, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रूप में बदलने के लिए एक विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में सन् २०१४ का विधानसभा विधेयक क्र. ३ के रूप में २४ फरवरी २०१४ को प्रस्तुत किया गया था।

और क्योंकि उक्त विधेयक राज्य विधानमंडल का २८ फरवरी २०१४ को सत्रावसान हो जाने के कारण पारित नहीं किया जा सका था ;

और क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ (२) (क) द्वारा यथा उपबंधित उक्त अध्यादेश, ६ अप्रैल २०१४ के बाद राज्य विधानमंडल के पुन:समवेत होने के दिनांक से छह सप्ताह के अवसान के पश्चात् प्रवृत्त होने से परिविरत हो जाएगा।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखना इष्टकर समझा गया था।

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, उक्त अध्यादेश के उपबंधों का प्रवर्तन जारी रखने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४, ५ अप्रैल २०१४ को प्रख्यापित हुआ था। सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ८।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर हैं, इसलिए, भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह १ फरवरी २०१४ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् १९५१ का २२।

सन् १९५१ का २२ की धारा २ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम (जिसे इसमें आगे " मूल अधिनियम " कहा गया है) की धारा २ के,—

(क) खण्ड (१) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१क) " सक्षम प्राधिकारी " का तात्पर्य, धारा २२ढ में उल्लिखित सक्षम प्राधिकारी से है ; " ;

(ख) खण्ड (६) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (६क) " साधारण स्थानान्तरण " का तात्पर्य, दो वर्षों का साधारण पदावधि पूर्ण होने के पश्चात् प्रत्येक वर्ष के अप्रैल और मई महीने में पुलिस दल में के पुलिस कार्मियोंका एक पद, कार्यालय या विभाग से अन्य पद, कार्यालय या विभाग में तैनाती होने से है ;

(६ख) " मध्यावधि स्थानान्तरण " का तात्पर्य, साधारण स्थानान्तरण से अन्य पुलिस दल में पुलिस कार्मिकों के स्थानान्तरण से हैं ;" ;

(ग) खण्ड (१०) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" (१०क) " पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ ", " पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ ", " श्रेणी स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड " और " आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना " का तात्पर्य, क्रमशः धारा २२ग, २२ङ, २२छ और २२झ के अधीन गठित बोर्ड से है ;" ;

(घ) खण्ड (११) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे, अर्थात् :—

" (११क) " पुलिस कार्मिक " का तात्पर्य, इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या नियुक्त किये गये समझे जानेवाले पुलिस दल के किसी सदस्य से है ;

(११ख) " पद " का तात्पर्य, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक की स्थापना पर सृजित किये गये किसी पद और इसमें राज्य या केंद्र के प्रतिनियुक्ति पर पुलिस कार्मिकों के लिए समनुदेशित पद शामिल करने, से है ;" ;

(ङ) खण्ड (१४) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किये जायेंगे अर्थात् :—

" (१४क) " धारा " का तात्पर्य, इस अधिनियम की धारा से है ;

(१४ख) " राज्य सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है ;

(१४ग) " राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण " और " प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण " का तात्पर्य, क्रमशः धारा २२त और धारा २२ध के अधीन गठित प्राधिकरण से है ;

(१४घ) " राज्य सुरक्षा आयोग " का तात्पर्य, धारा २२ख के अधीन गठित राज्य सुरक्षा आयोग से है ;" ।

सन् १९५१ का २२ की धारा ६ में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की धारा ६ की उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धाराएँ निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

" (१क) पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक का चयन राज्य सरकार द्वारा सेवा का उनका पदावधि, बहुत अच्छी सेवा अभिलेख, अनुभव का क्षेत्र, ईमानदारी और पुलिस दल का प्रमुख होने के लिए व्यावसायिक क्षमता के आधार पर चार ज्येष्ठतम पुलिस अधिकारियों में से किया जायेगा।

(१ख) एक बार नियुक्ति होने पर, पुलिस के महानिदेशक और महानिरीक्षक का न्यूनतम पदावधि अधिवर्षिता की उसकी आयु के अध्यधीन, कम से कम दो वर्षों का होगा । तथापि, पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन और अपील), नियम, १९६९ के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही पर या निम्न विधि के न्यायालय में उसे दोषसिद्ध या भ्रष्टाचार के मामले में या अपने कर्तव्य की भारी अवहेलना या यदि वह अपने कर्तव्य के निर्वहन से अन्यथा असमर्थ है तो तद्नुसार, राज्य सरकार द्वारा उसकी जिम्मेदारी से मुक्त किया जा सकेगा ।" ।

सन् १९५१ का २२ में अध्याय दो-क की निविष्टि।

४. मूल अधिनियम की धारा २२क के पश्चात्, निम्न अध्याय निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

" अध्याय दो–क

राज्य सुरक्षा आयोग, पुलिस स्थापना बोर्ड और पुलिस शिकायत प्राधिकरण ।

राज्य सुरक्षा आयोग ।

२२ख. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन आयोग को समनुदेशित किया जाए ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए, राज्य सुरक्षा आयोग गठित करेगी ।

(२) राज्य सुरक्षा आयोग, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) गृह विभाग के प्रभारी मंत्री	...	पदेन अध्यक्ष ;
(ख) राज्य विधानसभा के विरोधीपक्ष नेता	...	सदस्य ;
(ग) मुख्य सचिव	...	सदस्य ;
(घ) अपर मुख्य सचिव (गृह)	...	सदस्य ;
(ङ) पाँच गैर-सरकारी सदस्य (राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जानेवाले)	...	सदस्य ;
(च) पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक	...	सदस्य सचिव :

(३) उप-धारा (१) के अधीन राज्य सुरक्षा आयोग के गठन पर दिनांकित १० जुलाई २०१३ के अपने सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित पहले का राज्य सुरक्षा आयोग अस्तित्वहीन होगा :

परन्तु, पहले के राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और रिपोर्ट इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य सुरक्षा आयोग द्वारा की गई है मानों कि प्रवर्तमान जारी रहेगा ।

(४) कोई व्यक्ति यदि वह,—

(क) भारत का नागरिक नहीं है ; या

(ख) विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है या जिसके विरुद्ध आपराधिक आरोप विधि के न्यायालय द्वारा विरचित किये गये है ; या

(ग) सरकारी सेवा, अर्धसरकारी या निजी सेवा से पदच्युत या हटाया गया है या भ्रष्टाचार या अयोग्यता या नैतिक अधमता या किसी भी किस्म का दुराचार के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया हो ; या

(घ) कोई सार्वजनिक पद धारण करने से या कोई निर्वाचन लड़ने से विवर्जित किया जायेगा ; या

(ङ) संसद या राज्य विधानमंडल या स्थानीय निकाय के सदस्य समेत, कोई राजनीतिक पद धारण करता है या धारण किया है, या राजनीतिक पक्ष से संबंधित किसी राजनीतिक पक्ष या किसी संगठन का पदधारी है या था ; या

(च) विकृत चित्त का है, तो राज्य सुरक्षा आयोग के सरकारी सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किये जायेंगे ।

(५) उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन गैर शासकीय सदस्यों का नामनिर्देशन करते समय, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए । इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों में से कम से कम एक महिला होगी और एक पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों में से होगा । गैर सरकारी सदस्य स्थूल रूप से निम्न विद्याशाखाओं में से होंगे :—

(क) परिषद-सदस्य, मुक्त कला, संचार और प्रसार माध्यम ;

(ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषत: सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी से संबंधित निगरानी और सुरक्षा ;

(ग) विधि क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति ;

(घ) निगमित अनुशासन ;

(ङ) महिला तथा बाल विकास, सामाजिक न्याय, जनजाति विकास, ग्राम विकास या शहरी विकास के क्षेत्र में गैर-सरकारी संघटनाओं का कामकाज।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनार्थ, " पिछड़ा वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों से है ।

(६) उप-धारा (२) के खण्ड (ङ) के अधीन, नामनिर्दिष्ट गैर सरकारी सदस्य को किंन्ही निम्न आधार पर राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष द्वारा हटाया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) अयोग्यता साबित करना ;

(ख) दुराचार या अधिकारों का दुर्व्यवहार या दुरूपयोग साबित करना ;

(ग) पर्याप्त कारण के बिना, राज्य सुरक्षा आयोग की लगातार तीन बैठको में उपस्थित होने के लिए असमर्थ होना :

परन्तु, किसी भी सदस्य को इस खण्ड के उपबंधो के अधीन उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिन्त हटाया नहीं जायेगा ;

(घ) मानसिक दुर्बलता के कारण द्वारा अक्षमता ;

(ङ) सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये असमर्थ होने से अन्यथा ; या

(च) विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध या जहाँ विधि के न्यायालय द्वारा इसके विरुद्ध प्रभार विरचित किये गये है ।

(७) राज्य सुरक्षा आयोग के गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्षों की होगी । ऐसे पद के अन्य निबन्धन और शर्तें राज्य सरकार द्वारा जैसा विहित किया जाए, ऐसी होगी ।

(८) राज्य सुरक्षा आयोग यथा निम्न शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का अनुपालन करेगी :—

(क) पुलिस दल देश के विधि और भारत के संविधान के अनुसार हमेशा कार्य करेगा इसकी सुनिश्चित करने समेत राज्य में पुलिस दल के कृत्यों के लिये व्यापक मार्गदर्शक नीति अधिकथित करेगा ;

(ख) पुलिस दल के निवारक कार्य और सेवाभिमुख कृत्यों के अनुपालन के लिए व्यापक सिद्धांत बनाना ; और

(ग) पुलिस दल के अनुपालन का मूल्यांकन।

(९) राज्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष उचित समझे ऐसे समय और स्थान में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार बैठक लेगा और अपने कारोबार के संव्यवहार संबंधि ऐसी प्रक्रिया का अवलोकन करेगा ।

(१०) राज्य सुरक्षा आयोग की सिफारिशें परामर्श स्वरूप की होगी ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ ।

२२ग. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम प्रयोजनों के लिये, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) अपर मुख्य सचिव (गृह)	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस महानिदेशक और महानिरिक्षक	...	उपाध्यक्ष ;
(ग) महानिदेशक और भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	...	सदस्य ;
(घ) पुलिस आयुक्त, मुंबई	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (स्थापना)	...	सदस्य सचिव :

परन्तु, पिछड़े वर्ग से यदि कोई उपर्युक्त सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार, ऐसे वर्ग के पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १ के कृत्य ।

२२घ. पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, धारा २२ग की उप-धारा (१) के अधीन गठित बोर्ड वेतन और भत्तों को छोडकर, पुलिस अधिकारियों की सेवा शर्तों संबंधी राज्य सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकेगी ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड निम्न सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात् :—

(क) पुलिस अधिकारियों की तैनाति और स्थानांतरण संबंधी विनिश्चय करना ;

(ख) उनकी पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ और अन्य सेवा मामलों संबंधी पुलिस अधिकारियों से बोर्ड व्दारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकरण को समुचित सिफारिशें करना ।

(३) बोर्ड राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को समय-समय से समनुदेशित किया जाए ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए, "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप-अधीक्षक की श्रेणी से ऊपर के पुलिस अधिकारी से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २।

२२ङ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पुलिस स्थापन बोर्ड क्रमांक २ नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक	...	अध्यक्ष ;
(ख) महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोध ब्यूरो	...	सदस्य ;
(ग) पुलिस आयुक्त, मुंबई	...	सदस्य ;
(घ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (कानून और व्यवस्था)	...	सदस्य ;
(ड़) सचिव या यथास्थिति, प्रधान सचिव, (अपील और सुरक्षा)	...	सदस्य ;
(च) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक (स्थापना)	...	सदस्य सचिव :

परन्तु, पिछड़े वर्ग से यदि कोई उपर्युक्त सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के अपर महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति) खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछडा प्रवर्ग और अन्य पिछडे वर्गों से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ के कृत्य।

२२च. पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :–

(१) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, धारा २२ड़ की उप-धारा (१) के अधीन गठित बोर्ड वेतन और भत्तों को छोडकर पुलिस अधिकारियों की सेवा की शर्तें संबंधी संबंधित सक्षम प्राधिकारी को समुचित सिफारिशें कर सकेगी । सक्षम प्राधिकारी, उन पर सामान्यतः कार्य करेगा ।

(२) विशिष्टतया और पूर्वगामी कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्न सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा, अर्थात् :–

(क) पुलिस अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण का विनिश्चय करना ;

(ख) उनकी पदोन्नति, अनुशासनात्मक कार्यवाही और अन्य सेवा मामलों संबंधी पुलिस अधिकारियों से बोर्ड व्दारा प्राप्त शिकायतों के संबंध में संबंधित सक्षम प्राधिकारी को समुचित सिफारिशें करना ;

(ग) बोर्ड राज्य सरकार व्दारा समय-समय से, बोर्ड को समनुदेशित की जाए ऐसी अन्य कृत्यों का अनुपालन करेगा ।

(३) खंड (१) और (२) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों से संबंधित तैनाती, अन्तरण और अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में लोकहित और प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं में निदेश देगी और ऐसे निदेश बोर्ड को बाध्यकारी होंगे ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिये, "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस निरीक्षक की अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है ।

श्रेणी स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड।

२२छ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना व्दारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए श्रेणी स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) क्षेत्र पुलिस महानिरीक्षक	...	अध्यक्ष ;
(ख) क्षेत्र के भीतर दो जेष्ठतम पुलिस अधीक्षक	...	सदस्य ;
(ग) पुलिस महानिरीक्षक क्षेत्र के पद में प्रवाचक (पुलिस उप-अधीक्षक)	...	सदस्य सचिव :

परन्तु, उपर्युक्त सदस्यों में, से यदि पिछड़े वर्ग का सदस्य नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के पुलिस अधीक्षक की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगा ।

स्पष्टीकरण.— इस उप-धारा के प्रयोजन के लिये, " पिछड़े वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़ा प्रवर्ग और अन्य पिछड़े वर्गो से है ।

क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२ज. क्षेत्र स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :–

(क) बोर्ड, क्षेत्र के भीतर पुलिस उप निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के मामले से संबंधित सभी अन्तरण, तैनाति, और अन्य सेवा विनिश्चित करेगी।

(ख) बोर्ड, क्षेत्र के बाहर तैनाती और अन्तरण संबंधी पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ को समुचित सिफारिश करने के लिए प्राधिकृत करेगी ।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए " पुलिस अधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है ।

आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड।

२२झ. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड नामक बोर्ड का गठन करेगी ।

(२) आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न सदस्यों के मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(क) पुलिस आयुक्त ... अध्यक्ष ;

(ख) पुलिस संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त या उपायुक्त की श्रेणी में दो वरिष्ठतम अधिकारी । ... सदस्य ;

(ग) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) ... सदस्य सचिव :

परन्तु, उपर्यक्त सदस्य यदि पिछडे वर्ग से नहीं है तब राज्य सरकार ऐसे वर्ग के पुलिस उपायुक्त की श्रेणी के अतिरिक्त सदस्य की नियुक्ति करेगी ।

स्पष्टीकरण.——इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, " पिछड़ा वर्ग " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, निरधिसूचित जनजाति (विमुक्त जाति), खानाबदोश जनजाति, विशेष पिछड़े प्रवर्ग और अन्य पिछडे वर्गों से है ।

आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड के कृत्य।

२२ञ. (१) आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड, निम्न कृत्यों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :—

(क) बोर्ड, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों के सभी अन्तरण, तैनातियाँ और अन्य सेवा संबंधी मामलों का विनिश्चय आयुक्तालय के भीतर करेगा ;

(ख) बोर्ड, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की आयुक्तालय के बाहर तैनाती और अन्तरण संबंधी पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ को समूचित सिफारिशे करने के लिये प्राधिकृत करेगा ।

स्पष्टीकरण.——इस धारा के प्रयोजनों के लिए, " पुलिस अधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप-निरीक्षक से पुलिस निरीक्षक की श्रेणी के पुलिस अधिकारियों से है ।

पुलिस स्थापना बोर्ड नियम और विनियमों का अनुपालन करना।

२२ट. (१) इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का अनुपालन करते समय, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ श्रेणी स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड और आयुक्तालय स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड जैसा कि समय-समय से प्रवृत्त किया जाए ऐसे नियमों और विनियमों समेत विधि के सभी उपबंधो का अनुपालन और अनुसरण करेगा ।

पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड अस्तित्वहीन होंगे।

२२ठ. इस अधिनियम के अधीन पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक १, पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २ श्रेणी स्तर में पुलिस स्थापना बोर्ड और आयुक्तालय स्तर कें पुलिस स्थापना बोर्ड सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित किये गये पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को अस्तित्वहीन होंगे :

परन्तु, संबंधित पहले के पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किये गये विनिश्चय और सिफारिशों का प्रवर्तमान जारी रहेगा मानों कि उसके समान इस अधिनियम के अधीन गठित संबंधित पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा किया गया है ।

राज्य सरकार की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होंगी।

२२ड. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी चाहे किसी भी श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने संबंधी सभी मामलों के संबंध में राज्य सरकार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की शक्तियाँ प्रभावित नहीं होगी ।

पुलिस कार्मियों का साधारण पदावधि और सक्षम प्राधिकारी।

२२ढ. (१) पुलिस दल में किसी पुलिस कार्मिक पदोन्नति या सेवा-निवृत्ति के अध्यधीन एक पद या कार्यालय पर दो वर्षो का साधारण पदावधि होगा । साधारण स्थानान्तरण के लिये सक्षम प्राधिकारी यथा निम्न होंगे, अर्थात् :—

पुलिस कार्मिक		सक्षम प्राधिकारी
(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	...	मुख्यमंत्री ;
(ख) महाराष्ट्र पुलिस सेवा अधिकारी और पुलिस उप-अधीक्षक की श्रेणी के उपर	...	गृहमंत्री ;
(ग) पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों	...	(क) पुलिस स्थापना बोर्ड क्रमांक २। (ख) क्षेत्र स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड। (ग) आयुक्तालय स्तर पर पुलिस स्थापना बोर्ड :

परन्तु, राज्य सरकार यदि,—

(क) पुलिस कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित या अपेक्षित है ; या

(ख) पुलिस कार्मिक को विधि के न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है ; या

(ग) पुलिस कार्मिक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप किए गये है ; या

(घ) अन्यथा पुलिस कार्मिक अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते समय अक्षम पाया है ; या

(ङ) पुलिस कार्मिक कर्तव्यों की अवहेलना का दोषी पाया गया है, तो उनका पदावधि पूरा होने के पूर्व किसी पुलिस कार्मिक का अन्तरण किया जा सकेगा ।

(२) उप-धारा (१) में उल्लिखित आधारों के अलावा, अपवादात्मक मामले में लोकहित में और प्रशासकीय अत्यावश्यकता के कारण सक्षम प्राधिकारी पुलिस दल के किसी पुलिस कार्मिक का मध्यावधि अन्तरण कर सकेगा :

परन्तु, सक्षम प्राधिकारी अपने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को इस उप-धारा के अधीन सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकेगी।

स्पष्टीकरण.—इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिये, " सक्षम प्राधिकारी " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, निम्न से होगा :

पुलिस कार्मिक		सक्षम प्राधिकारी
(क) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	...	मुख्यमंत्री ;
(ख) पुलिस उप-निरीक्षक की श्रेणी के उपर के महाराष्ट्र पुलिस सेवा अधिकारी	....	गृह मंत्री ;
(ग) सहायक पुलिस उप-निरीक्षक की श्रेणी तक के पुलिक कार्मिक	.....	पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक।

कानून एवं व्यवस्था पुलिस से पुलिस अन्वेषण का पृथकरण।

२२ण. (१) प्रत्येक पुलिस थाणे में अपराध शाखा या स्थानीय अपराध शाखा और खोज या अन्वेषण कक्ष यह केवल अपराध के अन्वेषण पर संकेंद्रित होगा और उनपर साधारणत: कानून एवं व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य कर्तव्यों को सौंपा नहीं जायेगा।

(२) यूनिट कमांडर, प्रत्येक यूनिट के अन्वेषण या खोज विंग और कानून एवं व्यवस्था और अन्य विंग के बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण।

२२त. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक प्राधिकरण गठित करेगी।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस महानिरीक्षक की अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधीक्षक अधिकारी।	...	सदस्य ;
(ग) नागरी समाज से प्रतिष्ठित व्यक्ति	...	सदस्य ;
(घ) राज्य सरकार के सचिव से अनिम्न श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारी।	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस अपर महानिदेशक और महानिरीक्षक की अनिम्न श्रेणी के अधिकारी।	...	सदस्य सचिव।

(३) इस अधिनियम के अधीन राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर, सरकारी संकल्प के अधीन गृह विभाग द्वारा गठित पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को अस्तित्वहीन होगा :

परन्तु, पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सामने शिकायतें और जाँच लंबित है तो वह इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से ऐसी शिकायतें या जाँच यदि लंबित है तो वह प्रवर्तित रूप में जारी रहेंगी और वे पहले के राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिशें यदि इस अधिनियम के अधीन गठित राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण द्वारा की गई है तो उसी रूप में जारी रहेंगी।

(४) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिश द्वारा प्रस्तावित नाम के पैनल में से राज्य सरकार द्वारा चुना जायेगा।

राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य।

२२थ. (१) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न शक्तियों और कृत्यों का अनुपालन करेगा :–

(क) **स्वप्रेरणा से या,—**

(एक) पीडित व्यक्ति या अपने परिवार का कोई सदस्य या उसकी ओर से किसी कोई अन्य व्यक्ति ;

(दो) राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग ; और

(तीन) पुलिस

की ओर से पुलिस अधिकारी के विरुद्ध,–

(एक) पुलिस अभिरक्षा में मृत्यू ;

(दो) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३२० के अधीन यथा परिभाषित गहरी चोट ; सन् १८६० का ४५।

(तीन) बलात्कार या बलात्कार करने का प्रयास ;

(चार) निम्न विहित प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या कैद ;

(पांच) भ्रष्टाचार ;

(छह) उद्दापन ;

(सात) भूमि या मकान छीनना ; और

(आठ) जिनमें विधि के किसी उपबंधों का गंभीर उल्लंघन या विधिपूर्ण प्राधिकरण का दुरुपयोग सम्मिलित है किसी अन्य मामले राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उसके द्वारा दायर शिकायत पर जाँच ;

(ख) किसी व्यक्ति को प्राधिकरण की राय में जाँच के मामले के अध्यधीन उपयोग हो सके ऐसे मद्दों या मामलों पर जानकारी प्रस्तुत करनेवाले किसी व्यक्ति की मांग करना।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य, पूर्ण समय आधार पर प्राधिकरण के लिये कार्य करेंगे। वेतन या मानदेय और उन्हें देय अन्य भत्ते, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गैर शासकीय सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तों ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए।

(३) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के सदस्य की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(४) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी भी मामलों की जाँच करते समय, उसे, निम्न मामलों के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के अधीन सिविल वाद का विचारण करते समय, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियाँ होगी:—

सन् १९०८ का ५।

(क) साक्षीयों को समन जारी करना ओर हाजिर करना और उनका शपथ पर परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज की आवश्यक खोज करना और प्रस्तुत करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकार्ड या प्रतिलिपि की आवश्यकता ओं को पूरा करना ;

(ग) शपथपत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) साक्षीदार या दस्तावेज के परीक्षण के लिए कमिशन जारी करना ; और

(च) ऐसा अन्य मामला जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाये ।

(५) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, ऐसे मदों या मामलों पर जानकारी जुटाने के विशेषाधिकार के अध्यधीन, आवश्यक किसी व्यक्ति की जो राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की राज्य में उपयुक्त या सुसंगत होकर जाँच के मामले के संबंधी है और कोई व्यक्ति इसप्रकार अपेक्षित है तो वह भारतीय दंड संहिता की धाराएँ १७६ और १७७ के अर्थान्तर्गत ऐसी जानकारी जुटाने के लिए कानूनी रूप से आबद्ध होगा।

सन् १८६० का ४५।

(६) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, सिविल न्यायालय माना जायेगा और भारतीय दंड संहिता की धाराएँ १७५, १७८, १७९, १८० या २२८ में यथा परिभाषित जब कोई अपराध प्राधिकरण की दृष्टि से या प्राधिकरण के समक्ष घटित हो जाता है तो प्राधिकरण, अपराधी को अभिरक्षा में कैद रखेगा और उसे किसी भी समय पर, उसी दिन को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित करके अपराध का संज्ञेय लेगा और अपराधी को यह कारण दर्शाने के लिये सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा कि क्यों न उसे इस धारा के अधीन दंडित किया जाये, अपराध का दंडादेश जुर्माना दो सौ रुपये से अधिक नहीं होगा और जुर्माने की अदायगी करने की चूक में सामान्य कारावास होगा जिसकी अवधि जबतक ऐसा जुर्माना जल्दी भरा नहीं जाता है तब तक एक महीने तक बढ़ायी जायेगी । यदि राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण किसी मामलो में यह विचार करता है कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ में निर्दिष्ट किन्हीं अपराधों का अभियुक्त व्यक्ति है और उसकी दृष्टि से या उसके समक्ष अपराध करता है तो कारावद्ध होने से अन्यथा जुर्माने की अदायगी में चूक करता है या जुर्माना जो दो सौ रुपयें से अधिक होगा वह उस पर अधिरोपित किया जायेगा या ऐसा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की किसी अन्य कारण के लिए यह राय होती है कि मामला दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा ३४५ के अधीन निपटाया

सन् १९७४ का २।

सन् १९७४ का २।

नहीं जाये तो ऐसा राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अपराध गठित होने के तथ्यों को अभिलिखित करने के बाद और अभियुक्त का कथन इसकेपूर्व उपबंधित करके, उसे विचारण की अधिकारितावाले मजिस्ट्रेट को मामला अग्रेषित करेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने के लिए उसे सुरक्षा देना आवश्यक होगा या यदि पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती हैं तो ऐसे व्यक्ति को ऐसे मजिस्ट्रेट की अभिरक्षा में भेजा जायेगा। मजिस्ट्रेट जिसे कोई ऐसा मामला अग्रेषित किया गया है तो यदि वह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है तो यथाशीघ्र उसके साथ कार्यवाही करेगा।

(७) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण के समक्ष की प्रत्येक कार्यवाही, धाराएँ १९३ और २२८ के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी और भारतीय दंड संहिता की धारा १९६ के प्रयोजन के लिए, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ और अध्याय २६ के समस्त प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय माना जायेगा । सन् १८६० का ४५। सन् १९७४ का २।

(८) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को, जो किसी चोरी या त्रासदी का सामना करने की शिकायत करने के लिए या सबूत जुटाने वाले साक्षीदार, पीडीत और उनके परिवारों को संरक्षण देने की सुनिश्चिति करने के उपायों पर राज्य सरकार को सलाह देनी की शक्ति होगी ।

(९) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का कोई भी सदस्य, लिखित में अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत किया गया है वह किसी भी पुलिस थाने, बन्दीखाना या पुलिस द्वारा उपयोग में लाये गये अवरोधन के किसी स्थान पर भेंट कर सकेगा और यदि वह उचित समझता है तो वह पुलिस अधिकारी द्वारा साथ में जायेगा ।

(१०) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण क्षेत्र जाँच के प्रयोजन के लिए वह उचित समझे ऐसे किसी व्यक्ति को जाँच मामले के विषय में जाँच करने के निदेश देगा और प्राधिकरण को उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

२२द. (१) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण, जाँच पूर्ण करने के बाद, राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाये ऐसे समय के भीतर, राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

(२) राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, राज्य सरकार, निम्न से कोई कदम उठा सकेगी —

(क) राज्य सरकार, रिपोर्ट स्वीकृत करेगी और जबतक उप-धारा (३) में यथा विनिर्दिष्ट रिपोर्ट को खारिज करने की शक्ति का राज्य सरकार प्रयोग नहीं करती है तब तक उसपर कार्य करेगी।

(ख) अनुशासनात्मक कार्यवाहियाँ संस्थित करने के प्रयोजन के लिए, प्रारंभिक जाँच के रूप में उसे समझा जायेगा और तत्पश्चात्, राज्य सरकार या, यथास्थिति, सक्षम प्राधिकारी, दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को संस्थित करने के निदेश देगा ।

(ग) यदि, राज्य पुलिस शिकायत के प्राधिकरण की रिपोर्ट में प्रथमदृष्ट्या कमिशन का मामला संज्ञेय अपराध प्रकट होता है तो राज्य सरकार, उसे संबंधित पुलिस थाने को अग्रेषित करेगी और तत्पश्चात् उसे दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ की धारा १५४ के अधीन प्रथम जानकारी रिपोर्ट के रुप में अभिलिखित करेगा । सन् १९७४ का २।

(३) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, अपवादात्मक मामलों में कारणों को लिखित में अभिलिखित करके राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट को खारिज कर सकेगी ।

(४) राज्य सरकार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट को खारिज करने की दशा में, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण को उस मामले में अतिरिक्त जाँच करना और उस निमित्त नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण.—धारा २२थ और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "पुलिस अधिकारी" अभिव्यक्ति का तात्पर्य, पुलिस उप अधीक्षक या पुलिस सहायक आयुक्त या उपर की श्रेणी के पुलिस अधिकारी से है ।

पुलिस शिकायत प्राधिकरण का प्रभागीय स्तर।

२२ध. (१) राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण नामक प्राधिकरण का गठन करेगी ।

(२) प्रभागीय स्तर पुलिस शिकायत प्राधिकरण, निम्न सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश	...	अध्यक्ष ;
(ख) पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का पुलिस अधिकारी अधीक्षक	...	सदस्य ;
(ग) पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)	...	सदस्य ;
(घ) सिविल सोसायटी से नामचीन व्यक्ति	...	सदस्य ;
(ङ) पुलिस उप-अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी का या समतुल्य का अधिकारी	...	सदस्य-सचिव।

(३) उप-धारा (१) के अधीन, प्रभागीय स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण के गठन पर, दिनांकित १५ जुलाई २०१३ को सरकारी संकल्प के अधीन, गृह विभाग द्वारा पहले गठित जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण, अस्तित्वहीन होगा ।

(४) धारायें २२त, २२थ और २२द के उपबंध, क्रमशः शिकायतें या जाँच और सिफारशों के जारी रहने, अध्यक्ष की नियुक्ति, राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्यों और राज्य सरकार को उसकी रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण संबंधी होकर **यथावश्यक परिवर्तन समेत** प्रभागीय स्तर के पुलिस शिकायत प्राधिकरण को लागू होंगी ।

पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध झुठी शिकायत के लिए अभियोजन।

२२न. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जो भी कोई इस अध्याय के अधीन, पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई झूठी या छिछोरी शिकायत दर्ज करता है तो, दोषसिद्धि पर, दो वर्ष तक बढाये जा सकनेवाले अन्य विवरण के कारावास के साथ या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जायेगा और यदि ऐसी कार्यवाही फाँसी, आजीवन कारावास के दंडनीय किसी अपराध के झूठे प्रभार पर या सात वर्षों के या बढ़ाये गये कारावास से संस्थित की जाती है तो सात वर्ष की अवधि तक बढ़ाये जाये ऐसी अवधि के अन्य विवरण के कारावास से दंडनीय होगी और जुर्माने के लिए भी दायी होगी ।

सन् १९७४ का २।

(२) न्यायालय द्वारा उप-धारा (१) के अधीन किसी अपराध का संज्ञत्र लेने के लिए दंड प्रकिया संहिता, १९७३ की धारा १९५ के उपबंध **यथावश्यक परिवर्तन समेत** लागू होंगे ।

(३) इस अधिनियम के अधिक झूठी या छिछोरी शिकायत करनेवाले व्यक्ति के दोषसिद्धी के मामले में ऐसी व्यक्ति संबंधित पुलीस अधिकारी जिसके विरूद्ध उसने झूठी या छिछोरी शिकायत की है उसे क्षतिपूर्ति देने का, इसके अतिरिक्त मामला लड़ने के लिए कानूनी खर्च देने का दायी होगा, जिसके लिए न्यायालय क्षतिपूर्ति हेतु, उप-धारा (२) के अधीन अवधारण के लिए विचारण करेगा ।

(४) इस धारा में अंतर्विष्ट न होते हुए भी, सद्भावनापूर्वक की गई शिकायतों के मामले में यह लागू होगा ।

सन् १८६० का ४५।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "सद्भावनापूर्वक" शब्द की अभिव्यक्ति, भारतीय दंड संहिता की धारा ५२ सें समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी। " ।

सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

५. (१) महाराष्ट्र पुलिस (संशोधन और जारी रहना) अध्यादेश, २०१४ एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है । सन् २०१४ का महा. अध्या. क्र. ३ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए की, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तस्थानी उपबंधो के अधीन कृत कोई बात या या की गई कार्यवाही जारी किसी आधिसूचना या आदेश समेत इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थांनी उपबंधो के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

६. (१) यदि इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबंधो से असंगत ऐसे निर्देश दे सकेगी जो उसे कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतित हों।

परंतु, ऐसा आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण की दिनांक से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात्, नहीं बनाया जायेगा ।

(२) उप-धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसे बनाये जाने के पश्चात, यथासंभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2014.

THE CITY OF MUMBAI PRIMARY EDUCATION, THE MAHARASHTRA PRIMARY EDUCATION, THE HYDERABAD COMPULSORY PRIMARY EDUCATION AND THE MADHYA PRADESH PRIMARY EDUCATION (REPEAL) ACT, 2013.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXV OF 2014.

AN ACT TO REPEAL THE CITY OF MUMBAI PRIMARY EDUCATION ACT, THE MAHARASHTRA PRIMARY EDUCATION ACT, THE HYDERABAD COMPULSORY PRIMARY EDUCATION ACT, 1952 AND THE MADHYA PRADESH PRIMARY EDUCATION ACT, 1956 AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH OR INCIDENTAL THERETO.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक XXV, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५२ और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५६ निरसित करने के लिये और तत्संबंधी या उससे अनुषांगिक अन्य मामलो का उपबंध करने संबंधी अधिनियम।

सन् १९२० का १५। सन् १९४७ का ६१। सन् १९५२ का हैद्राबाद ४०। सन् १९५६ का मध्यप्रदेश २३।

क्योंकि प्राथमिक शिक्षा का विकास और विस्तार सुनिश्चित करने के प्रयोजनां के लिये, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, ..., महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, हैद्राबाद, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५२ और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५६ अधिनियमित किये गये थे और यह महाराष्ट्र राज्य के कतिपय क्षेत्रों में लागू किये गये थे ;

और क्योंकि उक्त अधिनियमों के उपबंधों में एकरुपता नहीं थी ;

और क्योंकि भारत के संविधान में संविधान के (छियासिवाँ संशोधन) अधिनियम, २००२ द्वारा अनुच्छेद २१-क निविष्ट किया गया है जिसमें छह से चौदह आयुसमुह के सभी बच्चों को मुलभूत अधिकार के रुप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है ;

सन् २००९ का ३५।

और क्योंकि उक्त संविधानिक संशोधन को लागू करनें के लिये, भारत सरकार ने बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ अधिनियमित किया गया है और १ अप्रैल २०१० से लागू किया गया है ;

और क्योंकि उक्त केंद्रीय अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, उक्त राज्य अधिनियमों के कुछ उपबन्ध निरर्थक होते थे ;

और क्योंकि महाराष्ट्र राज्य में प्राथमिक शिक्षा पद्धति में एकरुपता लाने के लिए और बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के उपबंधों का कड़ाई से कार्यान्वयन करने के लिए सरकार ने उक्त राज्य अधिनियम निरसित करना इष्टकर समझा था ; सन् २००९ का ३५।

और क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनो सदनों का सत्र नही चल रहा था ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका था कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हे इसमें आगे दर्शित प्रयोजनो के लिये, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, ..., महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५२ और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५६ को निरसित करने के लिए और तत्संबंधी या उससे अनुषांगिक मामलों का उपबंध करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिये, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा (निरसन) अध्यादेश, २०१३, १ जुलै २०१३ को प्रख्यापित किया गया था। सन् १९२० का १५। सन् १९४७ का ६१। सन् १९५२ का हैद्राबाद ४०। सन् १९५६ का मध्यप्रदेश २३। सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ११।

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना इष्टकर है; इसलिये, भारत गणराज्य के चौसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा (निरसन) अधिनियम, २०१३ कहलाए।

(२) यह १ जुलाई २०१३ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

परिभाषायें।

२. (१) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भा से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) " सरकार " का तात्पर्य, महाराष्ट्र सरकार से है।

(ख) " स्थानीय प्राधिकरण " का तात्पर्य,—

(एक) नगर निगम द्वारा प्रबंधित किये गयें विद्यालयों कें संबंध में, मुंबई नगर निगम अधिनियम या, यथास्थिति, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम के अधीन गठीत की गई नगर निगम से है : सन् १९८८ का ३।

(दो) **जिला परिषद** द्वारा प्रबंधित किये गये विद्यालयों के संबंध में, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ के अधीन गठित की गई **जिला परिषद** से है ; सन् १९४९ का ६१। सन् १९६२ का महा. ५।

(तीन) नगर परिषद, **नगर पंचायत** या, यथास्थिति, औद्योगिक नगरी द्वारा प्रबंधित किये गये विद्यालयों के संबंध में, महाराष्ट्र नगर परिषद, **नगर पंचायत,** और औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ के अधीन गठित की गई नगर परिषद, **नगर पंचायत** या औद्योगिक नगरी से है ; सन् १९६५ का ४०।

(चार) किसी अन्य विधि के अधीन स्थानिय प्राधिकरण के रूप में समझे गये किसी अन्य प्राधिकरण से है ;

सन् १९२० का १५। सन् १९४७ का ६१। सन् १९५२ का हैद्राबाद बाद ४०। सन् १९५६ का मध्यप्रदेश २३।

(ग) " निरसित अधिनियमों " का तात्पर्य, मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५२ और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५६ से है।

(२) इस अधिनियम में उपयोगीत किंतु परिभाषित न किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो निरसित अधिनियमों में क्रमशः समनुदेशित अर्थ से होगा।

सन् २०१४ का महा. २५।

३. (१) मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा, हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा (निरसन) अधिनियम, २०१३ (जिसे इसमें आगे " उक्त अधिनियम " कहा गया है) के प्रारंभण पर,— सन् १९२० का १५। सन् १९४७ का ६१। सन् १९५२ का हैद्रा. ४० और सन् १९५६ का म. प्र. २३ का निरसन और व्यवृत्ती।।

सन् १९२० का १५।

(क) मुंबई शहर प्राथमिक शिक्षा अधिनियम ;

सन् १९४७ का ६१।

(ख) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा अधिनियम ;

सन् १९५२ का हैद्रा. ४०।

(ग) हैद्राबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५२ ; और

सन् १९५६ का म. प्र. २३।

(घ) मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा अधिनियम, १९५६ निरसित समझे जायेंगे।—

(२) उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से और को—

(क) निरसित अधिनियमों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन गठित विद्यालय बोर्ड, स्थानिय समितियाँ या कोई अन्य समितियाँ या बोर्ड उनके संबंधित निबन्धनों के अवसान में विघटित होंगे और सदस्य तद्नुसार उनके पद की रिक्ति करेंगे ; ऐसे विद्यालय बोर्ड, स्थानीय समितियाँ या किसी अन्य समितियाँ या बोर्ड संबंधित स्थानीय प्राधिकरण के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे।

(ख) संबंधित स्थानीय प्राधिकरण, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को उनकी आवश्यकता के अनुसार और लागू किये गये विधि उपबंधों के अनुसार विद्यालय बोर्ड, स्थानीय समिति या किसी अन्य समिति या बोर्ड गठित करेगा :

(ग) उक्त अधिनियम के प्रारंभण के तत्काल पूर्व विद्यालय बोर्ड और स्थानीय समितियों किस्म में निहित सभी चल और अचल सम्पत्तियाँ और चाहे वह किसी भी स्वरुप और किस्म का हित उसमें, अंतरित किया गया समझा जायेगा और ऐसे प्रारम्भण के सद्य पूर्व लागू किये गये या प्रवृत्त रहनेवाले किसी भी व्यक्ति, निकाय या प्राधिकरण की सभी परिसीमाएँ और शर्तों और अधिकार या हितों के अध्यधीन रहकर, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण में निहित होंगी।

(घ) उक्त अधिनियम के प्रारंम्भण के सद्य पूर्व विद्यालय बोर्ड और स्थानिय समितियों द्वारा उपगत सभी ऋण, दायित्व और बाध्यताएँ और कानूनी तौर पर अस्तित्व में किसी ऐसे विद्यालय बोर्ड और स्थानीय समितियों के विरुद्ध होती है तो संबंधित स्थानिय प्राधिकरण द्वारा उसे उन्मुक्त और पूरा किया जायेगा ;

(ङ) उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व विद्यालय बोर्ड और स्थानीय समितियों, में सेवारत प्रत्येक कर्मचारी को संबंधित स्थानिय प्राधिकरण में स्थानांतरित किया जायेगा, और ऐसे कर्मचारियों का वेतन, और विद्यमान सेवा के निर्बंधन और शर्तें स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित या रुपांतरित किये जाने तक जारी रहेंगी ;

परंतु, उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व, ऐसे कर्मचारियों को लागू सेवा की शर्तें उनके प्रतिकूल परिस्थिति में फेरफार नहीं किया जायेगा :–

(च) निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित किये गये विद्यालयों मे और समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार नियुक्त किये अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों के वेतन और सेवा के विद्यमान निर्बंधन और शर्तें, सरकार द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित या रूपांतरित किये जाने तक जारी रहेंगी ;

परन्तु, उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के सद्य पूर्व, ऐसे कर्मचारियों को लागू सेवा की शर्तों में प्रतिकूल परिस्थिति में फेरफार नहीं किया जायेगा।

(छ) निरसित अधिनियमों और तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन, सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निदेशक संयुक्त निदेशक, उप-निदेशक शिक्षा अधिकारी, उप-शिक्षा अधिकारी और राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति जैसे सरकार सम्यक रूप से परिवर्तित या रुपांतरित किये जाने तक जारी रहेंगी।

(ज) निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विद्यालयों के अध्यापन और अध्यापनेतर कर्मचारियों को देय भविष्यनिर्वाह निधि, उपदान, पेन्शन और अन्य लाभ निरसित अधिनियमों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन विद्यमान नीति के अनुसार, संबंधित स्थानीय प्राधिकरण द्वारा बनाए रखा जायेगा और अदा किया जायेगा।

(झ) निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विद्यालयों को देय अनुदान और किराया निरसित अधिनियमों के अधीन विद्यमान नीति और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार, जब तक सरकार द्वारा सम्यकतया परिवर्तित या उपांतरित नहीं किया जाता है तब तक सरकार द्वारा अदा किया जायेगा ;

(ञ) निरसित अधिनियमों के अधीन बनाए रखी गयी प्राथमिक शिक्षा निधि, संबंधित स्थानिय प्राधिकरण को हस्तांतरित की जायेगी ;

(ट) संबंधित स्थानिय प्राधिकरण ऐसे स्थानिय प्राधिकरण को लागू विधि के उपबंधो के अनुसार, उनके द्वारा चलाये जानेवाले विद्यालयों के संबंध में बजट तैयार करेगा ;

(ठ) नगर निगम द्वारा चलाये जानेवाले विद्यालयों के संबंध में अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण की शक्तियाँ संबंधित नगरपालिका, आयुक्त और उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये अन्य अधीनस्थ अधिकारी के पास होंगे और नगर परिषद, **नगर पंचायत** और औद्योगिक नगरी और **जिला परिषदों** द्वारा चलाये जानेवाले विद्यालयों के संबंध में, ऐसी शक्तियाँ संबंधित मुख्य अधिकारी या, यथास्थिति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये अन्य अधीनस्थ अधिकारी के पास होंगे ;

(ड) विद्यालयों की स्थापना, पाठ्यक्रम, परीक्षायें, प्रशासन, और सभी संबंधित मामले मे बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के उपबन्धो के अध्यधीन होंगे ; सन् २००९ का ३५।

(ढ) बच्चों का मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के उपबन्धों से असंगत उक्त अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व, निरसित अधिनियमों तद्धीन बनाए गए नियमों के संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये सभी निर्देशों या आदेशों को जब तक सरकार द्वारा, परिवर्तन उपांतरण या रद्दकरण नहीं किया जाता तब तक जारी या लागू रहेगा ; सन् २००९ का ३५।

(ण) निरसित अधिनियमों के अधीन किसी प्राधिकरण के समक्ष सेवाशर्तों से संबंधित दायर और लम्बित निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विद्यालय के कर्मचारियों के सभी अपील सरकार द्वारा जब तक नया प्राधिकरण गठित नहीं किया जाता है तब तक ऐसे प्राधिकरण द्वारा जारी रहेगा और निपटाया जायेगा।

(३) उप-धारा (१) के अधीन अधिनियमों का निरसन, प्रभावी नहीं होगा –

(क) निरसित अधिनियमों को पूर्व प्रवर्तन या सम्यक्तया या तद्धीन होने देनेवाली कोई बात ;

(ख) निरसित अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत कोई भी करार, संविदा, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व ;

(ग) निरसित अधिनियमों के अधीन किसी अपराध के संबंध में उपगत कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड ;

(घ) कोई ऐसा करार, संविदा, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या यथा, उपर्युक्त दंड के संबंध में किया गया कोई भी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपया ; और कोई ऐसा अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपाय संस्थित, जारी या प्रवृत्त रखा जा सकेगा मानों निरसित अधिनियम निरसित नहीं किया था ;

(ङ) द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सरकारी आदेशों के अनुसार विद्यालय बोर्ड और स्थानीय समितियों द्वारा की गई कोई नियुक्तियाँ ; और

सन् २००९ का ३५। (च) बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, २००९ के उपबन्धों के अध्यधीन निरसित अधिनियमों के अधीन स्थापित विद्यालय।

स्पष्टिकरण.–इस धारा के प्रयोजनों के लिये, " विद्यालय बोर्ड और स्थानीय समितियों " अभिव्यक्ति का तात्पर्य, जो धारा (क) की उप-धारा (२) के खंड (क) के अधीन विघटित बोर्ड और समितियाँ है उससे है।

सन् १९०४ का १। (४) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, निरसन के प्रभाव के संबंध में, महाराष्ट्र साधारण खण्ड अधिनियम की धारा ७ के उपबन्ध लागू होंगे ।

सन् २००९ का ३५। **४.** राज्य सरकार, इस अधिनियम की धारा ३ के उपबंधो के से संबंधित स्थानीय प्राधिकरण को में यदि कोई संदेह या कठिनाई उद्‌भूत होती है तो उचित समझे ऐसे बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार २००९ के उपबंधों से असंगत न हों ऐसा मार्गदर्शन जारी कर सकेगी और ऐसे निदेश दे सकेगी। निदेश जारी करने की शक्ति।

५. (१) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा जैसा अवसर अद्‌भूत हो, इस अधिनियम के उपबंधो से अन्‌असंगत कोई बात कर सकेगी जो उसे संदेह या कठिनाई निराकरण के प्रयोजन के लिये आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हो : कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति।

परन्तु, ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भण के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् बनाया नहीं जायेगा।

(२) उप धारा (१) के अधीन बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाए जाने के बाद यथा संभव शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा ।

सन् २०१३ का महा. अध्या. क्र. ११। **६.** (१) मुंबई प्राथमिक शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षा, हैदराबाद अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और मध्यप्रदेश प्राथमिक शिक्षा (निरसन) अध्यादेश, २०१३ एतद्‌द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०१३ महा. अध्या. क्र. ११ का निरसन और व्यावृत्ति।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन कृत कोई बात या की गई कोई कार्यवाही (जारी किसी अधिसूचना या आदेश समेत) इस अधिनियम के अधीन कृत, की गई या, यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2014.

THE MAHARASHTRA EMPLOYMENT GUARANTEE (AMENDMENT) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVI OF 2014.

AN ACT FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA EMPLOYMENT GUARANTEE ACT, 1977.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २६, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, १९७७ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, १९७७ में अधिकतर संशोधन करने के लिए भारतीय गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता है :– सन् १९७८ का महा. २० ।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण ।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र रोजगार गारंटी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

सन्, १९७८ का महा. २० के विस्तारित शीर्षक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र रोजगार गारंटी अधिनियम, १९७७ के विस्तारित शीर्षक (जिसे इसमें आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है) में "ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक कार्य करनेवाले सभी प्रौढ व्यक्तियाँ जो स्वेच्छाधारी हैं उनके लिए रोजगार की गारंटी" शब्दों के स्थान में "ग्रामीण क्षेत्रो में अकुशल श्रमिक कार्य करनेवाले स्वेच्छाधारी प्रत्येक परिवार के प्रौढ सदस्यों को रोजगार की गारंटी" शब्द रखे जायेंगे। सन् १९७८ का महा. २० ।

सन् १९७८ का महा. २० की प्रस्तावना में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की प्रस्तावना में, "ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक कार्य करनेवाले सभी प्रौढ व्यक्तियाँ जो स्वेच्छाधारी है उनके लिए रोजगार गारंटी" शब्दों के स्थान में "ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल श्रमिक कार्य करनेवाले स्वेच्छाधारी प्रत्येक परिवार के सदस्यों को रोजगार की गारंटी" शब्द रखे जायेंगे।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १ में पूर्व शीर्षक की निविष्टि।

४. मूल अधिनियम की धारा १ के पूर्व, निम्न शीर्षक रखा जायेगा, अर्थात् :—

"प्रकरण एक

प्रारम्भिक"।

५. मूल अधिनियम की धारा (१) की, उप-धारा (२) के स्थान में, निम्न उप-धारा रखी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७८ का महा. २० की धारा १ में संशोधन ।

"(२) यह संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में विस्तारित होगा। "।

६. मूल अधिनियम की धारा २ में,— सन् १९७८ का महा. २० की धारा २ में संशोधन ।

(१) खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखे जायेंगे, अर्थात् :—

(क) "प्रौढ" या "प्रौढ व्यक्ति" का तात्पर्य, ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र की योग्यता १८ वर्षों की है से है ;

(क-क १) "आवेदक" का तात्पर्य, परिवार का प्रमुख या उसके प्रौढ व्यक्तियों में से जिसने इस योजना के अधीन रोजगार के लिए आवेदन किया है से है ;

(क-क २) "ब्लॉक ड" का तात्पर्य, समुदाय विकास क्षेत्र, जिसमें जिल्हा ग्राम पंचायतों का समूह समाविष्ट है" से है ;

(२) खंड (क-१) के लिये निम्न खंड की निविष्टी की जायेगी, अर्थात् :—

सन् २००५ का ४२। "(क-१)" "केंद्रिय अधिनियम" का तात्पर्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, २००५ से है ;";

(३) खंड (ख) के बाद, निम्न खंड की निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

"(ख-१)" "जिला कार्यक्रम समन्वयक" का तात्पर्य, जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिए धारा ६-१क की उप-धारा (१) के अधीन, राज्य सरकार के पदाभिहित किये गये अधिकारी से है ;

सन् १९५९ का महा. ३। (ख-२) "ग्राम पंचायत" का तात्पर्य, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम के अधीन गठीत पंचायत से है ;

(ख-३) "परिवार" का तात्पर्य, परिवार के सदस्य जिन का संबंध आपस में निकटतम्, विवाह द्वारा या दत्तक और सामान्यतः आपस के रहिवासी और इकठ्ठा या एक ही रेशनकार्ड धारण लेनेवाले से है।

(४) खंड (घ) के लिए, निम्न खंड, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(घ)" "कार्यान्वयन एजेंसी" जिसमें राज्य सरकार का होगा कोई भी विभाग, जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्रामपंचायत या कोई स्थानीय प्राधिकरण या सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत योजना के अधीन किसी कार्य के कार्यान्वयन समाविष्ट ;";

(५) खंड (ड़) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(ड़-क १) "संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक" का तात्पर्य, जिलें में योजना के कार्यान्वयन के लिए, धारा ६-१ क की उप-धारा (४) के अधीन, राज्य सरकार के पदाभिहित किये गये ऐसे अधिकारी से है ;

"(ड़-क २) "संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी" का तात्पर्य, योजना के कार्यान्वयन के लिए, धारा ६-१ ख की उप-धारा (१) के अधीन नियुक्त अधिकारी से है ;";

(६) खंड (ड़-१) के पश्चात, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा अर्थात् :—

"(ड़-२) "महाराष्ट्र एमजीएनआरईजीएस राज्य निधि" का तात्पर्य, धारा १२-क के अधीन गठीत महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना राज्य निधि से है ;

(७) खंड (च) के लिए, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

सन् १९६२ का ५। "(च) "पंचायत समिति क्षेत्र" का तात्पर्य, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा ५ के अधीन, गठित ब्लाक के स्थानीय परिक्षेत्र से है ;

(८) खंड (छ) को अपमार्जित किया जायेगा ;

(९) खंड (छ) के पश्चात्, निम्न खंड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"(छ-१) "वरीयता कार्य" का तात्पर्य, कोई कार्य जो योजना के अधीन प्राथमिकता के तौर पर, कार्यान्वयन के लिए लिया गया से है ;"

(१०) खंड (झ) के पश्चात्, निम्न खंडों की निविष्टि की जायेगी, अर्थात् :—

"(झ-क)" "कार्यक्रम अधिकारी" का तात्पर्य, योजना के कार्यान्वयन के लिए धारा ६-१ख की उप-धारा (१) के अधीन, नियुक्त किये गये अधिकारी से है ;

(झ-ख) "परियोजना" का तात्पर्य, आवेदकों को रोजगार दिलाने के उद्देश से योजना के अधीन लिया गया किसी कार्य से है ;";

(११) खंड (झ) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ञ) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य, इस धारा के खंड (ड-१) के अर्थान्तर्गत, राज्य में नगरीय क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्र से औरै जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित या स्थापित शहरी स्थानिय निकाय या छावनी क्षेत्र बोर्ड द्वारा आच्छादित है से है ।"

(१२) खंड (ट) के लिए, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ट) "योजना" का तात्पर्य, धारा ३-क के अधीन तैयार और प्रकाशित रोजगार गारंटी योजना से है ;"

(१३) खंड (ड) के बाद निम्न, खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(ड-१) "शहरी क्षेत्र" का तात्पर्य, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ और महाराष्ट्र नगर परिषद, नगर पंचायत के अधीन गठीत नगर पंचायत या नगर परिषद के 'ग' वर्ग स्थानीय क्षेत्र से है ; सन् १९६५ का महा. ४०।

(१४) खंड (ढ) के लिए, निम्न खंड रखे जायेगे, अर्थात् :—

"(ढ) "वेतन दर" का तात्पर्य, धारा ३-ग में निर्दिष्ट वेतन दर से है ;"

"(ण) "जिला परिषद" का तात्पर्य, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ की धारा ६ के अधीन, स्थापित जिला परिषद से है ;" सन् १९६२ का महा. ५।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा २ के पश्चात् शीर्षक की निविष्टि।

७. मूल अधिनियम की धारा २ के पश्चात्, निम्न शीर्षक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

"अध्याय दो

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी"।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा ३ का प्रतिस्थापन।

८. मूल अधिनियम की धारा ३ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात् :—

परिवार को ग्रामीण रोजगार की गारंटी।

"३. प्रत्येक ग्रामीण परिवार के प्रौढ सदस्य जो ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिये स्वेच्छाधारी है, उसको कार्य करने का अधिकार होगा। राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन की गई योजनाओं के अनुसार केंद्रीय अधिनियम की धारा ३ की उप-धारा (१) के अधीन यथा गारंटीकृत ग्रामीण क्षेत्र में, प्रत्येक परिवार के जो अकुशल शारीरिक कार्य करनेवाले प्रौढ सदस्य स्वेच्छाधारीयों को काम मुहैया करेगी।

(२) राज्य सरकार, केंद्रीय अधिनियम की धारा ३ की, उप-धारा (१) में विनिर्दिष्ट अवधि से परे योजना के अधीन, परिवार के प्रत्येक प्रौढ सदस्य को निश्चित कार्य पाने के लिये उपबंध करेगी।

(३) प्रत्येक व्यक्ति, जो योजना के अधीन, उसे दिया गया काम करता है तो, कार्य के प्रत्येक दिन के लिये मजदूरी दर में मजदूरी पाने का हकदार होगा।

(४) इस अधिनियम में उपबंधित के सिवाय अन्य दैनिक मजदूरी का वितरण, साप्ताहिक आधार पर या किसी मामले में जिस पर ऐसा काम किया था उस दिनांक के पश्चात् पखवाडे के पहले किया जायेगा।

९. मूल अधिनियम की धारा ३ के पश्चात्, निम्न शीर्षक और धारा ३-क से ३-च निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७८ का महा. २० के शीर्षक और धारा ३-क से ३-च की निविष्टि।

"अध्याय तीन

रोजगार गारंटी योजना और बेरोजगारी भत्ता"

३-क. (१) धारा ३ के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिये, राज्य सरकार **राजपत्र** मे अधिसूचना द्वारा, धारा ३ के अधीन यथा उपबंधित योजना के अधीन शामिल ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी मुहैया करने के लिये योजना बनायेगी और उसके प्रौढ सदस्य आवेदन द्वारा, इस अधिनियम या योजना के अधीन अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, अकुशल शारीरिक काम करनेवाले स्वेच्छाधारी होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी योजना।

(२) राज्य सरकार, कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में, उसके द्वारा बनाई गई योजना का संक्षिप्त विवरण प्रकाशित करेगी जिसमें से एक समाचारपत्र क्षेत्र या क्षेत्रों में वितरित जनभाषा में का होगा, या उन क्षेत्रों में ऐसी योजना लागू होगी, जब तक योजना का कार्यान्वयन नहीं होता तब तक चलती रहेगी।

(३) उपधारा (१) के अधीन की गई योजना, अनुसूची **दो** में विनिर्दिष्ट न्यूनतम विशेषताओं के लिये उपबंध करेगी।

(४) इस अधिनियम के अधीन की गई प्रत्येक योजना, उसके बनाये जाने के पश्चात्, यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।

३-ख. (१) राज्य सरकार, अनुसूची **तीन** में विनिर्दिष्ट शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीन ग्रामीण रोजगार की गारंटी मुहैया करने के लिये शर्तें योजना में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। गारंटीकृत ग्रामीण रोजगार और सुविधाओं को मुहैया करने के लिये शर्तें।

(२) इस अधिनियम के अधीन की गई किसी योजना के अधीन नियोजित व्यक्ति अनुसूची **तीन** में विनिर्दिष्ट न्यूनतम सुविधाओं से कम नहीं ऐसी सुविधाओं का हकदार समझा जायेगा।

३-ग. (१) केंद्रीय अधिनियम की धारा ६ के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट मजदूरी दर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये मजदूरी दर होगी। मजदूरी दर।

(२) उप-धारा (१) के अधीन जब तक मजदूरी दर के लिये ऐसा समय नियत नहीं किया जाता है तब तक महाराष्ट्र राज्य को यथा प्रयुक्त न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी कृषि श्रमिकों के लिये उस क्षेत्र के लिये लागू मजदूरी दर के रूप में समझी जायेगी। सन १९४८ का ११।

३-घ. (१) यदि किसी आवेदक को, रोजगार चाहने के उसके आवेदन की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर, रोजगार प्रदान नहीं किया जाता है या उस दिनांक से जिसको रोजगार पाने के मामले में वह अग्रिम आवेदन करता है, जो भी बाद का है, वह इस धारा के अनुसार, दैनिक बेरोजगार भत्ता पाने का हकदार है। बेरोजगार भत्तों की अदायगी।

(२) पात्रता के ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन, जैसा कि विहित किया जाए और इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और राज्य सरकार की योजनाओं और आर्थिक क्षमता, उप-धारा (१) के अधीन, देय बेरोजगार भत्ता, राज्य परिषद के परामर्श में, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाए ऐसी दर पर परिवार के हकदारी के अध्यधीन, परिवार के आवेदक को अदा किया जायेगा ;

परन्तु, ऐसी दर वित्तीय वर्ष के दौरान, प्रथम तीस दिनों के लिये मजदूरी दर के एक चतुर्थांश से कम नहीं होगी और वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिये मजदूरी दर के आधे से कम नहीं होगी।

(३) किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, परिवार के लिये बेरोजगार भत्ता अदा करने के लिये, राज्य सरकार का दायित्व यथा संभव शीघ्र परिविरत होगा,—

(क) या तो स्वयं या आवेदक अपने परिवार के कम से कम एक प्रौढ सदस्य को प्रतिनियुक्त करके कार्य की रिपोर्ट के लिये ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जायेगा ; या

(ख) जिसके लिये रोजगार की अवधि अंत में चाही गयी है और आवेदक परिवार का कोई सदस्य रोजगार के लिये उपस्थित नहीं होता है।

(४) संयुक्त रुप से आवेदक के परिवार को देय बेरोजगारी भत्ता, जिसे राज्य सरकार **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत कार्यक्रम अधिकारी या ऐसे स्थानीय प्राधिकारी (जिला परिषद, पंचायत समिति या ग्राम पंचायत समेत) द्वारा मंजूर और संवितरित किया जायेगा।

(५) उप-धारा (१) के अधीन बेरोजगारी भत्ते की प्रत्येक अदायगी, जिस दिनांक से अदायगी देय है पंद्रह दिनों से कम न हो की जायेगी या प्रस्तुत की जायेगी।

(६) बेरोजगार भत्तों की अदायगी के लिये, विहित की जाए ऐसी प्रक्रिया होगी।

कतिपय परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्तों का अवितरण।

३-ड. (१) यदि कार्यक्रम अधिकारी अपने नियंत्रण से परे किसी कारण के लिये समय में या सभी बेरोजगारी भत्तों के वितरण की स्थिति में नहीं है तो वह, जिला कार्यक्रम समन्वयक को मामलों की रिपोर्ट करेगा और अपने सूचना बोर्ड और ग्रामपंचायत के सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किये जानेवाली सूचना में ऐसा कारण और जैसा वह आवश्यक समझे ऐसे अन्य सुस्पष्ट स्थानों पर घोषित करेगा।

(२) बेरोजगारी भत्ते की गैर-अदायगी या विलंब का प्रत्येक मामला, ऐसी गैर-अदायगी या विलंबित अदायगी के लिये कारणों के साथ राज्य सरकार के जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट में प्रतिवेदित की जायेगी।

(३) राज्य सरकार, जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा, रिपोर्ट पर यथा संभव शीघ्र संबंधित परिवार को उप-धारा (१) के अधीन, प्रतिवेदित बेरोजगारी भत्ते की अदायगी करने के लिये सभी उपाय करेगी।

कतिपय परिस्थितियों में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के हक वंचित करना।

३-च. कोई आवेदक जो,—

(क) योजना के अधीन अपने परिवार के लिये उपबंधित रोजगार को स्वीकृत नहीं करता है ; या

(ख) कार्य के लिये रिपोर्ट को कार्यक्रम अधिकारी या कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा अधिसूचित करना है तो सात दिनों के भीतर कार्य की रिपोर्ट नहीं करता है ; या

(ग) एक सप्ताह से अधिक अवधि या किसी महिने में एक सप्ताह से अधिक कुल अवधि के लिये संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना, कार्य से लगातार शेष अनुपस्थित रहता है तो,

इस अधिनियम के अधीन देय बेरोजगारी भत्ता का दावा करने के लिये तीन महीने की अवधि के लिये पात्र नहीं होगा किन्तु, किसी भी समयपर योजना के अधीन रोजगार पाने के लिये पात्र होगा।”।

१०. मूल अधिनियम की धारा ४ के पूर्व, निम्न शीर्षक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :— सन् १९७८ का महा. २० की धारा ४ के पूर्व शीर्षक की निविष्टी ।

" अध्याय चार

कार्यान्वयीन और मॉनिटरींग एजेंसीयाँ "।

११. मूल अधिनियम की धारा (४) की, उप-धारा (४) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :— सन् १९७८ का महा. २० की धारा ४ में संशोधन।

" (५) राज्य परिषद, जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या में अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये समितियाँ गठित कर सकेगी। "।

१२. मूल अधिनियम की धारा (५) में,— सन् १९७८ का महा. २० की धारा ५ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " प्रत्येक जिला स्तर समिति पर, " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और, " उसके गैर-शासकीय सदस्यों से नियुक्ति " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग के स्थान में, निम्न रखा जायेगा, अर्थात्:—

" प्रत्येक जिला स्तर समिति और पंचायत समिति स्तर समिति पर, कम से कम दो सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यांकों में के व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी और दो सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो योजना के कार्य पर नियोजित किये गये हैं :

परन्तु, ऐसी समिति में कम से कम एक सदस्य महिला होगी । ";

(ख) उप-धारा (२) में,—

(एक) " पर्यवेक्षण और " शब्द अपमार्जित किया जायेगा ;

(दो) " राज्य सरकार को " शब्दों के स्थान में, " जिला प्रशासन को " शब्द रखे जायेंगे ;

(तीन) " कलक्टर और समिति अधिकारियों " शब्दों से प्रारम्भ होनेवाले और " समिति द्वारा बनाई गई " शब्दों से समाप्त होनेवाले प्रभाग को अपमार्जित किया जायेगा ।

१३. मूल अधिनियम की धारा ६ के स्थान में, निम्न धारा रखी जायेगी, अर्थात्:— सन् १९७८ का महा. २० की धारा ६ का प्रतिस्थापन।

" ६. (१) जिला स्तर में जिला परिषद, ब्लाक स्तर में पंचायत समिति और ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत इस अधिनियम के अधीन की योजना और कार्यान्वयन के लिये मूल प्राधिकारी होगी । योजना और कार्यान्वयन के लिये मूल प्राधिकरण ।

(२) जिला परिषद के कृत्य निम्न होंगे,—

(क) योजना के अधीन कार्यक्रमों में परियोजनाओं के ब्लाकवार खानें को अंतिम रुप देना और अनुमोदित करना ;

(ख) ब्लाक स्तर और जिला स्तर में किये गये परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मानिटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जिसे राज्य परिषद द्वारा समय-समय से समनुदेशित किया जाए ।

(३) पंचायत समिति के कृत्य निम्न होंगे,—

(क) अंतिम अनुमोदन के लिये, जिला परिषद को अग्रेषित करने के लिए ब्लाक स्तर योजना को अनुमोदन देना ;

(ख) ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर तक की गई परियोजनाओं का पर्यवेक्षण और मॉनिटर करना ; और

(ग) ऐसे अन्य कृत्यों को कार्यान्वित करना जिसे राज्य परिषद द्वारा समय-समय से समनुदेशित किया जाए ।

(४) इस अधिनियम और उसके अधीन की गई जिला परिषद की किसी योजना के अपने कृत्यों के निर्वहन में, जिला कार्यक्रम समन्वयक और संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सहायता करेंगे।

जिला कार्यक्रम समन्वयक और संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक ।

६.१क (१) जिले का कलक्टर या समुचित श्रेणी के किसी अन्य जिला स्तर अधिकारी को राज्य सरकार जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिये, जिला कार्यक्रम समन्वयक के रूप में पदाभिहित करने का विनिश्चय करेगी ।

(२) जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार, जिले में योजना के कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार होगा ।

(३) जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्य निम्न होंगे,—

(क) इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी किसी योजना के अधीन, अपने कृत्यों के निर्वहन में जिला परिषद को सहायता करना ;

(ख) जिला परिषद द्वारा अनुमोदित की जानेवाली परियोजना के ड़ाकखानों के समावेश के लिए अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त ब्लॉक और परियोजना प्रस्ताव द्वारा तैयार की गई योजना समेकित करना ;

(ग) जहाँ आवश्यक हो, आवश्यक मंजूरी और प्रशासकीय अनुमोदन के अनुरूप करना ;

(घ) अपनी अधिकारिता और कार्यान्वयन एजेंसी के भीतर, कृत्य कार्यक्रम अधिकारियों से समन्वित करना और यह सुनिश्चित करना कि इस अधिनियम के अधीन अपनी हकदारी के अनुसार आवेदकों को रोजगार मुहैया किया गया है ;

(ड़) कार्यक्रम अधिकारियों के कृत्यों का पुनर्विलोकन, मानिटर और पर्यवेक्षण करना ;

(च) कार्य की प्रगति में नियतकालिक जाँच करना ; और

(छ) आवेदक की शिकायतों का प्रतितोष करना ।

(४) जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी या राज्य सरकार की समुचित श्रेणी का किसी अन्य जिला स्तर अधिकारी, जिसे राज्य सरकार संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, के रूप में, पदाभिहित किया जायेगा । संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और संबंधित जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के संबंध में तद्धीन बनायी गयी योजना के अधीन, योजना के कार्यान्वयन में और अपने कृत्य कार्यान्वित करने के लिए जिला कार्यक्रम समन्वयक सहायता करेगा ।

(५) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करके उन्हें समर्थ बनाने के लिये जैसा कि आवश्यक समझे जिला कार्यक्रम समन्वयक और संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक को ऐसे प्रशासकीय और वित्तीय अधिकार प्रत्यायोजित करेगी ।

(६) कार्यक्रम अधिकारी और जिले से छोटे क्षेत्र पर अपनी अधिकारिता रखनेवाले राज्य सरकार के सभी अन्य अधिकारियों और जिले के भीतर स्थानीय प्राधिकरण और निकायों के कार्य, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी योजनाओं के अधीन अपने कार्यों के कार्यान्वयन में जिला कार्यक्रम समन्वयक को सहायता करने की जिम्मेदारी होगी ।

(७) जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिले में अकुशल शारीरिक कार्य के लिये प्रत्याशित मांग के विवरण समेत अगले वित्तीय वर्ष के लिये, श्रम बजेट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दिसम्बर महीने में तैयार करेगा और योजना के अधीन शामिल कार्य में श्रमिकों के वचनबंध के लिये योजना बनायेगा और **जिला परिषद** को प्रस्तुत करेगा ।

कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी और विशेष कार्यक्रम अधिकारी।

६-१ख. (१) तहसीलदार या समुचित श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को राज्य सरकार तालुका में योजना के कार्यान्वयन के लिये कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदाभिहित करने का विनिश्चय करेगी। पंचायत समिति के ब्लॉक विकास अधिकारी या समुचित श्रेणी के किसी अन्य तालुका स्तर अधिकारी को राज्य सरकार के संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी के रूप में पदाभिहित करने का विनिश्चय करेगी :

परन्तु, राज्य सरकार, अपर या विशेष कार्यक्रम अधिकारी के रूप में, पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर किसी ग्रामीण क्षेत्र के लिये समुचित श्रेणी के किसी अधिकारी को भी पदाभिहित करेगी।

(२) कार्यक्रम अधिकारी और संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, ऐसी रीत्या में होगा जिसे राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक, इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी किसी योजना के अधीन अपने कृत्यों के निवर्हन में पंचायत समिति को सहायता के लिये आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा।

(३) कार्यक्रम अधिकारी, अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में परियोजनाओं से उद्भूत रोजगार के अवसर से नियोजन की मांग के लिये जिम्मेवार होगा।

(४) कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम पंचायत द्वारा तैयार प्रस्ताव परियोजना और पंचायत समिति से प्राप्त प्रस्तावों के समेकन द्वारा, अपनी अधिकारिता के अधीन ब्लॉक के लिये, योजना तैयार करेगा।

(५) कार्यक्रम अधिकारी के कृत्यों की निविष्टि,—

(क) ग्राम पंचायतों द्वारा की गई परियोजनाओं का मानिटर और ब्लाक के भीतर अन्य कार्यान्वयन एजेंसियाँ ;

(ख) पात्र परिवार के लिये बेरोज़गारी भत्ते की मंजूरी और अदायगी सुनिश्चित करना ;

(ग) ब्लॉक के भीतर योजना के कार्यक्रम के अधीन नियोजित सभी श्रमिकों को मजदूरी अदायगी तत्परता से और उचित रीत्या सुनिश्चित करना ;

(घ) ग्राम पंचायत की अधिकारिता के भीतर, सभी कार्यों की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा ग्राम सभा द्वारा कार्यान्वित की गई है और सामाजिक लेखापरीक्षा में उठाये गये आक्षेपों पर तत्काल कार्यवाही की गई है यह सुनिश्चित करना ;

(ङ) ब्लाक के भीतर योजना के कार्यान्वयन के संबंध में उद्भूत हो सके ऐसी सभी शिकायतों से तत्काल निपटारा करना ; और

(च) जिला कार्यक्रम समन्वयक और संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक या राज्य सरकार द्वारा उसे समनुदेशित किया जाए, ऐसा कोई अन्य कार्य करना।

(६) कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी और विशेष कार्यक्रम अधिकारी जिला कार्यक्रम समन्वयक के निदेशन, नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन कार्य करेंगे।

(७) राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेशित करेगी कि कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्ही कृत्य संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी या विशेष कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा उन्मोचित करेगी।

(८) उप-धारा(७) के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राज्य सरकार, आदेश द्वारा निदेश देगी कि कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी और विशेष कार्यक्रम अधिकारी के सभी या किन्हीं कृत्यों को ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उन्मोचित किया जायेगा।

(९) संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, इस अधिनियम और संबंधित पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के संबंध में तद्धीन बनायी गयी योजना के अधीन अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने के लिये योजना के कार्यान्वयन में कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिला कार्यक्रम समन्वयक सहायता करेगा।

ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारियाँ।

६-१ग. (१) ग्राम पंचायत, अपने क्षेत्र में, ऐसे कार्यों के निष्पादन और पर्यवेक्षण के लिये ग्राम सभा की सिफारिशों के अनुसार, योजना के अधीन स्वीकार किये जानेवाले परियोजनाओं की पहचान करने के लिये जिम्मेदार होगी।

(२) **ग्राम पंचायत,** ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर, किसी योजना के अधीन किसी परियोजना को हाथ में ले सकेगी जैसा कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर किया गया हो।

(३) **प्रत्येक ग्राम पंचायत,** जैसा और जब भी कार्य की मांग उद्‌भूत हो ग्राम सभा की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एक विकास योजना तैयार करेगी और योजना के अधीन हाथ में लिये जानेवाले संभव कार्य को स्तंभ बनाए रखेगी।

(४) **ग्राम पंचायत,** उस वर्ष के प्रारम्भण के पूर्व, जिसमें विकास परियोजना निष्पादित किये जाने के लिये भिन्न-भिन्न कार्यों के बीच वरीयताक्रम समेत प्रस्तावित की गई है उनके लिए अपना प्रस्ताव संविक्षा और प्रारंभिक अनुमोदन के लिये कार्यक्रम अधिकारी को अग्रेषित करेगी।

(५) कार्यक्रम अधिकारी, **ग्राम पंचायत** के जरिए, कार्यान्वित की जानेवाली योजना के अधीन उसके लागत के निबन्धनों में कार्यों के पचास प्रतिशत से अनून कार्यों को आबंटित करेगा।

(६) कार्यक्रम अधिकारी, प्रत्येक ग्राम पंचायत को प्रदाय करेगा,—

(क) उसके द्वारा निष्पादित किये जाने के लिये मंजूर किये गये कार्यों के लिये नामावली ; और

(ख) **ग्राम पंचायत** के निवासियों के लिए, अन्यत्र उपलब्ध रोजगार के अवसर की सूची की आपूर्ति करेगा।

(७) **ग्राम पंचायत,** आवेदकों में रोजगार के अवसर आबंटित करेगी और उनसे कार्य की रिपोर्ट को पूछेगी।

(८) योजना के अधीन, ग्राम पंचायत द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों को अपेक्षित तकनीकी मानकों और मापन को पूरा करना होगा।

ग्राम सभा द्वारा कार्य की सामाजिक लेखापरीक्षा।

६-१घ. (१) **ग्राम सभा,** ग्रामपंचायत के क्षेत्र के भीतर, कार्यो के निष्पादन का मानिटर करेगी।

(२) **ग्राम सभा,** ग्राम पंचायत के क्षेत्र के भीतर की गई योजना के अधीन, सभी परियोजनाओं की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा करेगी।

(३) ग्राम पंचायत, सामाजिक लेखा-परिक्षा करने के प्रयोजनों के लिये ग्राम सभा को नामावली, बिल, वाउचर, मापन बहियाँ, मंजूर आदेशों की प्रतियाँ और लेखाओं की अन्य संबंधित बहियाँ और कागजात समेत सभी सुसंगत दस्तावेज उपलब्ध करा सकेगी।

कार्यान्वयन योजना में राज्य सरकार की जिम्मेदारियाँ।

६-१ड. राज्य सरकार, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये जिला कार्यक्रम समन्वयक, संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी और विशेष कार्यक्रम अधिकारी को जैसा आवश्यक समझे आवश्यक कर्मचारिवृन्द और तकनीकी सहायता उपलब्ध करा सकेगी।

शिकायत दूर करनेवाली तंत्र।

६-१च. राज्य सरकार, नियमों द्वारा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा की गई किसी शिकायत का निपटान करने के लिये ब्लाक स्तर और जिला स्तर में समुचित शिकायत दूर करने की यंत्र-क्रिया अवधारित करेगी और ऐसी शिकायत के निपटान के लिये प्रक्रिया अधिकथित करेगी।"

१४. मूल अधिनियम की धारा ६क, धारा १३ क के रूप में पुन: क्रमांकित की जायेगी ; और इस प्रकार पुन: क्रमांकित धारा १३-क की,— सन् १९७८ का महा. २० की धारा ६क में संशोधन ।

(एक) उप-धारा (१) में,—

(क) " सहायक आयुक्त " शब्दों के स्थान में, " उपायुक्त " शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) " कलक्टरों, अन्य अधिकारियों (प्रभागीय स्तर अधिकारियों समेत) स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य निकायों को " शब्दों और कोष्टकों के स्थान में, " विभाग में कार्यान्वयन एजेंसियों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी, विशेष कार्यक्रम अधिकारी और सभी अन्य अधिकारियों (प्रभागीय स्तर अधिकारियों समेत) शब्द और कोष्टक रखे जाएँगें।

(दो) उप-धारा (२) में, " विभाग में कलक्टरों, अन्य अधिकारियों, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य निकायों " शब्दों के स्थान में, " विभाग में कार्यान्वयन एजेंसी, स्थानीय प्राधिकरणों और अन्य निकायों के जिला कार्यक्रम समन्वयक, संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी, अपर कार्यक्रम अधिकारी, विशेष कार्यक्रम अधिकारी और सभी अन्य अधिकारियों " शब्द और कोष्टक रखे जाएँगे "।

(तीन) उप-धारा दो के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात्:–

" (३) राज्य सरकार विभागीय आयुक्त के परीक्षण और पुनर्विलोकन की शक्तियाँ किसी क्षेत्र की योजना के कार्यान्वयन के लिए किसी अन्य समुचित स्तरीय अधिकारी कों प्रदत्त करेगी।"

१५. मूल अधिनियम की धारा ७, ७क और ८ अपमार्जित की जायेंगे। सन् १९७८ का महा. २० की धारा ७, ७क और ८ का अपमार्जन ।

१६. मूल अधिनियम की धारा ९ में,– सन् १९७८ का महा. २० की धारा ९ में संशोधन।

(एक) खण्ड (क) में,—

(क) " धारा ८ की उप-धारा (३) के अधीन " शब्दों, कोष्टकों और अंको के स्थान में, " धारा ३ की उप-धारा (२) के अधीन " शब्द, कोष्टक और अंक रखे जाएँगें ;

(ख) " उस धारा की उप-धारा (४) " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, " धारा ३-घ की उप-धारा (१) " शब्द, अंक और अक्षर रखे जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) में,–

(क) " उस धारा की उप-धारा (४) " शब्दों, कोष्टकों और अंकों के स्थान में, " धारा ३ घ की उप-धारा (१) " शब्द , कोष्टक और अंक रखें जाएँगें ;

(ख) " समिति अधिकारी " शब्दों के स्थान में, " कार्यक्रम अधिकारी " शब्द रखे जायेंगे।

१७. मूल अधिनियम की धारा १० और ११ अपमार्जित की जायेगी । सन, १९७८ का महा. २० की धारा १० और ११ का अपमार्जन ।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १२ के पूर्व शीर्षक निविष्ट किया जायेगा।

१८. मूल अधिनियम की धारा १२ के पूर्व, निम्न शीर्षक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र राज्य रोजगार गारंटी निधि महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि की स्थापना, पारदर्शिता और जिम्मेवारी और लेखा परीक्षा आदि ।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १२ में संशोधन।

१९. मूल अधिनियम की धारा १२ की, उप-धारा (३) की,—

(एक) खण्ड (ख) में, " केंद्र सरकार " शब्द अपमार्जित किये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख-१) अपमार्जित किया जायेगा।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १२-क से १२-ग, अध्याय छह और धारा १२-घ और अध्याय ७ और अध्याय १२ ङ की निविष्टि।

२०. मूल अधिनियम की धारा १२ के पश्चात्, निम्न धारा और अध्याय निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :—

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना महाराष्ट्र राज्य की निधि।

" **१२-क.** (१) राज्य सरकार, केंद्रीय अधिनियम की धारा २१ के अधीन यथा आवश्यक महाराष्ट्र की महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि अलग से गठित करेगी। ऐसी निधि धारा १२ के अधिन गठित रोजगार गारंटी निधि का भाग नहीं होगी।

(२) केंद्रीय अधिनियम की धारा २८ के अधीन, प्राप्त किसी राशि और केंद्रीय अधिनियम की धारा २२ के अधीन यथा आवश्यक राज्य सरकार का अंशदान महाराष्ट्र महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में जमा होगा।

(३) महाराष्ट्र के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में जमा की जानेवाली स्थायी रकम इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए जैसा कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए ऐसे रीत्या और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अध्यधीन ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारित की जायेगी।

(४) महाराष्ट्र के महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि में जैसा कि विहित किया जाए ऐसी रीत्या और ऐसे प्राधिकरण द्वारा, राज्य सरकार की ओर से धारित और प्रशासित की जायेगी।

(५) केंद्रीय अधिनियम के अधीन, योजना के तहत किये जानेवाले कार्य के पूरे होने पर, यदि आवश्यक हो तो उस पूरे किए गए कार्य में अतिरिक्त कुशलतावाला कार्य, उक्त कार्य में तकनीकी दर्जा या अतिरिक्त मूल्य संकलन के उन्नयन करने के लिए राज्य सरकार, यथा आवश्यक अनुपूरक निधि मुहैया करेगी या अभिसरण करेगी।

पारदर्शकता और जिम्मेवारी

१२-ख. (१) जिला कार्यक्रम समन्वयक, संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक और जिले में सभी कार्यान्वित एजेंसियाँ योजना के कार्यान्वय के प्रयोजनों कि लिए, उनके निपटान में उनके रखे गये निधि का उचित उपयोग और प्रबंध के लिए जिम्मेवार किया जायेगा।

(२) राज्य सरकार, श्रमिकों के रोजगार की उचित किताबें और लेखा और इस अधिनियम के उपबंधो और तद्धीन बनायी गयी योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में, उपगत खर्च बनाए रखने की रीति विहित करेगी।

(३) राज्य सरकार योजना के उचित निष्पादन और योजनाओं के अधीन कार्यक्रमों के लिए की जानेवाली व्यवस्था और योजना के कार्यान्वयन के सभी स्तर पर पारदर्शकता और जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के लिए, नियमों द्वारा अवधारण कर सकेगी।

(४) ग्राम पंचायत द्वारा, योजना के कार्यान्वयन संबंधी यदि कोई विवाद या शिकायत उद्‌भूत होती है तो मामला कार्यक्रम अधिकारी या संयुक्त कार्यक्रम अधिकारी जैसा कि मामला हो निर्दिष्ट किया जायेगा।

(५) कार्यक्रम अधिकारी, उसके द्वारा बनाए गए शिकायत रजिस्टर में प्रत्येक शिकायत दर्ज करेगा और उसकी प्राप्ति के सात दिनों के भीतर, विवाद और शिकायत निपटायेगा और उसके किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा सुलझाये जानेवाले मामलों से संबंधित मामले शिकायत के सूचना के अधीन ऐसे प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

लेखाओं की लेखा-परीक्षा।

१२-ग (१) राज्य सरकार, भारत का नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के परामर्श में सभी स्तर के योजनाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिये समूचित व्यवस्था विहित करेगी।

(२) योजना का लेखा राज्य सरकार द्वारा, जैसा कि विहित किया जाए, ऐसे प्रारूप और ऐसे रीत्या में बनाया जायेगा।

अध्याय छह

शहरी क्षेत्रों में योजना

शहरी क्षेत्रों में योजना का कार्यान्वयन।

१२-घ. राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, शहरी क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन और धारा ३-क के अधीन तैयार की गई योजना में उस ऐसे उपांतरण करेगी प्रयोजन के लिए जैसा कि आवश्यक समझा जाएगा।

अध्याय सात

निजी भूमियों पर योजना

कतिपय परिस्थितियों मे आर्थिक सहायता के लिए हकदार निजी भूमियों के लाभग्राही।

१२-ङ (१) जब, निजी भूमि पर योजना के अधीन किये जानेवाले कार्य के परिणाम के रुप में उसका धारक सीधा लाभकारी है तब तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या किन्हीं कार्यकारी आदेशों के उपबंधों के अधीन, यह तथ्य अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा धारक, राज्य सरकार द्वारा जैसा कि विहित किया जाए, ऐसी दरों पर ऐसे कार्यों के संबंधी आर्थिक सहायता के लिए हकदार होगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन की आर्थिक सहायता, धारा १२ के अधीन स्थापित राज्य रोजगार गारंटी निधी से अदा की जायेगी। ”।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १३ के पश्चात् शीर्षक की निविष्टि ।

२१. मूल अधिनियम की धारा १३ के पश्चात्, निम्न शीर्षक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

“ अध्याय आठ

विविध ”

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १४ क में. संशोधन ।

२२. मूल अधिनियम की धारा १४-क के अन्त में, निम्न भाग जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

“ और केंद्रीय अधिनियम की धारा २७ के अधीन, केंद्र सरकार द्वारा जारी सुसंगत सेवा नियमों और निदेशों के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए भी जिम्मेवार ठहराया जायेगा।”

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १६-क में. संशोधन।

२३. मूल अधिनियम की धारा १६-क, उसकी उप-धारा (१) के रुप में पुनः क्रमांकित की जायेगी; और;

(एक) इस प्रकार पुनः क्रमांकित उप-धारा (१) निम्न परन्तुक जोडा जायेगा, अर्थात् :–

" परंतु, ऐसी अनुसूचियाँ, ऐसे संशोधन के पश्चात् अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अधिकारों के साथ न्यूनतम शर्तो और निबंधनों से पुष्टि की जाएगी या जैसा कि मामला हों, केंद्रीय अधिनियम की अनुसूची दो के समय प्रवृत्त की जाएगी।";

(दो) उप-धारा (१) पश्चात् जैसे पुनः क्रमांकित की गई, निम्न उप-धारा निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

(२) उप-धारा (१) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की प्रति उसके जारी किये जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जायेगी।"।

सन् १९७८ का महा. २० की धारा १६-ख का अपमार्जन।

२४. मूल अधिनियम की धारा १६-ख अपमार्जित की जायेगी।

१९७८ का महा. २० की अनुसूचीयॉ २ और ३ की प्रतिस्थापना।

२५. मूल अधिनियम की अनुसूची दो और तीन के लिए निम्न अनुसूचियाँ रखी जाएँगी, अर्थात् :–

" अनुसूची-दो

[धारा ३-क (३) देखें।]

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की न्यूनतम विशेषताएँ।

१. (एक) योजना के अंतर्गत केवल उत्पादक कार्यों को लिया जायेगा :

परंन्तु यदि, राज्य सरकार के मतानुसार, प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भारी वर्षा, बाढ़, भूकम्प, सूखा, दुर्भिक्ष्य या चक्रवात द्वारा निर्मित परिस्थितियों से जुझने के लिए किसी क्षेत्र में से किसी कार्य का रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है, राज्य सरकार योजना के अधीन ऐसे कार्यो को अस्थायी काल के लिए अनुमति देगी, जिसे राज्य सरकार, समय-समय पर निर्धारित करेगी ।

(दो) योजना, अकुशल मजदूरों की कुशलता का उन्नयन और प्रशिक्षण भी यथासंभव मुहैय्या करेगी।

२. योजना के मुख्य उद्देश्य, निम्न होंगे :—

(क) विहित दर्जा और टिकाऊपन की सहायक उत्पादकता के सृजन के परिणामस्वरूप माँग के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय अधिनियम की अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट अवधि से अनून अवधि के लिये, रोजगार गारंटी के रूप में अकुशल शारीरिक कार्य मुहैया करेगी ;

(ख) गरीबों के जीवनयापन स्त्रोत मजबूत बनाना ;

(ग) सक्रीयता से सामाजिक अन्तर्वेष सुनिश्चित करना ; और

(घ) पंचायत राज्य संस्थाओं को मजबूत बनाना :

परन्तु, उक्त उद्देश्य इस अधिनियम द्वारा या के अधीन और योजना में अधिकथित शर्तों के अध्यधीन, अकुशल शारीरिक कार्य करनेवाले प्रौढ़ सदस्य स्वयंसेवकों को लागू है।

३. (१) योजना, निम्न कार्यों पर निम्न वर्ग के रूप में केंद्रीभूत :—

एक. वर्ग-क : प्राकृतिक स्त्रोत प्रबंध संबंधी सार्वजनिक कार्य—

(एक) पेय जल स्त्रोत समेत भूजल पुनर्भरण पर विशेष ध्यान देने से भूमिगत बाँध, मिट्टी के बाँध, अवरोध बाँध, रोक बाँध, जैसी वृद्धि तथा सुधार के लिये **जल संरक्षण** और जल फसल संरचना ;

(दो) जल प्रबंध कार्य जैसे कि जलसंभर के व्यापक उपचार के फलस्वरूप समतल और जलसंभर विकास चर डालना, समतल बाँध, पत्थर के सरोधक, पत्थरमिट्टी के कक्षबाँध (गैबियन संरचना) और जलसंभर विकास ;

(तीन) सूक्ष्म और लघू सिंचाई कार्य और सृजन, सिंचाई नहर और नाले का नवीकरण और रखरखाव ;

(चार) सिंचाई टैंक और अन्य जल निकायों के डेसील्टींग समेत परंपरागत जल निकायों का नवीकरण ;

(पाँच) परिच्छेद ४ में आवृत्त परिवार को भोगाधिकार के अधिकार सम्यक्तया मुहैया करने के लिए, साधारण और वन भूमि में सड़क किनारे, नहर बाँध, टैंक तटाग्र और तटीय क्षेत्र में वनरोपण, वृक्षारोपण और बागबानी ; और

(छह) साधारण भूमि में भूमि विकास कार्य।

दो. प्रवर्ग ख:दुर्बल वर्गों के लिये व्यक्तिगत आस्तियाँ (परिच्छेद ४ में केवल परिवार के लिये)—

(एक) खोदे गये कुआँओं, खेती बाँध, और अन्य जल कृषि संरचना समेत, सिंचाई के लिये भूमि विकास के जरिए और यथोचित मूलभूत सुविधा मुहैया करके परिच्छेद ४ में विनिर्दिष्ट परिवारों के भूमियों की उत्पादकता में सुधार लाना ;

(दो) बागबानी, रेशम-उत्पादन, बागान और खेती वनखंड के जरिए अजिविका में सुधार लाना ;

(तीन) भूमि, कृषि के अधीन लाने के लिये, परिच्छेद ४ में परिभाषित परिवारों की परती या बंजर भूमियों का विकास करना ;

(चार) इंदिरा आवास योजना या ऐसे अन्य राज्य या केन्द्र सरकार योजना के अधीन मंजूर मकानों के संनिर्माण में संघटक अकुशल मजदूरी ;

(पाँच) कुक्कुट पालन गृह, बकरे का आश्रय, सूअरवाडा, पशु आश्रय और पशुओं के लिए चारा जैसे पशुधन को बढ़ावा देने के लिये सृजित मूलभूत सुविधा ; और

(छह) सार्वजनिक भूमि पर मौसमी जल निकायों में मत्स्य सूखानेवाले यार्डो, संचयन सुविधाओं और मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने जैसे मत्स्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिये मूलभूत सुविधा सृजित करना ; और

तीन. वर्ग ग : एनआरएलएम अनुपालनकर्ता स्वयं सहायता समूह के लिये साधारण मूलभूत सुविधा–

(एक) कृषि उत्पादकता के लिये, पक्का संचयन सुविधाओं समेत जैव उर्वरक और फसल काटने की सुविधाओं के लिए आवश्यक टिकाऊ मूलभूत सुविधा के सृजन द्वारा कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संकर्म ; और

(दो) स्वयं सहायता समूहों के जीवनयापन क्रियाकलापों के लिये साधारण वर्कशेड।

चार. वर्ग घ : ग्रामीण मूलभूत सुविधा—

(एक) **ग्रामीण स्वच्छता** संबंधी कार्य जैसे कि, व्यक्तिगत परिवार शौचघर, विद्यालय प्रसाधनगृह युनिट, अंगनवाडी प्रसाधनगृह चाहे वह " स्वतंत्र या हगनदारी मुक्त स्थिति " प्राप्त करने के लिये अन्य सरकारी विभागों की योजनाओं से समाधिरुपता में और विहित मानकों के अनुसार ठोस और द्रव मलजल प्रबंध करना ;

(दो) न जुडे हुए ग्रामों को सभी मौसम में ग्राम **सड़क से** जोड़ने और विद्यमान पक्की सड़क जाल को परिलक्षित ग्रामिण उत्पादन केंद्र से जोड़ने और ग्रामों के भीतर पार्श्वनाली और पुलिया समेत पक्की **आंतरिक सड़क** या **सड़कों** का संनिर्माण मुहैया करना ;

(तीन) मैदानी क्षत्रों का संनिर्माण करना ;

(चार) बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य समेत सड़कों के व्यवस्थापन तैयारी या मरम्मत सुधार के लिये कार्य या अन्य आवश्यक सार्वजनिक मूलभूतसुविधा का पुनरुद्धार, जल भराव क्षेत्रो में निकासी मुहैया करना, बाढ़ नहरों की गहराई और मरम्मत, ग्राम या ब्लाक स्तर में मरम्मत करना, तटीय संरक्षण के लिए बरसाती तूफानी जल नाली का संनिर्माण करना।

(पाँच) ग्राम पंचायत, महिला स्वयं सहायता समूह संघ, चक्रवात आश्रय, आँगनवाडी केंद्र, ग्राम या ब्लाक स्तर में ग्राम हार और दाहगृह के लिए भवनों का संनिर्माण करना ;

(छह) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, २०१३ (सन् २०१३ का २०) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये, खाद्य अनाज संरचना का संनिर्माण करना ;

(सात) ऐसे संनिर्माण कार्य के अनुमान के एक भाग के रूप में, अधिनियम के अधीन संनिर्माण कार्य के लिये आवश्यक भवन सामुग्री का उत्पादन करना ;

(आठ) अधिनियम के अधीन सृजित ग्रामीण सार्वजनिक परिसम्पति का रखरखाव ; और

(नौ) कोई अन्य संकर्म जिसे इस संबंध में राज्य सरकार के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके।

(दस) कोई अन्य संकर्म जिसे राज्य सरकार से परामर्श करके केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके।

(२) संकर्म के प्राथमिकता के आदेश स्थानीय क्षेत्र के संभाव्यता उसकी जरूरतें स्थानीय स्त्रोतों को ध्यान में रखकर और परिच्छेद ८ के उपबंधो के अनुसार, **ग्राम सभा** की बैठक में प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अवधारित किया जायेगा।

(३) संकर्म जो अमूर्त है, परिमेश मापनीय नहीं है पुनरावृत्त जैसे कि घास हटाने, गुटिका, कृषि प्रचालन नहीं किये जायेंगे।

४. व्यक्तिगत आस्थियाँ सृजन संकर्म में परिवारों द्वारा स्वामित्ववाली संबंधित भूमि या वासभूमि पर निम्न के प्राथमिकता दी जायेंगी।,—

(क) अनुसूचित जाति ;

(ख) अनुसूचित जनजाति ;

(ग) खानाबदोश जनजाति ;

(घ) निरधिसूचित जनजाति ;

(ङ) गरीबी रेखा के नीचे के अन्य परिवार ;

(च) परिवार की महिला प्रमुख ;

(छ) परिवार का शारीरिक विकलांग प्रमुख ;

(ज) भू-सुधार के लाभग्राही ;

(झ) इंदिरा आवास योजना के अधीन लाभग्राही ;

(ञ) अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासियों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (सन् २००७ का २) के अधीन लाभग्राही ; और

उपर्युक्त प्रवर्ग के अधीन पात्र लाभग्राहियों के निर्गम, के पश्चात्, कृषि ऋण अधित्यजन और ऋण राहत योजना, २००८ में यथा परिभाषित छोटे या सीमान्त किसानों की भूमि पर, शर्तों के अध्यधीन और ऐसे परिवार का उनकी भूमि या वासभूमि पर, कार्य के लिए इच्छुक कम से कम एक सदस्य को नौकरी कार्ड दिया जायेगा।

५. राज्य सरकार, अन्य सरकारी योजनाओं या कार्यक्रमों से योजना के अधीन संकर्म के अंतिम मील कार्यान्वयन स्तर तक प्रभावी अंतर-विभागीय समाभिरुपता प्राप्त करने के लिए, ठोस कदम उठाना, ताकि परिसम्पति का दर्जा और उत्पादकता सुधारने और विहित रीत्या गरीबी के बहु आयाम के संपूर्ण सम्बोधन को सहक्रिया में लाना है।

६. राज्य सरकार द्वारा, अधिकथित विस्तृत प्रणाली विज्ञान के अनुसार, प्रत्येक वर्ष अगस्त से दिसम्बर महीने के बीच संचालित पंचायत के प्रत्येक पंक्ति में भाग लेनेवाली योजना का प्रयोग योजनाबद्ध किया जायेगा। ग्रामपंचायत द्वारा निष्पादित किये जानेवाले सभी संकर्म, परिलक्षित किये जायेंगे और ग्रामसभा के समक्ष रखे जायेंगे और ऐसा संकर्म पंचायत समिति या अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निष्पादित करने है, वह अनुमानित परिणाम के साथ पंचायत समिति या जिला परिषद के समक्ष रखे जायेंगे। योजना के अधीन किये गए संकर्म, ऐसे संयोजित किए जाएँगे कि जिले के साधारण कृषिक प्रवर्तन प्रतिकुल रुप से प्रभावित नही होंगे और एक तरफ से न्यूनतम मजदूरी के साथ गारंटीकृत संकर्म के मूल के बीच शेष बनाए रखा जायेंगे और कृषिक प्रवर्तनो के लिए आवश्यक प्रमिक साथ ही साथ दूसरी तरफ से राज्य सरकार के संकर्मों के नियमित योजना और गैरयोजना के कार्यान्वयन के लिए क्षमिकों की आवश्यकताएँ होंगी।

७. संकर्म के लिये मांग, मौखिक या लिखित दोनों किसी नौकरी कार्ड धारक द्वारा यथा और जब आवश्यक हो रजिस्ट्रीकृत की जायेगी और रोजगार दिनो में मांग के अनुसार संकर्म प्रावधान की अगुआई में कम से कम एकबार महीने में प्रत्येक वार्ड और ग्रामपंचायत स्तर में संचालित की जानी है।

८. (१) पर्याप्त शेल्फ या संकर्म ऐसे मार्ग में संकर्म के लिए अनुमानित मांग को पूरा करने के लिये प्रत्येक ग्रामपंचायत द्वारा बनाए रखा जाएगा कि प्रोत्साहक सार्वजनिक संकर्म के लिए कम से कम एक कार्य के लिए कम से कम एक श्रमिक विशिष्ट मूल्यवान समूहों विशेषतः वृद्ध और विकलांग के लिए उपयुक्त है जिसे मांग के अनुसार, कार्य मुहैया करने के लिए सभी समय खुला रखा जायेगा।

(२) उक्त संकर्म का विवरण ग्रामों की दीवार पर लिखकर सुस्पष्ट प्रदर्शित की जायेगी।

९. सार्वजनिक संकर्म वर्ग में संकर्म शुरू करते समय, यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शुरू किये गये या अपूर्ण संकर्म प्रथमतः पूरे किये जायेंगे।

१०. कार्य के लिये मांग के रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से या अग्रिम आवेदन के मामले में कार्य की मांग की गई है वह दिनांक जो भी पहले हो, पंद्रह दिनों के भीतर कार्य मुहैया किया जायेगा।

११. (१) कार्य के मामले में बेरोजगारी भत्ता विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मांग के अनुसार, मुहैया नहीं किया जाता है तो, संगणक प्रणाली या प्रबन्ध सूचना प्रणाली द्वारा अपने आप से परिगणित और अधिनियम के अधीन उपबंधित रीत्या अदा किया जायेगा। कार्यक्रम अधिकारी मजदूरी बल आधार पर केवल बेरोजगारी भत्ता अस्वीकार कर सकेगा।

(२) किसी मामले में बेरोजगारी भत्ता अदा किया गया है या अदा करने के लिये देय है तो, कार्यक्रम अधिकारी आवेदक को रोजगार मुहैया न करने के लिये कारणों को लिखित में संबंधित जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करेगा।

(३) जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य परिषद को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में जहाँ बेरोजगारी भत्ता की अदायगी अर्न्तग्रस्त है, के मामले में रोजगार क्यों नही मुहैया किया गया का स्पष्टीकरण देगा।

१२. योजना के अधीन प्रत्येक कार्य, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा सम्यक्तया मंजूर तकनीकी अनुमान होगा। अनुमानों की मंजूरी के समय, निम्न को ध्यान में रखना आवश्यक है :—

(क) संनिर्माण, प्रभावी लागत, श्रम प्रोत्साहक प्रौद्योगिकी और स्थानीय सामग्री के व्यवहार समेत सभी संकर्म के लिए, यथा संभव शीघ्र नियोजित किया जायेगा;

(ख) परिमाण के बिल (अनुमान में उपयोगी) सभी पणधारी के आसान बोधगम्यृता के लिये साधारण पारिभाषिक शब्दावली में कथित है।

(ग) प्रत्येक कार्य अनुमान, रूपरेखा और तकनीकी सूचना का सारांश यह होगा कि कार्य के कार्यान्वयन से अनुमानित परिणाम दिखाई देंगे।

१३. ग्रामपंचायत स्तर में अंतिम रूप दिये गये संकर्म और ब्लाक या जिला स्तर में समेकित संकर्म को ग्रामपंचायत स्तर में संकर्म के अंतिम रूप दिये गये दिनांक से तीस दिनों के भीतर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ब्लाकवार प्रशासकीय या वित्तीय मंजूरी दी जायेगी केवल यह पुष्टिकरण करने के पश्चात् की किसी ग्रामपंचायत में शेल्फ या संकर्म उस ग्रामपंचायत के लिए अनुमोदित श्रम बजट दुगने से अनून नहीं होगा।

१४. योजना के अधीन किये जानेवाले कार्य के लिये मस्टर रोल, यथा निम्न बनाए रखा जाएगा, अर्थात् :–

(क) प्रत्येक मस्टर रोल अँग्रेजी या स्थानीय भाषा में किया जायेगा और कार्य के लिये आवेदन किये गये कर्मकारों की सूची के साथ संगणक प्रणाली (इ-मस्टर) द्वारा निर्मित इलेक्ट्रानिक यूनिक पहचान क्रमांक होगा। प्रत्येक मस्टर रोल, ग्रामपंचायत के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा; और केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ऐसी अनिवार्य सूचना अन्तर्विष्ट होगी;

(ख) मस्टर रोल योजना के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दैनिक उपस्थिति के चिन्हांकन द्वारा कार्यस्थल में बनाए रखी जायेगी, जिसका विवरण संगणक प्रणाली के उपयोग के दैनिक आधार पर सार्वजनिक रीत्या उपलब्ध किया जायेगा;

(ग) मस्टर रोल, योजना में विहित रीत्या पदधारी द्वारा नियत काल पर जाँच किया जायेगा;

(घ) मस्टर रोल, अंतिम दिए गए दिन को बंद किया जाएगा जो, कार्य किए गए प्रत्येक मजदूर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा और उपायों के लिए तकनीकी कार्मिक को सौंपा जाएगा;

(ङ) मस्टर रोल का विस्तृत अभिलेख, समय-समय से यथा विनिर्दिष्ट रजिस्टर में बनाया रखा जायेगा;

(च) जब कार्य प्रगती में है, कर्मकार उस काम से जुड़े हुए है तो उसमें से जाँच करने के लिए साप्ताहिक क्रमावर्तन आधार पर पाँच कर्मकारों से अनून नही हो चुना जा सकेगा और सप्ताह में कम से कम एक बार उनके कार्यस्थल के सभी बिल या वाउचर जाँचे और प्रमाणित किये जा सकेंगे;

(छ) कोई व्यक्ति, सभी कामकाजी समय के दौरान, सभी दिनों की मांग पर कार्य स्थल पर मस्टर रोल को पहूँचाएँगे।

१५. मस्टर रोल के बंद होने के तीन दिनों के भीतर केवल प्राधिकृत कार्मिक द्वारा कार्यस्थल में किये गये उपायों के आधार पर अदायगी करेगा। राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करेगी कि पर्याप्त तकनीकी कार्मिक अनुबद्ध अवधि के भीतर इस कार्य को पूरा करने के लिये नियोजित किये गये है। कर्मकारों के परिवारों से उपयुक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षित या कुशल किया जायेगा और कुशल कर्मकारों के रूप में तकनीकी अधिकार और अदा मजदूरी के समूचित प्रत्यायोजन से इंजीनियर के रूप में नियोजित किया जायेगा।

१६. राज्य सरकार, किसी लिंग आधार के बिना, किये गये कार्य के परिमाण से मजदूरी देगी और कार्य के विभिन्न प्रकारों और विभिन्न मौसमों के लिये समय और अध्ययन प्रस्ताव और समय-समय पर पुनरीक्षित के पश्चात्, ग्रामीण अनुसूची या नियत दरों के अनुसार अदा की जायेगी।

१७. दरों की अलग अनुसूची महिला, प्रौढ़ विकलांग व्यक्ति और दुर्बल बीमार व्यक्ति के लिये अंतिम की जायेगी ताकि उत्पादक कार्य के ज़रिए उनकी भागीदारिता में सुधार लाया जायेगा।

१८. (क) विभिन्न अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी की दर की सूची नियत की जायेगी ताकी विश्राम घंटे समेत आठ घंटों के लिये कार्यरत प्रौढ़ व्यक्ति को अनुबद्ध मजदूरी दर समान है तो मजदूरी प्राप्त होगी ;

(ख) प्रौढ़ कर्मकारों के कामकाजी घंटे लचीले होंगे किन्तु किसी दिन पर बारह घंटे से अधिक बढ़ाये नहीं जायेंगे।

१९. ग्रामपंचायत द्वारा लिये जानेवाले सभी कार्यों के लिये कुशल और अकुशल कर्मकारों की मजदूरी समेत सामग्री घटकों की लागत, ग्रामपंचायत स्तर में चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। ग्रामपंचायतों से अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा लिये जानेवाले कार्य के लिये कुशल और अकुशल कर्मकारों की मजदूरी समेत संपूर्ण सामग्री घटक ब्लाक या मध्यवर्ती स्तर में चालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

२०. निष्पादित कार्य, किसी ठेकेदार, से जुडे बिना किया जायेगा। योजना के अधीन कार्यान्वयन एजेंसियाँ इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के समनुरूपता में और आदेशात्मक सक्रिय प्रकटीकरण और सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुपालन के पश्चात्, कार्य निष्पादित करेंगी।

२१. कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्य यथासाध्य शारीरिक श्रम द्वारा अनुपालित किया जायेगा और यंत्र स्थानान्तरित श्रम का उपयोग नहीं किया जायेगा।

२२. कार्यों के लिये आवश्यक सभी अपेक्षित सामग्री, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट पारदर्शक संविदा प्रक्रिया का उपयोग करके ग्रामपंचायत या कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्राक्कलित की जायेगी।

२३. योजना के अधीन अनुमति दी गयी प्रशासकीय लागत में से, कम से कम एक तिहाई रोजगार हेतु ग्रामपंचायत स्तर में उपयोग किया जायेगा और किये गये कार्य के अनुसार, ग्राम रोजगार सहायक, अन्य तकनीकी कार्मिकों को परिश्रमिक और अन्य प्रशासकीय खर्च के लिये अदा किया जायेगा।

२४. कार्यान्वयन के सभी स्तर पर पारदर्शकता और जिम्मेवारी सुनिश्चित करने के पर्याप्त उपबंध अन्तर्विष्ट करने की प्रत्येक योजना, निम्न उपायों से बनेगी, अर्थात् :—

(क) **' जनता सूचना प्रणाली '** के उपयोग सभी आम लोगों और पणधारियों को सूचना आधार पर आदेशात्मक सक्रीय प्रकटीकरण करना ;

(१) हर एक वेबसाईट पर प्रदर्शित करना : ' कार्य का विस्तृत विवरण दर्शानेवाला जनता अनुमान **',** अनुमानित श्रम दिन, स्थानीय परिभाषिकी में उपयोग किये जानेवाले सामुग्री की परिमाण, और अनुमान के मद्द वार लागत प्रत्येक कार्यस्थल में प्रदर्शित करना ;

(२) गाँव में स्थायी दिवारों या सार्वजनिक बोर्डों पर प्रदर्शित करना : गाँव की स्थायी दिवारों या सार्वजनिक बोर्डों पर नौकरी कार्ड सूची, उपलब्ध कार्य दिनों की संख्या और प्रत्येक नौकरी कार्डधारक को अदा की जानेवाली मजदूरी ; और अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारी पर प्रदर्शित करना ।

(३) ग्राम पंचायत कार्यालय पर बोर्डों के जरिये प्रदर्शित करना : ग्राम पंचायत कार्यालय में अनुमोदित परियोजना के शेल्फ, ग्राम पंचायत और रुपरेखा विभाग द्वारा लिखा गया और पूरा किया गया वर्षवार कार्य मुहैया किया गया रोजगार, प्राप्त और खर्च किया गया निधि, प्रत्येक कार्य में उपयोग परिमाण से सामुग्री की सूची जिसमें सामुग्री के दर प्राक्कलित है, बोर्ड के जरिये प्रदर्शित करना ;

(४) वेबसाईट पर प्रदर्शन करना : योजना विभाग का उप प्रभाग रोजगार गारंटी योजना यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी वेबसाईट सूचना का अधिकार अधिनियम, २००५ (सन् २००५ का २२) की धारा ४(१) (ख) सभी सत्रह उपबंधों का पूर्ण रुप से अनुपालन करने के लिए उनकी वेबसाईट पर अद्यतन है और अधिनियम के बारे में सभी सूचना मुफ्त डाऊन लोडेबल इलेक्ट्रानिक फॉर्म के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध है ।

(ख) **समवर्ती सामाजिक लेखापरीक्षा :** सभी कामकाजों के लिये प्रत्येक महिने में की जायेगी । इस प्रयोजन के लिये, कार्यक्रम अधिकारी, लागत, किये गये कार्य का विस्तृत विवरण और यदि कोई हो, परिवर्तन रिपोर्ट के लिये, भारत निर्माण स्वयंसेवक, ग्रामीण सामाजिक लेखा-परीक्षक, स्वयं सहायता समुह, युवा संघटनाओं और ऐसे अन्य ग्रामस्तर संघटनाओं को पिछले एक महिने के दौरान किया जानेवाला खर्च मुफ्त उपलब्ध करेगा ।

(ग) **सामाजिक लेखापरीक्षा** योजना के अधीन, ग्रामीण रोजगार गारंटी के लिये सभी शर्तों का कार्यान्वयन और सभी खर्च समेत श्रमिकों की न्यूनतम हकदारी कें उपबंध अधिनियम के अधीन निम्न से मिलकर प्रत्येक छह महिनों में कम से कम एक बार केंद्र सरकार द्वारा विहित रीत्या में सामाजिक लेखापरीक्षा के अध्यधीन होगा :—

(एक) सामाजिक लेखापरीक्षकों के रूप में स्थानीय युवाओं की पहचान करके, प्रशिक्षण देना ; और सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित करने के लिये ग्राम पंचायत के बाहर से युवाओं से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये प्रशिक्षित सामाजिक लेखा-परीक्षक दल बनाना, परंतु, यह सुनिश्चित करना कि कम से कम २५ प्रतिशत ग्रामीण सामाजिक लेखापरीक्षक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समूहों से है । ऐसे युवाओं द्वारा उपलब्ध सेवाओं के लिए उसमें प्रत्येकी एक केंद्र सरकार के अधीन कुशल श्रमिक को देय परिश्रमिक से अनून दर में मानदेय अदा किया जायेगा।

(दो) लागत मुफ्त सामाजिक लेखा परीक्षा दलों के लिए अभिलेखों का उपबंध। (मस्टर रोल, एम-बुक, पे ऑर्डर) ;

(तीन) एम-बुक पर उसके साथ के क्षेत्र में उपायोंकी पुनर्जांच करने के लिये प्रत्येक कार्य स्थल का सत्यापन और इस प्रकार निष्पादित कार्य की उपयोगिता और परिणाम का निर्धारण करना।

(चार) संबंधित लाभ ग्राहियों से अभिलेख पर प्रत्येक अदायगी का सत्यापन करना।

(पाँच) अनुमानित परिणामों से परिणामों की सत्यापन करना।

(छह) क्षेत्र में हकदारी के उपबंधों का सत्यापन करना।

(सात) महत्त्वपूर्ण समूहों के लिए, इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पुर्नर्विलोकन करना।

(आठ) निष्कर्षों को पढ़ने के लिए वार्ड, ग्राम पंचायत और ब्लाक स्तर में सामाजिक लेखा-परीक्षकों द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का संचालन करना।

(नौ) सामाजिक लेखापरीक्षा के रिपोर्टों पर सुव्यवस्थित रूप से बाद की कार्यवाही करना और सामाजिक लेखापरीक्षा करने के दिनांक से ६ महिने के भीतर, सामाजिक लेखापरीक्षा में दुरूपयोग, में निष्कार्षित और अनियमितताओं पर पायी गयी रकमों की वसूली पूरी करने के लिए उपयुक्त अनुशासनात्मक/दांडिक कार्यवाही पूरी करना।

२५. अधिनियम के अधीन खर्च की गई रकमों का कोई दुरूपयोग किया जाता है तो, राज्य में चालू वसूली के लिये राजस्व विधियों के अनुसार वसूली योग्य होगा।

२६. कार्य का उचित दर्जा सुनिश्चित करने के लिये, दर्जा नियंत्रण दलों द्वारा नियमित जाँच और कार्य के पर्यवेक्षण के लिये उपबंध करना साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना कि कार्य के पूरा होने के लिये अदा की गई कुल मजदूरी दर्जे और किये गये कार्य के परिमाण के अनुसार है।

२७. राज्य सरकार, अपनी खुद की यंत्रणा या सिविल संस्था संघटनाओं के कामकाज के जरिए दोनों, कार्यान्वयन में उनकी सहभागिता में सुधार लाने के लिए, औपचारिक समूहों या संग्रहित श्रम में कर्मकारों का आयोजन करने के लिए कदम उठाएगी और अधिनियम के अधीन उपबंधित हकदारी के उपबंधो को सुनिश्चित करेगी।

२८. प्रभावी शिकायत राहत यंत्रणा की स्थापना,—

(क) शिकायत प्राप्ति के लिये, संस्थागत तंत्र-क्रीया जिस समय और जब उद्‌भूत हो, तब जिस दौरान प्रत्येक सप्ताह के एक दिन नियत करते समय, सभी पदाधिकारियों के वार्ड, ग्राम पंचायत/ब्लाक और जिला स्तर में शिकायत प्राप्त करने के लिये उपस्थित रहने के लिये आवश्यक किया जायेगा ;

(ख) शिकायत प्राप्ति के लिये, प्राधिकृत सभी कार्मिकों द्वारा लिखित, फोन, इंटरनेट और मौखिक में स्वीकृत शिकायतों की प्राप्त करने की दिनांकित रसीद जारी करना ;

(ग) स्थल सत्यापन, निरीक्षण के जरिए जाँच और सात कार्य दिनों के भीतर, निपटान पूरा करना ;

(घ) जाँच पूरी होने पर, संबंधित प्राधिकारी द्वारा १५ दिनों के भीतर तत्काल कदम उठाये जायेंगे ;

(ङ) सात दिनों के भीतर शिकायत के निपटान के लिए असफल होने पर अधिनियम की धारा १४क के अनुसार उल्लंघन के रुप में उचित समझे जायेंगे ;

(च) वित्तीय अनियमितता संबंधी साक्ष्य **प्रथम दृष्ट्या होने** के मामले में, सामाजिक लेखापरीक्षा में, शिकायत या निष्कर्ष के प्रारंभिक जाँच के पश्चात्, जिला कार्यक्रम समन्वयक विधि सलाह प्राप्त करने के पश्चात्, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करें ;

(छ) संबंधित प्राधिकारी, जाँच के निष्कर्ष से व्यथित व्यक्ति या पक्षकार की सूचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा और उसकी शिकायत के राहत के लिये लिखित में कदम उठायेगा ;

(ज) सभी एजेंसियों द्वारा प्राप्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही, क्रमशः पंचायत समिति और जिला परिषद की बैठक के समक्ष रखी जायेगी ;

(झ) ग्राम पंचायत के आदेशों के विरुद्ध के अपिल, कार्यक्रम अधिकारी को किये जायेंगे ; जिन कार्यक्रम अधिकारीयों के आदेश के विरुद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को दिये जायेंगे ; को जिला कार्यक्रम समन्वयक के विरुद्ध राज्य आयुक्त (एन.आर.ई.जी.एस.), और राज्य शिकायत राहत अधिकारी को की जायेगी ;

(ञ) सभी अपील, आदेश जारी करने के दिनांक से पैंतालीस दिनों के भीतर किये जायेंगे ;

(ट) सभी अपील, एक महीने के भीतर निपटाये जायेंगे ;

(ठ) ग्राम पंचायत, ब्लाक, जिला स्तर में रजिष्ट्रीकृत शिकायते १५ दिनों के भीतर सुलझायी नहीं जाती है तों, अगले उच्चतर स्तर अगले उच्च स्तर पर जायेंगी और उनकी इलेक्ट्रानिकली मानिटरींग की जायेगी ;

२९. शिकायत निराकरण अधिकारी (ओंबड्सपर्सन).—जारी किये गये मार्गदर्शक तत्त्वों के अनुसार शिकायते प्राप्त करने, उसमें जाँच करने और निर्णय पारित करने के लिये प्रत्येक जिले में एक शिकायत निराकरण अधिकारी होगा।

३०. राज्य सरकार, कार्यक्रम अधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक, शिकायत अधिकारी, सामाजिक लेखा-परीक्षा यूनिट, कॉल सेन्टर या सहायता केंद्र, सतर्कता और मानिटर समिति, राष्ट्रीय स्तर मानिटर, रोजगार सहायता केंद्र और कार्यक्रम का प्रभावी मानिटर और शिकायतों की राहत के लिये, पर्याप्त सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य इकाई के क्रियाकलापों का समन्वय करेगी।

३१. जहाँ कही अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन, राज्य सरकार या जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी या शिकायत निराकरण अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य प्राधिकारी द्वारा जाँच करने के पश्चात्, साबित होता है तो, केंद्रीय अधिनियम की धारा २५ के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही की जायेगी।

३२. जिला कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी और ग्राम पंचायत अपनी या उनकी अधिकारिता के भीतर, योजना के कार्यान्वयन से संबंधित तथ्य और आँकडे और उपलब्धियाँ से अन्तर्विष्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसकी प्रति माँग पर योजना में विनिर्दिष्ट की जाए ऐसी फीस की अदायगी पर जनता को उपलब्ध की जायेगी।

३३. योजना के संबंधित मस्टर रोल समेत सभी लेखा और अभिलेख, सार्वजनिक संविक्षा के लिये विनाशुल्क उपलब्ध किये जायेंगे। कोई व्यक्ति उसकी प्रति या सुसंगत उद्धरण प्राप्त करने का इच्छुक है तो, उसकी माँग पर ऐसी प्रतियाँ या उद्धरण उसकी फीस की अदायगी पर, आवेदन प्राप्ति के दिनांक से तीन कार्य दिन से कम न हो, दी जायेगी।

३४. योजना के एक भाग के रूप में क्षमता निर्माण योजना, सूचना शिक्षा संसूचना संयोजना और पंचायतों के मजबूतीकरण के लिए योजना होगी।

अनुसूची तीन

[धारा ३-ख (१) और (२) देखिए]

योजना के अधीन ग्रामीण रोजगार गारंटी और श्रमिकों की न्यूनतम हकदारी के लिए शर्ते—

जॉब कार्ड—

१. किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहनेवाले प्रत्येक परिवार के प्रौढ़ सदस्य और अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए इच्छुक है तो, जॉब कार्ड जारी करने के लिये, उनके परिवार के रजिस्ट्रीकरण के लिये, जिस क्षेत्राधिकार में वह निवास करता है उस ग्राम स्तर की ग्रामपंचायत को उसके परिवार का नाम, आयु और पता प्रस्तुत करेगा। यदि रोजगार पानेवाली व्यक्ति एकल महिला या विकलांग या प्रौढ व्यक्ति या निर्मुक्त या श्रमिक या विशेषत: महत्वपूर्ण जनजाति समूहों का है तब अलग-अलग रंग के विशेष जॉर्ब कार्ड उन्हें देने होंगे जिससे कार्य, कार्य का मूल्यांकन या, यथास्थिति, कार्य स्थल सुविधाएँ देने में विशेष संरक्षण उन्हें देने की सुनिश्चित होगी।

२. परिवार के रजिस्ट्रिकृत प्रौढ सदस्यों के विस्तृत वितरण से युनिक जॉब कार्ड संख्या, उनके फोटो, बैंक या डाक कार्यालय लेखा संख्या, बीमा पॉलिसी संख्या और यदि कोई हो, आधार संख्या उसमें अन्तर्विष्ट हो, वह उचित समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात्, ऐसे आवेदन की प्राप्ति के दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, जॉब कार्ड जारी करना ग्रामपंचायत का कर्तव्य होगा।

३. जारी किया गया जॉब कार्ड, कम से कम पाँच वर्षों के लिये वैध होगा जिसे सत्यापन के पश्चात्, नवीकृत किया जायेगा। रजिस्ट्रीकरण करनेवाले प्राधिकरण का यदि समाधान हो जाता है की कोई व्यक्ति रजिस्ट्रिकृत करते समय स्वयं उसकी आयु के संबंध में झूठी घोषणा करता है तो, संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद उसका नाम रजिस्टर में से हटाएगा।

४. कोई जॉब कार्ड जहाँ द्विप्रतिक या यदि संपूर्ण परिवार ग्राम पंचायत के बाहरी स्थान में स्थायीरूप से स्थानान्तरित होते है और यथा निम्न रीत्या लम्बे समय तक जीवनयापन नहीं करता है पाया जाता है को छोडकर रद्द नही किया जायेगा।

५. राज्य सरकार, अधिनियम के अधीन हकदारी का मानीटर करते समय नियमित रूप से जॉब कार्ड में निम्न विवरणों को अद्यतन करने के लिए व्यवस्था करेगी जो यथा निम्न स्पष्टरूप से सूचिबद्ध है :—

(एक) जितने दिनों के लिये कार्य की माँग की गई है उनकी संख्या ;

(दो) आबंटित किये गये कार्य के दिनों की संख्या ;

(तीन) मस्टर रोल संख्या के साथ आबंटित किये गये कार्य का वर्णन ;

(चार) मापन का विस्तृत विवरण ;

(पाँच) बेरोजगारी भत्ता यदि कोई अदा किया हो ;

(छह) कार्य किये गये दिनों के दिनांक और संख्या ;

(सात) अदा की गई मजदूरी की दिनांकवार रकम ;

(आठ) यदि, कोई अदा की गयी विलम्बित क्षतिपूर्ति ।

कार्य की मांग :—

६. परिवार के रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक प्रौढ़ सदस्य जिस का नाम जॉब कार्ड में प्रतीत है, इस योजना के अधीन अकुशल शारीरिक कार्य के लिए लागू होने के लिये हकदार होगा ; और प्रत्येक ऐसा आवेदन, अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा, और दिनांक के साथ जारी रसीद संगणक प्रणाली में प्रविष्ट की जायेगी ।

७. राज्य दुर्बल समूहों की आवश्यकता की सक्रिय रूप से जाँच करेगी और उन्हें कार्य मुहैया करेगी।

८. कार्य की प्रयुक्ति मौखिक और लिखित में होगी और वार्ड सदस्य को या ग्राम पंचायत को या कार्यक्रम अधिकारी को या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या टेलिफोन या मोबाईल या आपसी संवाद प्रतिसाद यंत्रणा या कॉल सेंटर या बेबसाईट के ज़रिए या इस प्रयोजन के लिये कीओस सेट अप (सार्वजनिक केंद्र) के ज़रिए या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य के ज़रिए की जायेगी ।

९. कार्य की प्रयुक्ति व्यक्तिगत या एक साथ समूह के लिए भरी जायेगी ।

१०. किसी व्यक्ति का जितने दिन के रोजगार के लिए आवेदन कर सकेगा उस रोजगार के दिनों की संख्या जिसके परिवार के कुल हकदारी के अध्यधीन, पर या उसको वास्तविक रूप से उपबंधित रोजगार के दिनों की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी।

११. साधारणतः लगातार कार्य के कम से कम चौदह दिनो में कार्य के लिये आवेदन कर सकेगा, स्वच्छता सुविधाओं के पहूँच से संबंधित कार्यों से अन्य जिसके लिये लगातार कार्य के लिए, आवेदन कम से कम छह दिनों के लिये किया जायेगा ।

१२. अग्रिम आवेदन के लिए, योजना में उपबंध किया जायेगा, अर्थात्, आवेदन, जिस दिनांक से रोजगार दिया जायेगा उस दिनांक से पहले प्रस्तुत करना होगा ।

१३. उसी व्यक्ति द्वारा, बहुउद्देशीय आवेदनों के प्रस्तुतीकरण के लिए इस योजना में यह उपबंध किया गया है कि, दिया गया रोजगार परस्परछेदी न होकर तत्संबंधी अवधियों को उपबंधित करें ।

कार्यो का आबंटन —

१४. ग्रामपंचायत और कार्यक्रम अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि हर एक आवेदक, आवेदन की प्राप्ति, के पंद्रह दिनों के भीतर या अग्रिम आवेदन के मामले में वह कार्य करने का इच्छुक है जो भी बाद का है उस दिनांक से योजना के उपबंधों के अनुसार अकुशल शारीरिक कार्य का उपबंध करेंगे। इस योजना के अधीन कार्यक्रम अधिकारी, इस योजना के अधीन स्वेच्छाधारी के लिए रोजगार देने के किसी भी प्रकार के कार्य की अनुमति देने देगा ।

१५. लाभार्थियों में से कम से कम एक तिहाई के लिए, महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो महिला कार्य के लिए रजिस्ट्रीकृत है और अनुरोध करती है । एकल महिला की सहभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे और निर्योग्यता बनायी जायेगी ।

१६. आवेदक, जिन्हें काम दिया गया है उन्हें लिखित में इस प्रकार संसूचित किया जायेगा इसका अर्थ उन्होंने जॉब कार्ड पर दिये गये पते पर पत्र भेजकर या ग्राम पंचायत के कार्यालय में सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करके की जायेगी ।

१७. व्यक्तियों की सूची जो कार्य के साथ उपबंधित है, वह ग्राम पंचायत के नोटीस बोर्ड पर या कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय पर और ऐसे अन्य स्थान पर जैसा कार्यक्रम अधिकारी आवश्यक समझे प्रदर्शित की जायेगी और सूची राज्य सरकार और किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए खुली होगी ।

१८. यथा संभव शीघ्र ही, रोजगार, जहाँ आवेदक आवेदन करने के समय निवास करता है उस ग्राम पंचायत के पाँच किलोमीटर की अधिव्याप्ति के भीतर प्रदान किया जायेगा ।

१९. योजना के अधीन नया कार्य यदि, उस कार्य के लिए कम से कम दस श्रमिक उपलब्ध होते है, तो प्रारंभ किया जायेगा, परंतु यह शर्त, राज्य सरकार द्वारा यथा अवधारित पहाड़ी क्षेत्रों में और वनरोपण कार्यों के लिए नये कार्य के लिए लागू नहीं होगी ।

२०. परिच्छेद १८ में विनिर्दिष्ट अधिव्याप्ति के बाहर दिये जानेवाले रोजगार के मामले में, वह ब्लाक के भीतर दिया जायेगा और श्रमिकों के जीवनमान हेतु, अतिरिक्त परिवहन और अधिक मजदूरी के रूप में मजदूरी का दस प्रतिशत दिया जायेगा ।

२१. रोजगार की अवधि, कम से कम सप्ताह में छह दिनों से अधिक न होकर निरंतर कम से कम चौदह दिनों की होनी चाहिये ।

कार्य स्थल का प्रबंधन —

२२. कार्य स्थल पर पारदर्शिता के प्रयोजन के लिए, निम्न की सुनिश्चिति की जायेगी :—

(एक) जहाँ कार्य के विभिन्न उपबंध है वहाँ परियोजना आरंभिक बैठक लेकर मजदूरों को स्पष्ट की जायेगी ;

(दो) मंजूर कार्य आदेश की प्रतिलिपि कार्यस्थल पर लोगों के निरीक्षण हेतु उपलब्ध होगी ;

(तीन) लोगों के निरीक्षण के लिए हर एक कार्य के परिमाणों का अभिलेख और मजदूरों का विवरण उपलब्ध किया जायेगा ;

(चार) नागरिक सूचना बोर्ड, प्रत्येक कार्यस्थल पर रखा जायेगा और केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये रीत्या में नियमित रूप से अद्यतन होगे ;

(पाँच) केंद्र सरकार के अनुदेशों के अनुसार, स्थापित सतर्कता और अनुरक्षण समिति, सभी कार्यो को देखेगी और उसकी मूल्यांकन रिपोर्ट, केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये प्रारूप में कार्य रजिस्टर में अभिलिखित करेगी और सामाजिक लेखापरीक्षा के दौरान, ग्राम सभा को प्रस्तुत करेगी ।

२३. सुरक्षित पेयजल सुविधाऐं, बच्चों के लिए शेड और विश्राम की अवधि, छोटे जख्मों और कार्य करते वक्त जुड़े स्वास्थ्य के अन्य जोखिमों के लिए आपात उपचार हेतु पर्याप्त सामग्री के साथ प्रथमोपचार बॉक्स कार्य स्थल पर उपलब्ध किया जायेगा।

२४. किसी स्थल पर कार्य करनेवाली महिलाओं के साथ पाँच वर्षों की आयु से निम्न की संख्या के पाँच या अधिक होती है तो, उस मामले में ऐसे बच्चों को देखने के लिए, ऐसी महिला श्रमिकों में से एक प्रतिनियुक्त की जायेगी। इस प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति को नियत दर पर वेतन दिया जायेगा। उस परिक्षेत्र की अल्प आय रहनेवाली महिला, शोषित महिला या बंधुआ श्रमिक या जो दोषपूर्ण अवैधतावाले या स्वेच्छाधारी शारीरिक श्रम झाडूवाली है, उन्हें बच्चों की देखभाल हेतु रोजगार प्रदान किया जायेगा।

कल्याण :—

२५. यदि इस योजना के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को कोई दुर्घटना उद्‌भूत होने द्वारा और उसके रोजगार के प्रकम में कोई व्यक्तिगत जख्म होता है तो वह, विनाशुल्क यथा अपेक्षित ऐसे चिकित्सा उपचार पाने का हकदार होगा।

२६. जहाँ जख्मी मजदूर को अस्पताल ले जाना जरूरी है, तो राज्य सरकार, आवास, उपचार, दवाईयाँ और दैनिक भत्ता अदायगी के साथ अस्पताल में ले जाने का प्रबंध करेगा जो वेतन दर के आधे से कम नहीं होगा।

२७. (एक) यदि इस योजना के अधीन, रोजगार पर लगाए गया किसी भी व्यक्ति को उसके रोजगार के कारण और उसके रोजगार पर तैनाती पर हुए दुर्घटना के कारण हानी पहुँचती है, तो वह व्यक्ति योजना के अनुसार अनुदेय रहनेवाली वैद्यकिय चिकित्सा बिनाशुल्क लेने का हकदार होगा और उस समय ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में रखना आवश्यक है तो राज्य सरकार निवास व्यवस्था, उपचार और आहार के साथ उस व्यक्ति को अस्पताल में रखने की व्यवस्था करेगी। उस व्यक्ति पर अस्पताल में इलाज किया जा रहा हो तो उस समयावधि में वह व्यक्ति धारा ३(ग) में निर्देशित उसके कम से कम आधे दर से दैनिक मजदूरी मिलने का हकदार होगा। ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में ५०,००० रुपये की दर में अनुग्रहपूर्वक अदायगी या इस निमित्त समय-समय में जारी सामान्य आदेश द्वारा राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाए ऐसी उच्चतर रकम योजना में अधिकथित रीत्या उनके कानूनी वारिस को दी जाएगी। विकलांगता के मामले में, ऐसा व्यक्ति योजना के अनुसार, अवधारित किया जाए ऐसी अनुग्रहपूर्वक अदायगी का हकदार होगा, परन्तु ऐसी अदायगी की रकम मृत्यु के मामले में अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिये यथा उपयुक्त राज्य सरकार द्वारा अवधारित रकम से अधिक नहीं होगी। ५०,००० रुपये की कुल रकम में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित २५,००० रुपये इतनी रकम शामिल की जायेगी।

(दो) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक महिला डेढ़ सौ दिनों से कम न हो अवधि के लिए या उसके अनुमानित परिदान के दिनांक के सद्य पूर्ववर्ती बारह महीने में जैसा कि विहित किया जाए ऐसी कम अवधि के लिये योजना के लिये नियोजित किया गया है तो तीस दिनों की अवधी के लिए कार्य से अनुपस्थित किये जाने के लिये अनुमति दी जायेगी और देय दैनिक मजदूरी की अनुग्रहपूर्व अदायगी को इस अवधि के दौरान या ऐसी मंजूरी के लेखे पर स्वयं महिने में जिस सद्यपूर्ववर्ती दिनांक से वह अनुपस्थित रहती है से अदा की जायेगी ।

(तीन) राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक व्यक्ति जो योजना के अधीन नियोजित किया गया है और बन्धीकरण, शल्यक्रिया या किसी अन्य शल्यक्रिया या जन्म नियंत्रण और परिवार योजनाओं के लिए उपचार कराने के लिये राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित किया गया है तो, राज्य सरकार द्वारा, अनुमोदित चिकित्सा अधिकारी द्वारा सिफारिश की जाये ऐसी चौदह दिनों से अधिक न हो ऐसी अवधि के लिए विश्राम और स्वास्थ्यलाभ के लिए कार्य करने से शेष अनुपस्थिति के लिए और उसकी औसत दैनिक मजदूरी की अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए इस अवधि के दौरान अनुमति दी जायेगी।

२८. (एक) यदि इस योजना के अधीन, रोजगार पर लगाये गए किसी व्यक्ति के साथी बच्चों के साथ दुर्घटना द्वारा किसी व्यक्तिगत जख्म का कारण बनता है या ऐसी प्रासंगिक, अंशत: या पूर्णत: विकलांगता आने पर या उसका मृत्यू होने पर वह व्यक्ति बच्चे के लिए राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेश व्दारा नियोजित ऐसी बिनाशुल्क वैद्यकिय चिकित्सा लेने का हकदार होगा और कलक्टर या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया अधिकारी निश्चित की गई रकम मुआवजे के रुप में मिलने का हकदार होगा; यह रकम संबंधित व्यक्ति को होनेवाली व्यक्तिगत जख्म आदि के लिए धारा २७ में अधिकथित पैमाने से अधिक नहीं होगी।

(दोन) राज्य सरकार को, प्रत्येक मामले की गुणवत्ता पर, उसे सामान्य या विशेष आदेशाव्दारा अधिरोपित समझी जाए उसे उचित समझे ऐसी शर्तों के अध्यधीन, इस परिच्छेद में जिस के लिए प्रावधान नहीं ऐसे रोजगार गारंटी योजना कार्य के अधीन से उद्‌भूत ऐसे अल्प किसी भी कठिण स्थिति या आकस्मिक स्थिति से मार्ग निकालने के लिए परिच्छेद २७ अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित की गई अनुग्रहपुर्वक अदायगी की रकम से अधिक नहीं होगी इतनी रकम इस योजना के अधीन रोजगार पर किसी भी व्यक्ति को अनुग्रहपूर्वक अदायगी मंजूर की जा सकेगी ।

वेतन की अदायगी :—

२९. (१) मस्टर रोल के बंद होने की दिनांक से पंद्रह दिनों के भीतर, वेतन की अदायगी न करने के मामले में, वेतन पानेवाला मस्टर रोल के बंद होने की दिनांक से सोलहवे दिन से परे विलंब हेतु प्रति दिन अदा न किये गये वेतन की ०.०५ प्रतिशत दर पर, विलंब के लिए प्रतिपूर्ति की अदायगी प्राप्त करने का हकदार होगा।

(क) देय दिनांक से पंद्रह दिनों की अवधि से परे क्षतिपूर्ति की अदायगी की विलंब होता है तो वह वेतन की अदायगी के विलंब के उसी रित्या में विचार में लाया जायेगा।

(ख) वेतनों की अदायगी के उत्तरदायित्व की सुनिश्चिति के प्रयोजन के लिए और विभिन्न कृत्यकारियों या एजेंसियों की सदोषता की गणना करने हेतु, राज्य, विभिन्न चरणो में अवधारण और वेतन की अदायगी को वरियता देने की प्रक्रियाओं को विभाजित करेगा, जैसा कि–

(एक) कार्य के परिमाण ;

(दो) मस्टर रोलों का कम्प्यूटरीकरण ;

(तीन) परिमाणों को कम्प्यूटरीकृत करना ;

(चार) वेतनदरों की सूचियों का निर्माण ; और

(पाँच) निधि अन्तरण आदेश (एफटीओ) अपलोडिंग करना।

और कृत्यकारी या एजेंसी के साथ अधिकतम समय-सीमाओं का राज्यवार निर्दिष्ट करना जो विशिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए जिम्मेवार है।

(ग) कम्प्यूटर प्रणाली में, हाजिरी पत्रक के बंद होने की दिनांक पर आधारित देय क्षतिपूर्ति को स्वयंचलित परिगणना करने का और वेतन पानेवाले के खाते में वेतन जमा होने की दिनांक का उपबंध होगा।

(घ) राज्य सरकार, उक्त यथा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर, सत्यापन करने के बाद आगे की क्षतिपूर्ति अदा करेगी और अदायगी के विलंब के लिए जो जिम्मेदार है उन कृत्यकरियों या एजेंसीयों से क्षतिपूर्ति की रकम वसूल करेगी।

(ङ) प्रणाली कार्यान्वित होने की सुनिश्चिति करने की जिम्मेदारी, जिला कार्यक्रम समन्वयक अधिकारी या कार्यक्रम अधिकारी की होगी ।

(च) विलंब हुए दिनों की संख्या, देय परिश्रमिक और वास्तविक प्रदत्तता, मानिटरींग और सूचना प्रणाली में और श्रमिक बजट में परिवर्तित होगी।

(२) उप-परिच्छेद (१) का प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन, केंद्रीय अधिनियम की धारा २७ के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझा जायेगा।

३०. मजदूरी की अदायगी, जबतक केंद्र सरकार द्वारा इस प्रकार अपवर्जित नहीं होती है तबतक सुसंगत बैंक या डाक कार्यालयों में मजदूरों के व्यक्तिगत बचत खातों के जरिए की जायेगी।

३१. इस योजना के अधीन, उपबंधित रोजगार के मामले में, लिंग भेद के आधार पर रोकी नहीं जायेगी और समान पारिश्रमिक अधिनियम, १९७६ (सन् १९७६ का २५) के उपबंधों का अनुपालन किया जायेगा।

अभिलेख रखरखाव और शिकायत प्रतितोष यंत्रणा :—

३२. ग्राम पंचायत, ऐसे रजिस्टर, रसिद और अन्य दस्तावेजों को ऐसी अवस्था में तैयार करेगी या बनायेगी या तैयार करवायेगी या बनवाये रखेगी और ऐसी रित्या में जैसा कि कार्य कार्डो कि विशिष्टियाँ अन्तर्विष्ट करके योजना में विनिर्दिष्ट किया जाये और परिवार के प्रमुख का नाम, आयु और पते के पासबुक जारी करेंगी और परिवार के प्रौढ सदस्यों का ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रीकृत करेगी।

३३. ग्राम पंचायत, उसमें रजिस्ट्रीकृत परिवार और उनके सदस्य की नामों तथा पतों की सूची या सूचियाँ भेजेगी और योजना में विनिर्दिष्ट किये गये ऐसी अवधियों में और ऐसे प्रपत्र में ऐसी अन्य जानकारी संबंधित कार्यक्रम अधिकारी को भेजी जायेगी ।

३४. (१) इस अनुसूची में, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बाढ, चक्रावात, त्सुनामी और भूकंप जैसी किसी राष्ट्रीय आपदा की घटना के परिणामस्वरूप, ग्रामीण जनसंख्या के समूह विघटन में, इस प्रकार प्रभावित ग्रामीण परिवारों के प्रौढ, सदस्यों का,—

(क) रजिस्ट्रीकरण किया जायेगा और अस्थायी विस्थापित ग्राम पंचायत द्वारा या कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जॉब कार्ड पा सकेगा ।

(ख) कार्य के लिए लिखित में या मौखिक आवदनों को कार्यक्रम अधिकारी या अस्थायी विस्थापित क्षेत्र की ग्राम पंचायत को प्रस्तुत करेगा ; और

(ग) जॉब कार्ड की कोई हानि या नष्ट होने की घटना में, पुनः रजिस्ट्रीकरण और पुनः जारी करने के लिए आवेदन करेगा।

(२) ऐसे जॉब कार्डों का विवरण, जिला कार्यक्रम समन्वयक को सूचित करेगा।

(३) सामान्यतः पूर्वस्थिति में आने की घटना में, इस प्रकार जारी किये गये जॉब कार्ड को आवासों के मूल स्थानपर पुनः पृष्ठांकित किया जायेगा और उसका मूल जॉब कार्ड के साथ सम्मिलित होगा।

(४) इसप्रकार उपबंधित रोजगार दिनों की संख्या, प्रति परिवार गारंटीकृत रोजगार के १०० दिनों की परिगणना करते समय गिनी जायेगी।

३५. प्रत्येक श्रमिक को, इस योजना के अधीन शिकायत प्रतितोष यंत्रणा के उपबंधों के अनुसार, निपटान के लिए समस्त कार्यान्वयन स्तरों पर या तो मौखिक या लिखित में किसी शिकायत में सुनवाई का और रजिस्टर करने का अवसर दिया जायेगा।"।

कठिनाई के निराकरण की शक्ति ।

३६. (१) यदि, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्‌भूत होती है तो, राज्य सरकार, **राजपत्र** में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों से असंगत ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो उसे कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

परंतु, ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभण के दिनांक से तीन वर्षों की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं बनाया जायेगा।

(२) उप-धारा (१) के अधीन, बनाया गया प्रत्येक आदेश, उसके बनाये जाने के पश्चात् यथा संभव शीघ्र राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2014.

THE MAHARASHTRA TAX LAWS (LEVY, AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVII OF 2014.

AN ACT FUTHER TO AMEND CERTAIN TAX LAWS IN OPERATION IN THE STATE OF MAHARASHTRA

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र राज्य में प्रवृत्त कतिपय कर विधियो में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयजनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य मे प्रवृत्त कतिपय कर विधियों में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में एतदद्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) धाराएँ २, ७, ९ और १५, १ जुलै २०१४ से प्रवृत्त होगी और शेष धाराएँ इस अधिनियम के **राजपत्र** में प्रकाशन के दिनांक पर प्रवृत्त होंगी ।

अध्याय दो

महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में संशोधन।

सन् १९५८ का ६० की अनुसूची एक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम में संलग्न **अनुसूची एक** के अनुच्छेद ६, में,—

(एक) खंड (१) के उप-खंड (ख) के स्तंभ (२) में, "ऐसे विलेख द्वारा सुनिश्चित राशि के प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये" शब्दों और अंकों के स्थान में, "अधिकतम दस लाख रुपये के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा सुनिश्चित राशि के प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये" शब्द और अंक रखें जाएगे ; सन् १९६२ का महा. ९।

(दो) खंड (१) के उप-खंड (ख) के, स्तंभ (२) में, "ऐसे विलेख द्वारा सुनिश्चित राशि के प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये" शब्दों और अंकों के स्थान में, "अधिकतम दस लाख रुपयों के अध्यधीन ऐसे विलेख द्वारा सुनिश्चित राशि के प्रत्येक १,००० रुपये या उसके भाग के लिए दो रुपये " शब्द और अंक रखें जाएंगे ;

अध्याय तीन

महाराष्ट्र गन्ना क्रय कर अधिनियम, १९६२।

सन् १९६२ का महा. ९।

३. महाराष्ट्र गन्ना क्रय कर अधिनियम, १९६२ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, गन्ना क्रय कर अधिनियम कहा गया है) की धारा १२क के बाद, निम्न धारा निविष्ट की जायेगी अर्थात् :— सन् १९६२ का महा. ९ में धारा १२ कक की निविष्टि।

सन् १९६२ का महा. ९।

"**१२कक.** इस अधिनियम के उपबंध और तद्धीन बनाए गए अधिनियमों के अध्यधीन, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियम जहाँ तक वे भूराजस्व के बकाए के रुप में कर वसूली से संबंधित है तो वह **यथावश्यक परिवर्तन समेत,** इस अधिनियम के अधीन कर की वसूली के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे। इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किए प्राधिकारियों की, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ के अधीन नियुक्त किए गए समतुल्य प्राधिकारियों के सभी शक्तियों के प्रयोग करने और सभी कर्तव्यों के पालन करने के अधिकार होंगे।"। भूराजस्व के बकाये के रूप में कर की वसूली के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारियों की विशेष शक्तियाँ।

४. गन्ना क्रय कर अधिनियम की धारा १२ ख में, खंड़ (घ) के पश्चात्, निम्न खंड़ जोड़ा जायेगा, अर्थात्,— सन् १९६२ का महा. ९ में धारा १२ ख में संशोधन।

"(ङ) राज्य में शक्कर कारखानों को सहायता करने के प्रयोजन के लिए वर्ष २०१३-१४ के लिए किसानों को उचित और पारिश्रमिक मूल्य देना।"

अध्याय चार

मराहाष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ में संशोधन।

सन् १९७५ का महा. १६।

५. महाराष्ट्र राज्य वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर अधिनियम, १९७५ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, "व्यापार कर अधिनियम" कहा गया है) की धारा ६ की उप-धारा (३) में निम्न परंतुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्,— सन् १९७५ का महा. १६ की धारा ६ में संशोधन।

"परंतु, यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि, सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है तो समय-समय पर, **राज्यपत्र** में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस उप-धारा के अधीन देय विलंब फीस के संपूर्ण या किसी भाग से, कर्मचारियों के ऐसे वर्ग या वर्गों द्वारा, ऐसी अवधि या अवधियों के लिये, या तो भविष्यलक्षी रूप से या भूतलक्षी रूप से छूट दे सकेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए।"

६. वृत्ति कर अधिनियम की धारा २७क में, खंड़ (ङ) के स्तान में, निम्न खंड रखा जाएगा, अर्थात्,— सन् १९७५ का महा. १६ की धारा २७क में संशोधन।

"(ङ) कोई व्यक्ति जो इस निमित्त बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट बौद्धिक और विकास विकलांगता के साथ (मतिमंद) है, जिसमें सरकारी अस्पताल में कार्यरत मनोचिकित्सक द्वारा प्रमाणित करता है और जो साधारण कार्य लाभकारी नियोजन में लगा हुआ है और ऐसे व्यक्ति के अभिभावक या पालक ऐसी व्यक्तिगत क्षमता को कम करते है :

परंतु, ऐसा व्यक्तिगत, या यतास्थिति, नियोक्ता उपर्युक्त प्रमाणपत्र विहित प्राधिकारी के समक्ष इस खंड के अधीन कटौती के लिए प्रथम निर्धारण वर्ष संबंधी दावा करता है।

स्पष्टीकरण.—इस खंड के प्रयोजन के लिए, "सरकारी अस्पताल" अभिव्यक्ति का वही अर्थ होगा जो खंड (ग) के समनुदेशित अर्थ से है ;"।

सन् १९७५ का महा. १६ की अनुसूची १ में संशोधन।

७. वृत्ति कर अधिनियम की संलग्न अनुसूची एक में प्रविष्टि १,—

(एक) खंड (क) में, "५,०००" अंकों के स्थान में, "७,५००" अंक रख जायेंगे ;

(दो) खंड (ख) में, "५,०००" अंकों के स्थान में, "७,५००" अंक रख जायेंगे ;

अध्याय पाँच

महाराष्ट्र सुख-सुविधा पर कर अधिनियम, १९८७ में संशोधन।

सन् १९८७ का महा. ४१ की धारा २ में संशोधन।

८. महाराष्ट्र सुख-सुविधा पर कर अधिनियम, १९८७ (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, सुख-सुविधा कर अधिनियम," कहां गया है की धारा २ में,— सन् १९८७ का महा. ४१।

(१) खंड (ख-१क) में, "पर्यटन परियोजना, २,०००" इन शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या पर्यटन निति-२००६" शब्द और अंक रखे जाएँगे ;

(२) खंड (घ-१) में, "पर्यटन परियोजना, २,०००" इन शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या पर्यटन निति-२००६" शब्द और अंक जोड़े जाएँगे ;

सन् १९८७ का महा. ४१ की धारा ३ में संशोधन।

९. सूख-सुविधा कर अधिनियम धारा ३ की उप-धारा (२) में,—

(१) खंड (क) में, "सात सौ और पचास रुपये" शब्द के स्थान में, "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएँगे ;

(२) खंड (ख) में,—

(एक) "सात सौ पचास रुपये" शब्द के स्थान में, "एक हजार रुपये" शब्द रखे जाएँगे ;

(दो) "बारा सौ रुपये" शब्द के स्थान में, "एक हजार पाँच सौ रुपये" शब्द रखे जाएँगे ;

(३) खंड (ग) में, "बारा सौ रुपये" शब्दों के स्थान में, "एक हजार पाँच सौ रुपये" शब्द रखे जाएँगे ;

सन् १९८७ का महा. ४१ की धारा २२ क में संशोधन।

१०. सुख-सुविधा कर अधिनियम की धारा २२क में,—

(१) "जारी की गई अधिसूचना को संलग्न अनुसूची की प्रविष्टि ७ की उप-प्रविष्टि (२) या, यथास्थिति, उप-प्रविष्टि (३)" शब्दों, कोष्ठकों तथा अंकों के स्थान में, "समय-समय पर जारी की गई अधिसूचना को संलग्न अनुसूची का कोई भी प्रविष्टि" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) "अधिनियम, २००४" इन शब्दों और अंकों के पश्चात्, "या, यथास्थिति, पर्यटन नीति, २००६" शब्द और अंक निविष्ट किए जाएँगे ;

(३) पार्श्व टिप्पणी में, "पर्यटन परियोजना" शब्दों के बाद "पर्यटन नीति" शब्द जोड़े जाएँगे।"।

सन् १९८७ का महा. ४१ की धारा २२ ख की निविष्टि।

११. सुख-सुविधा क अधिनियम की धारा २२क के पश्चात्, निम्न धारा निविष्ट की जाएँगी, अर्थात् :—

"२२ख. (१) " पर्यटन नीति-२००६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पर्यटन नीति-२००६ के संबंध में, हकदारी का प्रमाणपत्र उक्त नीति, के परिशिष्ट 'ख' में, यथा दर्शित क्षेत्र 'ख' या, यथास्थिति, क्षेत्र 'ग' में, विनिर्दिष्ट क्षेत्र में, स्थित जिसे महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१४ के प्रारंम्भण के बाद पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया है उस पात्र युनिट को ही प्रदान किया जायेगा। सन् २०१४ का महा. २७।

परंतु, पर्यटन नीति-२००६ के अधीन विस्तार युनिटों को हकदारी का प्रमाणपत्र, यदि विद्यमान युनिट की क्षमता में, वृद्धि हुई है तो ही प्रदत्त किया जायेगा।

(२) पर्यटन नीति-२००६ में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान युनिट में विस्तार के लिए पात्रता का प्रमाणपत्र और हकदारी का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है कोई पात्र युनिट उप-धारा (३) के उपबंधों के लागू कराकर, प्राप्ति के आवर्तन के उस भाग पर, जब भी परिनिर्धारण हो, इस अधिनियम के अधीन किसी भी वर्ष में लाभ प्राप्त करने के लिये हकदार होगा।

(३) जब पात्र युनिट, के मामले में,—

(क) प्राप्तियों का अलग लेखा बनाए रखा गया हो और वृद्धि क्षमता से संबंधित प्राप्तियों की पहचान करने में, समर्थ हो, तब प्राप्तियों के आवर्तन का भाग एकमात्र ऐसी पहचान के आधार पर विनिश्चित किया जायेगा ;

(ख) प्राप्तियों का अलग लेखा न रखा गया हो और क्षमता में, वृद्धि के संबंध में, प्राप्तियों की पहचान करने में, समर्थ ना हो, तब ऐसे लाभ निम्न सूत्र के लागू होने के पश्चात्, परिगणित किए जाएँगे :—

$$\text{प्राप्तियों के पात्र आवर्तन} = \frac{\text{प्राप्तियों का आवर्तन} \times \text{क्षमता में वृद्धि}}{\text{ऐसी वृद्धि के पश्चात्, कुल क्षमता}}$$

स्पष्टीकरण.— इस धारा प्रयोजन के लिए, "क्षमता में, वृद्धि" अभिव्यक्ति का अर्थ, "पर्यटन नीति-२००६ में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अर्थ के समान होगा।"।

अध्याय-छह

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में संशोधन।

सन् २००५ का महा. ९।

१२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा ३ में (जिसे इसमें आगे इस अध्याय में, "मूल्यवर्धित कर अधिनियम" कहा गया है), की धारा ३ की उप-धारा ४ के खंण्ड (ख) में, "५,००,०००" अंको के स्थान में, "१०,००,०००" अंक रखे जायेंगे। सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३ में संशोधन।

१३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १० की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा १० में संशोधन।

(एक) उप-धारा (२) में, खण्ड (ख) अपमार्जित किया जाएगा;

(दो) उप-धारा (६) में, "वरिष्ठ उपायुक्त" शब्द अपमार्जित किए जाएँगे।

१४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा १६ की, उप-धारा ६ के,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा १६ में संशोधन।

(१) खंड (ख) में, "की धारा ३" शब्द और अंक के बाद, "या" शब्द जोड़ा जाएगा :

(२) इस प्रकार संशोधित खंड (ख) के बाद, निम्न खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

"(ग) निर्यातक से अन्य रजिस्ट्रीकृत ब्यौहारी के विक्रयों का आवर्तन, वर्ष २०१३-१४ के दौरान, धारा ३ की उप-धारा ४ में विनिर्दिष्ट सीमा से अधीक नहीं होगा।"

(३) "मामले की परिस्थितियाँ " शब्दों के बाद, निम्न निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्,—

"(ग) खंड (ग) द्वारा सम्मिलित मामले में, ब्यौहारी, ३० सितंबर, २०१४ को या पूर्व आयुक्त को उसका रजिस्ट्रीकरण रद्द करने के लिए विहित प्ररूप में आवेदन करेगा और तदुपरांत, आयुक्त, उचित समझे ऐसी जाँच करने के बाद, १ अक्तूबर, २०१४ से रजिस्ट्रिकरण रद्द करेगा।"।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २० में संशोधन।

१५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा २० की उप-धारा ६ में, "पाँच हजार" शब्दों के स्थान में, यदि विवरणी ऐसी दाखिल करने के लिए, विहित देय दिनांक की समाप्ति से ३० दिनों की अवधि के भीतर दाखिल करता है तो "दो हजार और किसी अन्य मामल में, "पाँच हजार रुपये की रक्कम" शब्द रखे जाएँगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २३ में संशोधन।

१६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम को धारा २३ में,—

(१) उप-धारा (९), अपमार्जित की जाएगी।

(२) उप-धारा (१०) को, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,—

"परंतु १ अप्रैल, २०११ को या के बाद प्रारंभ होनेवाली अवधि के संबंध में, ब्यौहारी के मामलें में नियमों के अधीन अपेक्षित विभिन्न विहित प्रपत्रों में एक से अधिक विवरणी दाखिल करनी है तब, ऐसा ब्यौहारी उक्त अवधि के लिए विवरणी के हर एक प्रपत्र के लिए, अलग रूप से निर्धारित कर सकेगा।"।

(३) उप-धारा (११) में,—

(क) "लिखित में आदेश" शब्दों के बाद, जिसमें ऐसा आवेदन जिस महीने में किया गया हो उसकी समाप्ति से तीन महीनों के भीतर" शब्द निविष्ट किए जायेंगे।

(ख) परंतुक के बाद, निम्न परंतुक, जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु, आगे यह कि, यदि उपर्युक्त तीन महीनों की अवधि के भीतर कोई आदेश, पारित नहीं किया जाता है तब निर्धारण आदेश रद्द किया गया समझा जाएगा।";

(४) उप-धारा (१२) में, "रद्दकरण आदेश" शब्दों के बाद "या, यथास्थिति उप-धारा (११) के द्वितीय परंतुक के अधीन जिस दिनांक से निर्धारण आदेश, रद्द किया गया समझा गया है उस दिनांक से।"; शब्द कोष्ठक और अंक जोड़े जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा २६ में संशोधन।

१७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम को धारा २६ की, उप-धारा (६) में,—

(१) विद्यमान परंतुक के पूर्व, निम्न परंतुक निविष्ट किया जायेगा, अर्थात्,—

"परंतु, यदि किसी आदेश के विरूद्ध १ जुलै २०१४ को या के बाद दाखिल किए गए अपील के मामले में, जिसमें घोषणों या प्रमाणपत्र के विरूद्ध किया गया दावा, ऐसी घोषणाओं या, यथास्थिति, प्रमाणपत्रों के अप्रस्तुतीकरण के आधारों पर अस्वीकृत किया जाता है तब,—

(क) जहाँ ऐसे अपील वर्ष के संबंध में, अंत से दो वर्षों के बाद दाखिल की जाती है, तब ऐसे दावे के संबंध में, जब तक आवेदक १०० प्रतिशत कर की अदायगी नहीं करता है, तब तक रोक मंजूर नहीं की जाएगी।

(ख) जहाँ ऐसे अपील वर्ष के संबंध में अंत से दो वर्षों केबाद दाखिल की जाती है, जो ऐसे रोक के संबंधी दावे में है, यदि कोई हो, निष्प्रभावी होगी, यदि, ब्यौहारी दो वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व, अपेक्षित घोषणा प्रस्तुत करने में, विफल रहता है।

स्पष्टीकरण,— "अपील में अदायगी की गणना करने के प्रयोजन के लिए, उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित, पहले ही भागतः अदायगी की रकम यदि कोई हो, सम्मिलित की जायेगी।"।

(२) विद्यमान परंतुक में, "परंतु कि" शब्दों के स्थान में, "परंतु आगे यह कि" शब्द रखे जायेंगे।

१८. मूल्यवर्धित कर अधिनियम को धारा २९ की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा २९ में संशोधन।

(१) उप-धारा (३) में, "को समान" शब्दों के स्थान में, "देय कर की रकम से अधिक नहीं किंतु, पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं" शब्द रखे जायेंगे ;

(२) उप-धारा (७) के बाद, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात्,—

"(७क) ब्यौहारी के मामले में, जो १ अगस्त, २०१२ को या के बाद विलंब से विवरणी दाखिल करता है और धारा २० की उप-धारा (६) के अधीन विलंब फीस भी अदा करता है तब ऐसी विवरणी के संबंध में, शास्ति यदि कोई हो, इस धारा की उप-धारा (८) के अधीन अवधारित होकर विद्यमान होती है तो वसूल नहीं की जायेगी।"।

(३) उप-धारा (११) के बाद, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :–

"(११क) उप-धारा (११) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन आदेश पारित करते समय इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।"—

(४) उप-धारा (१२) अपमार्जित की जायेगी।

१९. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३० की उप-धारा (४) के अंत में, निम्न जोड़ा जायेगा, अर्थात्,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३० में संशोधन।

"परंतु, इस उप-धारा के अधीन ब्याज घोषणाओं को या, यथास्थिति, प्रमाणपत्रों को अप्रस्तुत करने के कारण, उद्भूत अतिरिक्त कर दायित्वत के कारण देय नहीं होगा :

परंतु, आगे यह कि, यदि अदा किए गए कर की रकम पुनरिक्षित विवरण के अनुसार, तत्स्थानी अवधि के संबंध में, मूल विवरणियों के अनुसार अदा किए गए कर की संकलित रकम दस प्रतिशत से कम है तब, इस उप-धारा के अधीन कोई ब्याज देय नहीं होगा।

स्पष्टीकरण :— इस उप-धारा प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति,—

(एक) "मूल विवरणियों के अनुसार अदा किया गया कर" खंड (क) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रारम्भण के पूर्व या उप-धारा (४) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति के पूर्व दाखिल किए गए पुनरिक्षित विवरणियों के अनुसार अदा किए गए कर की रकम सम्मिलित की गई समझी जाएगी ;

(दो) "अदा किया गया कर" का तात्पर्य, मुजराई के समेकन के बाद, किसी व्यक्ति या ब्यौहारी द्वारा अदा किए गए कर की रकम से है।"।

२०. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ३१ क की,— सन् २००५ का महा. ९ की धारा ३१क में संशोधन।

(१) उप-धारा (१) में, खंड (ख) के बाद, निम्न खंड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"(ग) जो ब्यौहारी की गौण खनिजों के संबंधी खदान पट्टा या खदान अनुज्ञा की, उनकी अधिकारिता के भीतर प्रदान करता है, उप-धारा (२) में यथा उपबंधित ऐसी दर पर, ऐसे खदान के या, यथास्थिति, निलामी करने के समय पर कोई रकम के संग्रहण करने की और विक्रय कर की दायित्वता ऐसे गौण खनिजों के विक्रय पर उपगत की जायेगी।";

(२) उप-धारा (२) में, "(क) और (ख)" कोष्टकों, अक्षरों और शब्द के स्थान में, "(क), (ख) और (ग)" कोष्टक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

(३) उप-धारा (३) में "(क) और (ख)" कोष्टकों, शब्दों और अक्षरी के स्थान में "(क), (ख) और (ग)" कोष्टक, अक्षर और शब्द रखे जाएँगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ५१ में संशोधन।

२१. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ५१ की उप-धारा (३) के खंड (क) के उप-खंड (तीन) में "प्रोत्साहन पॅकेज योजना, २००१ या, यथास्थिति, प्रोत्सोहन पॅकेज योजना, २००७" शब्दों और अंकों के स्थान में "प्रोत्साहन पॅकेज योजना, २००१ या, यथास्थिति, प्रोत्साहन पॅकेज योजना, २००७" या, यथास्थिति प्रोत्साहन पॅकेज योजना, २०१३" शब्द और अंक रखे जाएँगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ६१ में संशोधन।

२२. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६१ की,—

(१) उप-धारा (१) के,—

(एक) खंड (क) के स्थान में, निम्न खंड रखा जायेगा, अर्थात् :—

"(क) यदि,—

(एक) विक्रयों का उसका आवर्तन समेकित करना और राज्य के बाहर स्थित उसके कारोबार या उसके एजंट या प्रमुख को किसी अन्य स्थान से अंतरित किए गए मालों का मूल्य, विक्रय के कारण द्वारा नहीं होगा, या

(दो) क्रय का आवर्तन, किसी वर्ष में एक करोड़ रुपये से अधिक हो ;";

(दो) खंड (ख) अपमार्जित किया जायेगा ;

(२) उप-धारा (२) में, परंतुक, अपमार्जित किया जायेगा।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ६३ में संशोधन।

२३. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ६३ की, उप-धारा (७) में, "आयुक्त" शब्द के स्थान में "आयुक्त करेगा" शब्द रखे जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८८ में संशोधन।

२४. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८८ में,—

(१) खंड (क-१) में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना, २००१ या, यथास्थिति, प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" शब्दों तथा अंकों के स्थान में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००१", "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" या, यथास्थिति, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२०१३" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

(२) खंड (ङ) में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००१" या, यथास्थिति, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" शब्दों तथा अंकों के स्थान में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००१", "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" या, यथास्थिति, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२०१३" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की धारा ८९ में संशोधन।

२५. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की धारा ८९ की, उप-धारा (४) में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००१" या, यथास्थिति, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" शब्दों और अंकों के स्थान में, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००१", "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२००७" या, यथास्थिति, "प्रोत्साहन पॅकेज योजना-२०१३" शब्द और अंक रखे जायेंगे।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची क में संशोधन।

२६. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की **अनुसूची क** में, प्रविष्ट २६ के बाद, निम्न प्रविष्टि, निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"२६. १ अप्रैल २००५ से शुरू होने वाले और ३० अप्रैल २०११ से समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान विक्री किये गये थिएटर और सिनेमागृहों में सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों के वितरण और प्रदर्शन के लिए लिप्याधिकार कुछ नहीं।"।

सन् २००५ का महा. ९ की अनुसूची ग में संशोधन।

२७. मूल्यवर्धित कर अधिनियम की **अनुसूची ग** में, प्रविष्ट ५५ के बाद, निम्न प्रविष्टियाँ, निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"५५क.	१ अप्रैल २००५ से शुरू होने वाले और ३० अप्रैल २०११ से समाप्त होनेवाली अवधि के दौरान विक्री किये गये इस अनुसूची की प्रविष्टि ५५ के खंड़ (दस) से खंड (पंद्रह) में विनिर्दिष्ट किन्हीं श्रेणियों के औजार, मिश्रधातु और विशेष स्टील।	४ प्रतिशत
"५५ख.	१ मई २०११ को या के बाद इस अनुसूची की प्रविष्टि ५५ के खंड़ (दस) से खंड (पंद्रह) में विनिर्दिष्ट किन्हीं श्रेणियों के औजार, मिश्रधातु और विशेष स्टील।	५ प्रतिशत "।

अध्याय-सात

विधिमान्यता और व्यावृत्ति।

विधिमान्यकरण और व्यावृत्ति।

२८. (१) किसी न्यायालय या अधिकरण के किसी न्यायनिर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महाराष्ट्र कर विधि (उद्ग्रहण, संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, २०१४ (जिसे इसमें आगे, इस अध्याय में, "संशोधन अधिनियम" कहा गया है) के प्रारम्भण के पूर्व, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (जिसे इसमें आगे इस धारा में, "मूल्यवर्धित कर अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अधीन किसी ब्यौहारी या व्यक्ति द्वारा किये गये विक्रय या क्रय के संबंध में किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण में की गई कोई कार्यवाही या की गई कोई बात उसी प्रकार विधिमान्य और प्रभावी समझी जायेगी मानों कि ऐसा निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण कार्यवाही या बात, संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन सम्यक् तया की गई, या की गई थी, और तद्नुसार,—

सन् २०१४ का महा. २७।

सन् २००५ का महा. ९।

(क) ऐसे किसी कर के निर्धारण, पुनर्निर्धारण, उद्ग्रहण या संग्रहण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कृत या किये गये सभी कार्य, कार्यवाहियाँ या बातें सभी प्रयोजनों के लिए विधि के अनुसरण में कृत या की गई समझी जायेगी और सदैव कृत या की गई समझी जायेगी ;

(ख) इस प्रकार अदा किये गये किसी कर के प्रतिदाय के लिए किसी न्यायालय में या किसी अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी के समक्ष कोई वाद, अपील, आवेदन या अन्य कार्यवाहियाँ संस्थित या बनाई रखी या जारी रखी नही जायेगी ; और

(ग) कोई न्यायालय, अधिकरण, अधिकारी या अन्य प्राधिकारी किसी ऐसे कर के प्रतिदाय का निदेश देनेवाली कोई डिक्री या आदेश प्रवर्तित नहीं करेगा।

(२) संदेह के निराकरण के लिए, एतद्द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि, उप-धारा (१) में कोई भी बात, किसी व्यक्ति को,—

(क) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट कर के किसी निर्धारण, पुनर्विलोकन, उद्ग्रहण या संग्रहण संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधन मूल्यवर्धित कर अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में प्रश्नगत करने से, या

(ख) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन कर के ज़रिए उसके द्वारा देय राशि से अधिक अदा किये गये कर के प्रतिदाय का दावा करने से, किसी व्यक्ति को रोकते हुए नहीं समझी जायेगी।

(३) संशोधन अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल्यवर्धित कर अधिनियम की कोई बात, संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व उसके द्वारा कृत या करने से विलुप्त किसी बात के संबंध में, कोई व्यक्ति, किसी अपराध के लिए, दोषसिद्धि ठहराये जाने का दायीनहीं होगा, यदि ऐसा कृत्य या विलोपन मूल्यवर्धित कर अधिनियम के अधीन अपराध नहीं था, परन्तु, संशोधन अधिनियम द्वारा किये गये संशोधन के लिए अपराध हुआ है ; और नहीं ऐसे कृत्य या विलोपन के संबंध में किसी व्यक्ति पर संशोधन अधिनियम के प्रारम्भण के पूर्व प्रवृत्त विधी के अधीन, उस पर लगाई जा सकनेवाली शास्ती से अधिक शास्ती लगाई जायेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

ललिता शि. देठे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2014.

THE MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 2014.

महाराष्ट्र विधानमंडल का निम्न अधिनियम, राज्यपाल की अनुमति दिनांक २५ जून २०१४ को प्राप्त होने के बाद, इसके द्वारा सार्वजनिक सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

ह. बा. पटेल,
प्रधान सचिव,
विधि तथा न्याय विभाग,
महाराष्ट्र शासन।

MAHARASHTRA ACT No. XXVIII OF 2014.

AN ACT FUTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MEDICAL PRACTITIONERS ACT, 1961.

महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८, सन् २०१४।

(जो कि राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात्, " महाराष्ट्र राजपत्र " में दिनांक २६ जून २०१४ को प्रथम बार प्रकाशित हुआ।)

महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन संबंधी अधिनियम ।

क्योंकि, इसमें आगे दर्शित प्रयजनों के लिए, महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी अधिनियम, १९६१ में अधिकतर संशोधन करना इष्टकर समझा गया है ; इसलिए भारत गणराज्य के पैंसठवे वर्ष में एतदद्वारा निम्न अधिनियम बनाया जाता है :— सन् १९६१ का महा. २८।

संक्षिप्त ना और प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र चिकित्सा व्यवसायी (संशोधन) अधिनियम, २०१४ कहलाए।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

सन् १९६१ का महा. २८ की धारा २५ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र चिकित्सा अधिनियम, १९६१ की धारा २५ में, खंड (तीन) के बाद, निम्न खंड जोड़े जायेंगे, अर्थात्,— सन् १९६१ का महा. २८।

(चार) भारतीय चिकित्सा और अनुसूची के भाग क, क-१, ख या घ में, उल्लिखित अर्हताएँ धारण करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यवसायीकों को, भारतीय चिकित्सा प्रणाली के साथ उस प्रणाली में प्राप्त विस्तारित प्रशिक्षण को ॲलोपॅथिक चिकित्सा के रूप में ज्ञात आधुनिक वैज्ञानिक चिकित्सा का व्यवसाय करने का विशेषाधिकार होगा जिसके लिए व रजिस्ट्रीकृत किये गये हैं।

(पाँच) अनुसूची के **भाग क, क-१, ख या घ में,** उल्लिखित अर्हताओं को धारण करनेवाले भारतीय चिकित्सा के रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी और स्नातकोत्तर अर्हता धारण करने वाले जो धारा १७ के अधीन तैयार किये गये रजिस्टर में अतिरिक्त अर्हता के रूप में प्रविष्ट किया गया है वह स्नातकोत्तर के दौरान उस प्रणाली में उन्हें प्राप्त विस्तारित प्रशिक्षण अद्ययावत ज्ञान, कुशलता और तकनीकी में सुधार करने के लिए पात्र होंगे।

(यथार्थ अनुवाद),

स. का. जोंधळे,
भाषा संचालक,
महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.